लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

बुधवार, ०५ दिसंबर १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.93
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ — १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... — १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ — १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... — १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ — १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ — २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... — २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका — २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ — २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... — २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... — २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... — २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ — ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... — ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ३२९–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ... ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि ५६४

दैनिक संक्षेपिका ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ... ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ... ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला

†*८१४. { +डा० रामा राव :
श्री चट्टोपाध्याय :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों को जहां से कोयला नहीं निकाला गया है, अर्जित करने के प्रस्ताव किस स्थिति में हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : ऐसे कोयले वाले क्षेत्र, जहां से कोयला नहीं निकाला गया है, यह पट्टेदारी के अधिकार प्राप्त करने वाले विधेयक के मसविदे पर विचार किया जा रहा है तथा इसे संसद् के चालू सत्र में प्रस्तुत करने का विचार है। अर्जन किये जाने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में खनन के मुख्य पट्टेदारों से बातचीत की जा रही है।

†**डा० रामा राव** : क्या इस पहलू पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा विचार किया जायेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस विधेयक पर कई स्तरों पर विचार किया जा चुका है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि विधेयक शीघ्र ही सभा के सम्मुख लाया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार छोटी कोयलाखानों के एकीकरण सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों को कब अन्तिम रूप दे देगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे विचार से यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। यदि माननीय मंत्री मुझे पृथक् पूर्व सूचना देंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

†*८१५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं में मृतक मजदूरों की विधवाओं को १० रुपये मासिक भत्ता देने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है;

†मूल अंग्रेजी में।

M16LSD—1

(ख) यदि हां, तो उसमें शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) विधवाओं और आश्रितों की संख्या कितनी है और पहिली नवम्बर, १९५६ तक कुल कितनी राशि दी गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) भत्ता मिलने में विलम्ब होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) कोयला खान कल्याणकारी आयुक्त ने वित्तीय सहायता के सारे आवेदन-पत्रों का शीघ्र निपटारा करने के लिये अपने कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है । तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इन मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने का काम कौन करेगा ?

†**श्री आबिद अली** : कोयला खान कल्याणकारी निधि के निरीक्षक ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जो ३३० व्यक्ति घातक दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त हुए, उनमें से कितने मामलों में राशि चुकाई गई ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे पास चुकाई गई राशि के आंकड़े हैं । यह राशि १०,००० रुपये है । मेरे पास उन व्यक्तियों की संख्या नहीं है जिन्हें धनराशि दी गई है ।

†**श्री वेलायुधन** : घातक दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों की विधवाओं को १० रुपये कब से नहीं मिले हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने कहा है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन्हें निरीक्षकों के पास मामले का शीघ्र निपटारा करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भेज दिया गया है । यह प्रतिवेदन हमें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : ये मामले कब से विलम्बित हैं ?

†**श्री आबिद अली** : शिकायतें अक्तूबर में प्राप्त हुई हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि जिन को १० रुपये मिलता है उनको जल्दी से जल्दी मिल जाये ? क्या इसके लिये कोई खास निर्देश किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : यही हम भी चाहते हैं और जरूर ऐसा ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक चीज मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बजाय इसके कि वह खड़े होकर सीधे मिनिस्टर साहब की तरफ देखें, सवाल कर के मेरी तरफ देखें तो मैं उनको बुला सकता हूं ।

कच्चा रेशम

†*८१६. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ और १९५५–५६ की अपेक्षा भारत में कच्चे रेशम की पैदावार में कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और

(ग) इसका निर्धारण किस प्रकार किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) और (ख). पत्री वर्ष के आधार पर कच्चे रेशम क उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं । इसलिये १९५६ में हुए उत्पादन की जानकारी

†मूल अंग्रेजी में ।

१९५७ में प्राप्त होगी। १९५४ में उत्पादन २,३९८,४९८ पौंड और १९५५ में २४,३०,९०१ पौंड था।

(ग) राज्यों से प्राप्त उत्पादन विवरणों के आधार पर निर्धारण किया जाता है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या गृह-उद्योग की इस महत्वपूर्ण शाखा की प्रगति का सामयिक निर्धारण करने के लिये सरकार ने कोई नियमित व्यवस्था की है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : १९५३ में प्रशुल्क आयोग ने इस पहलू का निर्धारण किया था। तत्पश्चात् केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श किया। मैं सभा को यह बता दूं कि जून में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की बैठक बम्बई में हुई तथा यह सुझाव दिया गया कि आंकड़ों का हिसाब लगाने का तरीका अधिक यथार्थ और पूर्ण होना चाहिये। इस माले पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : कदाचित मैं इन आंकड़ों को ठीक ढंग से नहीं समझा हूं। मैंने सभा सचिव को कहते हुए सुना कि उत्पादन एक वर्ष ३ लाख तथा अगले वर्ष २४ लाख था।

†**श्री रा० गि० दुबे** : १९५४ में २३ लाख तथा १९५५ में २४ लाख था।

†**श्री हेडा** : क्या मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि लगभग प्रत्येक राज्य कच्चे रेशम के उत्पादन में कुछ राशि व्यय करता है किन्तु उपयुक्त राशि न होने, तथा योजनाओं के ठीक प्रकार से क्रियान्वित न होने के कारण कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होगा कि १९४८ से अनुदानों की राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसलिये हमें निधि की कमी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या आयात होने वाले रेशम पर हाल में बढ़ाये गये शुल्क के प्रभावों का निर्धारण किया गया है और यदि हां, तो क्या इससे कच्चे रेशम के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव होगा ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मेरे विचार से यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछना चाहिये।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : आपकी अनुमति से मैं इसका उत्तर देता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवश्यकता पड़ने पर प्रशुल्क आयोग भी इस प्रश्न पर कभी-कभी विचार किया करता है। रेशम के आयात पर लगाया गया शुल्क कच्चे रेशम के उत्पादन को संरक्षण देने के लिये, नितांत उपयुक्त है।

शिक्षित बेकार

†*८२०. **श्री झूलन सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित बेकारों के सम्बन्ध में अध्ययन गोष्ठी प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के अनुसार क्या कार्य किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :

(१) शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के लिये केरल राज्य में दो बड़ वर्कशाप तथा चार छोटे वर्कशाप खोले जायेंगे।

(२) उक्त वर्कशापों में शिक्षित बेकारों को भर्ती करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण देने के लिये केरल सरकार को २,९३,५८० रुपये दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(३) यथासमय अन्य राज्यों में भी एसे ही उत्पादन केन्द्रों को खोलने का विचार किया जा रहा है ।

(४) राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य तथा अनुस्थापन केन्द्रों तथा सहकारी परिवहन के सम्बन्ध में अग्रिम परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री झूलन सिंह** : सारे राज्यों में केरल राज्य को ही क्यों चुना गया है ?

†**श्री आबिद अली** : क्योंकि वहां बेकारी की समस्या बहुत गम्भीर है ।

†**श्री वेलायुधन** : जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनमें से कितनों को प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्त कर दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : आशा की जाती है कि जितने व्यक्तियों को इस विशेष कार्य के लिये प्रशिक्षित किया गया है उन्हें वर्कशापों में नियुक्त कर दिया जायेगा ।

†**श्री अच्युतन** : ये वर्कशाप पूरी तेजी से काम करना कब से शुरू करेंगे और केरल के कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये चुना गया है ?

†**श्री आबिद अली** : ४०० प्रशिक्षार्थियों को चुना गया है अन्ततः ७०० से ८०० व्यक्ति वहां नियुक्त होंगे । आशा की जाती है कि यह वर्कशाप अगले वर्ष चालू होंगे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को यह पता है कि केरल की तरह और सूबों में भी पढ़े और गैर-पढ़े लोगों की समस्या बहुत काफी है और क्या उनके लिये सरकार कोई बात सोच रही है ?

श्री आबिद अली : जी हां, दूसरी स्टेट्स में भी बेकारी है, और जैसा मैंने अर्ज किया है, दूसरी स्टेट्स में भी इस किस्म के उद्योगों के लिये इन्तजाम किया जा रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : केरल के पश्चात् किस राज्य से शिक्षित बेकारों की संख्या सबसे अधिक है तथा क्या सरकार वहां भी वही व्यवस्था करना चाहती है जो कि उसने केरल में की है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे इसका उत्तर दे चुके हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या विभिन्न राज्यों से अपना प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, तथा कितने राज्यों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : बहुत से राज्य अपने प्रस्ताव भेज चुके हैं । वे विचाराधीन हैं । प्रत्येक राज्य के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

चाय का निर्यात

†*८२४. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और भारत के चाय बोर्ड द्वारा अमेरिका और कनाडा में चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी पिछले वर्ष इन देशों में चाय के निर्यात में पर्याप्त कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अमेरिका में चाय के आयात में कितनी कमी हुई है तथा उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५४–५५ की अपेक्षा १९५५–५६ में अमेरिका तथा कनाडा को निर्यात की जाने वाली चाय के परिमाण में कुछ कमी आई है।

(ख) अमेरिका को होने वाली चाय के निर्यात में ४८ लाख पौंड की कमी हुई है। १९५४–५५ की तुलना में १९५५–५६ में भारतीय चाय के निर्यात में सामान्य कमी हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : पिछले दो-तीन सालों से जब से कि चाय का और ज्यादा प्रचार करने का आन्दोलन शुरू किया गया है, क्या कारण है कि हमारे यहां से निर्यात गिर रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी गए अप्रैल से एक्सपोर्ट (निर्यात) ज़रा बढ़ रहा है। सन् १९५५–५६ में एक्सपोर्ट के गिरने की वजह यह है कि उस वक्त काफी के दाम भी गिर गए थे और साथ ही कुछ यहां से लन्दन के लिये एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट थी वह भी कम थी।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच है कि निर्यात में कमी विशेषतः भारत से अमेरिका को भेजे गये प्रचार अधिकारियों की नियुक्ति के बाद से हुई ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं।

†**श्री सू० चं० देव** : क्या सरकार अमेरिका और कनाडा में निर्यात की वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां। कार्यवाही की गई है।

†**श्री देबेश्वर सर्मा** : मैं माननीय सदस्य के कथन को ठीक प्रकार नहीं समझ सका जब कि उन्होंने कहा कि लन्दन के लिये चाय निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध है और हमने भारत से चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यदि ऐसा है तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : लंदन को निर्यात की जानेवाली चाय की मात्रा में कुछ प्रतिबन्ध था तथा यह कलकत्ता में नीलाम करने की नीति को प्रोत्साहन देने के लिये किया गया था।

†**श्री सारंगधर दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमेरका में कहवा बहुत लोकप्रिय पेय है क्या भारत से अमेरिका को चाय के निर्यात का स्थान कहवा ले लेगा ?

†**श्री कानूनगो** : मैं अमेरिका की स्थिति का अनुमान नहीं कर सकता हूं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि अमेरिका में चाय के व्यापार पर बहुत आशा की जा सकती है इसलिये वहां चाय की मांग बढ़ेगी।

†**श्री देबेश्वर सर्मा** : माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर मेरी ज़रा भी समझ में नहीं आया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत डालर मुद्रा कमाने के लिये चाय के निर्यात को प्रोत्साहन दे रहा है, निर्यात क्यों रोका गया तथा लन्दन को निर्यात में प्रतिबन्ध लगाने और कलकत्ता से निर्यात करने में क्या सम्बन्ध है ? यदि मंत्री जी इसे समझायेंगे तो मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा।

†**श्री कानूनगो** : उत्तर बहुत लम्बा होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह उतना ही लम्बा हो सकता है जितने लम्बे उत्तर की प्रश्न काल में अनुमति है।

†**श्री कानूनगो** : वस्तुतः बात यह थी कि हम कलकत्ते में निर्यात सम्बन्धी नीलाम को प्रोत्साहन देना चाहते थे। इस सीमा तक हमने लन्दन में निर्यात के नीलाम पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसलिये लन्दन में नीलाम के लिये उपलब्ध होने वाली भारतीय चाय की मात्रा में कुछ कमी हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : क्या यह कलकत्ता के नीलाम के लिये उपलब्ध थी ?

†**श्री कानूनगो** : उन्होंने कलकत्ता के नीलाम में खरीदना पसन्द नहीं किया ।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : यह अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या अमेरिका में भारत की कोई ऐजेन्सी काम कर रही है और यदि हां, तो वे कौन हैं और उन पर कितना व्यय किया जाता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक प्रश्न में ही इतने प्रश्न पूछना उचित नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं पिछले दो प्रश्न हटा सकता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : अमेरिका में भारतीय चाय के लिये कोई विशेष एजेन्सी नहीं है । अमेरिका में चाय का व्यापार करने वाले लोग अन्य चाय निर्यातक देशों के सहयोग से, जिसमें भारत, लंका और इंडोनेशिया अंशदान देते हैं, प्रचार का एक कार्य-क्रम चलाते हैं ।

रबड़ उगाने वाले

†*८२६. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान और त्रावनकोर-कोचीन राज्य किसान सभा के द्वारा केरल के रबड़ उगने वालों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केरल के रबड़ उगने वालों की ओर से उस ज्ञापन में किन मांगों की चर्चा की गई है; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]**

†**श्री पुन्नुस** : विवरण में कहा गया है कि ५०,००० एकड़ नई भूमि पर रबड़ की काश्त करने का प्रस्ताव है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जैसा कि इस सभा में कई बार बताया जा चुका है विभिन्न अवसरों पर रबड़ बोर्ड द्वारा १,००,००० एकड़ तक की सिफारिश नहीं की गई थी और क्या मैं जान सकता हूं कि इस में से ५०,००० एकड़ कैसे छोड़ दिये गये हैं ? मैं इसका कारण जानना चाहूंगा ।

†**श्री कानूनगो** : आज भी लगभग १,००,००० एकड़ का ही प्रस्ताव किया गया था जिसमें से ५०,००० एकड़ वहां के जलवायु आदि के कारण बिल्कुल अनुपयुक्त पाये गये हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या इस ५०,००० एकड़ भूमि की उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी और क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री किस आधार पर कहते हैं कि यह भूमि अनुपयुक्त है ?

†**श्री कानूनगो** : जांच अभी जारी है । अगल पांच वर्षों के लिये ५०,००० एकड़ का लक्ष्य है । परन्तु अभी उपयुक्त भूमि नहीं मिली है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार की इस सम्बन्ध में कोई जांच करने की इच्छा है कि केरल तथा अन्य स्थानों पर नए रबड़ की खेती के लिये कितनी भूमि प्राप्य है ?

†**श्री कानूनगो** : इसी लिये तो मैंने यह कहा था कि जांच जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ई० ईयाचरण** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन ५०,००० एकड़ों में से कितने एकड़ भूमि मालाबार में रबड़ की खेती के लिये होगी ?

†**श्री कानूनगो** : यह केवल लक्ष्य है। हमें अभी यह मालूम नहीं है कि कितनी उपयुक्त भूमि प्राप्य है और कहां प्राप्य है।

†**श्री कौट्टुकपल्ली** : क्या सरकार को मालूम है कि रबड़ बोर्ड ने रबड़ की नई काश्त के लिये उपयुक्त भूमि की प्राप्यता के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक उपसमिति बनाई है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां। इस कार्य-क्रम को क्रियान्वित करने के लिये रबड़ बोर्ड मुख्यतः उत्तरदायी है।

†**श्री मात्तन** : मुझे बताया गया था कि रबड़ की नई काश्त के लिये केरल सरकार के पास एक समवाय खोलने का प्रस्ताव है जिसके लगभग ५० प्रतिशत अंश सरकार लेगी और अन्य अंश जनता द्वारा पूरे किये जायेंगे। क्या इसमें कोई सत्य है ?

†**श्री कानूनगो** : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। परन्तु निश्चित रूप से इस बात को हम पसन्द करेंगे कि कोई राज्य सरकार स्वयं ही काश्त का काम करे।

नीवेली लिगनाइट परियोजना

†*८२७. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री सै० वें० रामस्वामी :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **उत्पादन** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीवेली लिगनाइट परियोजना पर वास्तविक कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) तथा (ख). अब तक लगभग ५·५ करोड़ रुपये की लागत पर मिट्टी हटाने की साधारण मशीनरी और विशेष खनन उपकरण खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है। २६,७५० एकड़ भूमि के अर्जन की भी स्वीकृति दी जा चुकी है और उसे अर्जित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मद्रास सरकार द्वारा दी जाने वाली वन भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये एक पुनर्वास पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। बस्ती तथा औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिये एक नगर आयोजनकर्ता और एक वास्तुशास्त्री को नियुक्त किया गया है। मकान बनाये जा रहे हैं, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की विद्युत् शाखा ने २०० किलोवाट के ताप विद्युत् स्टेशन के लिये योजनायें और विशेष विवरण तैयार करने के सम्बन्ध में मद्रास में एक योजना मंडली स्थापित की है। उर्वरक कारखाने की स्थापना में प्रविधिक सहायता के लिये शर्तें बताने के लिये कुछ विदेशी साथों से कहा गया है। टी० सी० एम० सहायता के अधीन ईंट के आकार के बनाने के और अंगारकरण के लिये एक अग्रिम

†मूल अंग्रेजी में।

संयंत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस परियोजना के कार्य प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के लिये समवाय अधिनियम के आधीन नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड को पंजीबद्ध किया गया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या वहां किसी समीपवर्ती स्थान पर एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में भी कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : उर्वरक कारखाने की स्थापना सम्पूर्ण परियोजना का एक भाग है।

†**डा० रामा राव** : वहां पर जो पम्प लगाये गये हैं क्या वे गढ़ों को खुश्क रखने के लिये काफी हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी, हां।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन खानों में से लिगनाइट का प्रथम टन कब निकाला जायेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : लगभग १९६० के मध्य तक।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मूल अनुमानित परिव्यय और अन्तिम अनुमानित परिव्यय में कोई अन्तर है और, यदि हां, तो वह कितना है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : अन्तिम अनुमानित परिव्यय का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है इसलिये अन्तर का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि जो लोग वहां से डिसप्लेस होंगे उनको अच्छी तरह से बसाया जाये क्योंकि अब तक जहां-जहां कारखाने बने हैं, उन कारखानों के स्थान पर उसे जो लोग डिसप्लेस हुए हैं, उनको ठीक तौर से नहीं बसाया गया है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि विस्थापित व्यक्तियों को किसी निकट स्थान पर बसाने के लिये क्या कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैंने जो उत्तर पढ़ कर बताया है उसमें इस की चर्चा कर चुका हूं। मैंने बताया था कि मद्रास सरकार द्वारा दी जाने वाली वन भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए एक पुनर्वास पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब इन खानों में पूरी तरह से काम होने लगेगा तब इनका अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे पास ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्तु यह लगभग ३० लाख टन होगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि संयंत्र था खनन सामग्री विदेशों से आयात की जा रही है। क्या इसमें किसी विलम्ब की संभावना है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : विलम्ब की कोई संभावना नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न—८२९

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : प्रधान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे बाद में लिया जायेगा ।

हांगकांग में भारतीय

†*८३०. **श्री काजरोल्कर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग में हाल के दंगों में भारतीय राष्ट्रजन भी अन्तर्ग्रस्त थे;

(ख) यदि हां, तो हताहत हुए भारतीयों का ब्योरा क्या है और उन्हें कितनी आर्थिक हानि हुई थी; और

(ग) उन्हें प्रतिकर दिलवाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार सम्बन्धित राजदूत द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेगी ?

†**श्री सादत अली खां** : राजदूत द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखा जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सम्भव नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या उन दंगों का भारतीयों पर कुछ प्रभाव पड़ा था और क्या सरकार को हांगकांग में हमारे वाणिज्य दूतावास या चीन सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; क्या उन्होंने इसकी कोई जांच की है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी, नहीं । हमें ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या उन्हों ने जांच की थी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : हांगकांग में हमारा एक आयुक्त है और उसने हमें विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है । इन दंगों का किसी भारतीय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं जान सकता हूं कि हांगकांग में कुल कितने भारतीय रहते हैं और उनका मुख्य काम क्या है ?

†**श्री सादत अली खां** : वे अलग से एक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : यदि मुझे ठीक याद है तो जिन क्षेत्रों में दंगे हुए हैं वहां कितनी ही भारतीय दुकाने थीं । क्या सरकार ने इस प्रश्न के मिलने के बाद कोई विशेष जांच की है कि क्या ये दुकानें लूटी गई थीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह पहिले ही उत्तर दे चुके हैं कि किसी भी भारतीय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ यह प्रश्न भी इसी में आ जाता है ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं दुकानों के बारे में जानना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : भारतीयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसका अर्थ है भारतीयों के कारबार की और जान की कोई हानि नहीं हुई है ।

---

† ल अंग्रेजी में

डीजल तेल

†*८३१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को डीजल तेल में आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डीजल तेल की अपेक्षित आवश्यकता कितनी होगी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री नास्कर)** : (क) इस समय तीव्र गति वाले डीजल तेल की ८० प्रतिशत आवश्यकतायें और हल्के डीजल तेल की ६० प्रतिशत आवश्यकतायें ट्राम्बे की दो शोधनशालाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। विशाखापटनम में जिस तीसरी शोधनशाला में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है उससे यह अन्तर और भी कम हो जायेगा। इनके अतिरिक्त आसाम में पाये गये देशीय अपरिष्कृत तेल से लाभ उठाने के लिये सरकारी साझे में एक और शोधनशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भी योजनायें हैं। देश के अन्य भागों में अपरिष्कृत तेल की खोज का काम जारी है।

(ख) द्वितीय योजना के अन्त तक लगभग १,२०० हजार टन डीजल तेल और ५५० हजार टन हल्के डीजल तेल की आवश्यकता होगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या परिवहन मंत्रालय ने निर्माण आवास और सम्भरण मंत्रालय को अपनी आवश्यकताओं का प्राक्कलन बताया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह ऐसा प्रश्न है जिसे परिवहन मंत्रालय से पूछना उचित होगा। जहां तक परिवहन मंत्रालय की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, कोई पृथक् आवश्यकतायें नहीं हैं। यह समस्त देश की कुल आवश्यकताओं का अनुमान है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार का यह मत है कि अगली पंचवर्षीय योजना में देश में हमारी परिवहन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर डीजल इंजनों के उपयोग की कोई संभावना है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। निश्चय ही डीजल इंजनों का उपयोग ठीक दिशा में एक कदम है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, इंजनों और मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा और इस प्रकार की मशीनरी के लिये पर्याप्त निर्माण क्षमता का उपबन्ध करने के मामल में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पहिले ही कार्यवाहियां की जा चुकी हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या म जान सकता हूं कि इस समय हमारी आवश्यकताओं से हमारा कुल उत्पादन कितने प्रतिशत कम है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुख्य उत्तर म यह बता दिया गया है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर ८० प्रतिशत और ६० प्रतिशत आंकड़े बताये गये हैं। ट्राम्बे की दो शोधनशालाओं द्वारा ये आवश्यकतायें पूरी होती हैं।

†**श्री गजन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस तथ्य को देखते हुए कि देशीय सूत्रों से सम्भरण में वृद्धि हुई है क्या मैं जान सकता हूं कि दाम क्यों बढ़ गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उत्पादन पर अधिक लागत और अधिक करारोपण के कारण।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारी शोधनशालाओं में काम प्रारम्भ हो जायेगा तो अन्तर में कितने प्रतिशत कमी हो जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : और १५ से २० प्रतिशत तक ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार ने अपनी साधारण दैनिक आवश्यकताओं और योजना की आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया है ? क्या मैं जान सकती हूं कि इन दोनों में कितना अन्तर है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : योजना में हमारी दैनिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है । यदि यह हमारी दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखती तो योजना ठीक नहीं है ।

मोनाजाइट बालू

†*८२९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री २३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरा और रारू नदियों के किनारों पर सभी जिले में जो यूरेनियमयुक्त मोनाजाइट बालू पाई जाती है उसका वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है; और

(ख) वहां कितने क्षेत्र में और कितनी मात्रा तक यूरेनियम पाया जायेगा, इस बारे में सरकार की क्या आशायें हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । अणु शक्ति विभाग की मंत्रणा पर, उस क्षेत्र में रेडियम कर्मी मोनाजाइट बालू के लिये, पट्टेदारों, मैसर्स नेशनल सीमेंट, माइंस एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रांची द्वारा सक्रिय रूप में खोदने का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) देश के दूसरे निक्षेपों की तुलना में कुल मात्रा बहुत कम है ।

निर्यात और आयात व्यापार

†*८३४. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि अधिकतर वे सार्थ और व्यक्ति देश के निर्यात और आयात व्यापार का लाभ उठा लेते हैं, जिनके कार्यालय शहरों में होते हैं और पत्तनों पर स्थित होते हैं, और बिहार तथा दूसरे राज्यों के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि भारत सरकार का निर्यात तथा आयात विभाग का कोई कार्यालय वहां नहीं होता, जो उन्हें समय पर आवश्यक सूचना दे सके;

(ख) यदि हां, तो लोगों की शिकायत को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है;

(ग) क्या यह सच है कि देश का अत्यधिक निर्यात तथा आयात व्यापार बढ़े निर्यातकों और आयातकों के हाथों में केन्द्रित है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) क्या सरकार नव आगुन्तकों के लिये देश के आयात और निर्यात व्यापार को उपलब्ध कराने का विचार करती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की हैं और उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पत्तन वाले नगरों में कार्यालय रखने वाले सार्थों और व्यक्तियों को भूगोलिक स्थिति के कारण होने वाले लाभ देश के अन्तरीय नगरों के लोगों को, उन स्थानों पर केवल आयात और निर्यात कार्यालय खोले जाने के कारण प्राप्त नहीं हो सकते । ऐसे व्यक्तियों को सूचना के अभाव के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक सूचनाओं और प्रेस टिप्पणों आदि के द्वारा निर्यातकों और आयातकों को प्रभावित करने वाले मामलों का प्रचार कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बहुत-सी वस्तुओं के लिये नवागन्तुकों को लाइसेंस देने का पहले ही उपबन्ध है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : किन-किन शर्तों पर लाइसेंस दिये जाते हैं ?

श्री करमरकर . गत पालिसी (नीति) के बारे में जो बुक पबलिश (पुस्तक प्रकाशित) हुई है उसको माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं और आइन्दा पालिसी के बारे में जनवरी में पढ़ सकते हैं ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को मालूम है कि नव आगन्तुकों को लाइसेंस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके नाम १९४६, १९४७ और १९४८ की पोतवणिकों की सूची में नहीं थे ?

†**श्री करमरकर** : "नव आगन्तुक" की परिभाषा यह है कि नाम पहले से वहां न हों । नव आगन्तुक नव आगन्तुक होता है । नव आगन्तुकों को ये आपात लाइसेंस देने का यही उद्देश्य है कि नव आगन्तुकों के लिये वस्तुओं की संख्या बढ़ा कर लोगों को समय-समय पर आयात व्यापार में आने के लिये उत्साहित किया जाये । नव आगन्तुकों से हमारा अभिप्राय उन लोगों से नहीं, जो इस व्यापार के लिये पूर्णतया नवीन हैं । नव आगन्तुक वह होता है जिसने देश में उसी वस्तु का व्यापार किया होता है ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को मालूम है कि रुई के व्यापार में ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके नाम पोतवणिकों की सूची में हैं, और केवल उन्हें ही निर्यात के लाइसेंस दिये जाते हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं समस्त सूची पढ़ कर सभा का समय नहीं लेना चाहता । कुछ वस्तुयें नवागन्तुकों के लिये हैं और कुछ वस्तुयें नवागन्तुकों के लिये नहीं हैं । मैं इस विषय पर माननीय सदस्य के साथ कितने भी समय तक बात करने के लिये तैयार हूँ ।

†**श्री गजन्द्र प्रसाद सिन्हा** : हमारा कितना प्रतिशत वैदेशिक व्यापार नवागन्तुकों द्वारा किया जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि यह १० प्रतिशत बताया गया था ।

†**श्री करमरकर** : मैं जनवरी-जून, १९५६ के आंकड़े दूंगा ।

सुस्थापित आयातकों के लिये ९२ करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये थे । वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये जिनकी फैक्टरियां हैं और जिन्हें अपनी फैक्टरियों में प्रयोग के लिये आयात किये गये माल की आवश्यकता होती है, १९१ करोड़ रुपये की लागत के लाइसेंस दिये गये थे । नवागन्तुकों के लिये १३ करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि कुछ चीजों के आयात और निर्यात व्यापार में नवागन्तुकों के लिये लाइसेंस देना पूर्णतः बन्द है ।

†**श्री करमरकर** : जी, हां । उनके लिये कुछ वस्तुयें बिल्कुल बन्द हैं । इससे सब बातों में अव्यवस्था हो जायेगी । नवागन्तुकों को लाइसेंस देना लाभदायक नहीं है । नवागन्तुक यह करता है कि वह विशेषकर यदि उसका लाइसेंस छोटा होता है तो पत्तन के व्यक्ति को कमीशन पर लाइसेंस बेच देता है ।

†**एक माननीय सदस्य** : उनमें से अधिकतर बेचे जाते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को बैठ कर बोलने वाले माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने का आवश्यकता नहीं ।

†**श्री वेलायुधन** : जैसे कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, गत वर्ष आयात और निर्यात सम्बन्धी व्यापार अन्तर लगभग ४०० करोड़ रुपये घाटे का था । क्या माननीय मंत्री द्वारा बताये गये तथ्य के कारण यह घाटा हुआ है ?

†**श्री करमरकर** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं भी नहीं समझा । वह प्रश्न को दुहरायें ।

†**श्री वेलायुधन** : कुछ दिन पूर्व समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि घाटे का व्यापार अन्तर लगभग ४०० करोड़ रुपये है । माननीय मंत्री ने कुछ तथ्य बताये हैं । क्या उन तथ्यों के कारण ही यह घाटे का व्यापार अन्तर हुआ है ?

†**श्री करमरकर** : क्या श्रीमान, प्रश्न को समझ सके हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर देना माननीय मंत्री का काम है ।

†**श्री करमरकर** : मैं समझ नहीं पाया । व्यापार संतुलन के प्रश्न का इस प्रश्न के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं । यदि व्यापार अन्तर कम है तो हम अपनी आपात नीति में उसके अनुसार परिवर्तन कर लेंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि कुछ नवागन्तुकों ने स्थापित निर्यातकों और आयातकों की सम्पत्तियां खरीद ली हैं । और क्या सरकार ने उन पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा है ? कुछ मामले सरकार के सामने हैं । उनकी सब अर्जियों पर निर्यात-आयात लाइसेंस के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

†**श्री करमरकर** : मेरे आदरणीय मित्र, वित्त मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इस प्रकार के कुछ मामले हैं, अभ्यंशों के हस्तान्तरण के लिये, एक प्रक्रिया नियत की गई है । यदि उस प्रक्रिया का पालन किया जाये और अधिकारी संतुष्ट हों, कि अपेक्षित हस्तान्तरण उचित हस्तान्तरण है और व्यापार जारी रखने के लिये अभ्यंश की आवश्यकता है, तो मुझे विश्वास है कि अधिकारी इन बातों पर उचित ध्यान देंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय वाणिज्य मंत्री के शब्द-जाल के अतिरिक्त, क्या हमें इस प्रश्न का सीधा उत्तर मिल सकता है कि कितने ऐसे मामलों में विभाग असफल रहा है जब ये लाइसेंस नवागन्तुकों या पुराने व्यापारियों द्वारा बाजार में बेचे गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री करमरकर : मेरे आदरणीय मित्र वित्त मंत्री ने जिस प्रकार के सौदों का अभी उल्लेख किया है, हम उन का पुरीक्षण करते हैं, और यदि कोई बुरा सौदा होता है तो हम उसकी अनुमति नहीं देते। समस्त उचित स्थानान्तरणों में हम पुराने समवाय के किसी नवीन पक्ष को वंचित करना नहीं चाहते। असली चीज व्यक्ति नहीं अपितु आयात या निर्यात करने वाला एकक है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*८३९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पुनर्वास मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धापा–मानपुर, मौजा, जिला २४ परगना, पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती क्षेत्र में अधिग्रहीत भूमि का कोई भी भाग शरणार्थी पुनर्वास के लिये आवंटित नहीं किया गया;

(ख) क्या संघ सरकार ने इसके लिये राज्य सरकार से प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) धापा-मानपुर, मौजा में कोई भूमि विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित नहीं की गई। धापा-मानपुर के समीपवर्ती गांवों की २१८ एकड़ भूमि विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये अधिग्रहीत करने की अधिसूचना जारी की गई है।

(ख) भारत सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन के लिये धापा-मानपुर मौजा की भूमि अधिग्रहीत करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम समझें कि सरकार ने धापा-मानपुर में काफी भूमि अधिग्रहीत नहीं की है, और राजरहाट-हारी तक बाग जोला के क्षेत्र में नहर के साथ जो भूमि पहले अधिग्रहीत की जा चुकी है उसे शरणार्थी-पुनर्वास के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : क्या माननीय सदस्या धापा-मानपुर मौजा का उल्लेख कर रही हैं या और किसी क्षेत्र का ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को दृष्टि में कि धापा-मानपुर क्षेत्र में कोई अधिक क्षेत्र अधिग्रहीत नहीं किया गया है, क्या हम यह निष्कर्ष निकालें कि सरकार उन भूमियों पर शरणार्थियों को बसायेगी, जो बाग-जोला-हारो क्षेत्र में नहर पर अधिग्रहीत किये गये हैं।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : कलकत्ता में एक बड़ी योजना के अधीन अधिग्रहण किया गया है, जिसे नार्थ साल्ट लेक योजना कहा जाता है; और जिसे पश्चिम बंगाल सरकार उच्च इंजीनियरों की सहायता से कार्यान्वित करेगी। उद्देश्य यह है कि कलकत्ता के विस्तार के लिये इसे उपयोग में लाया जाय। उस क्षेत्र में भी हम विस्थापित व्यक्तियों के लिये थोड़ी भूमि ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के उपलब्ध होने की संभावना अगले वर्ष तक उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पट्टे जारी रहेंगे।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो भाग अधिग्रहीत किये गये हैं, उनमें, पुनर्वास मंत्री के अनुसार, बामजोला शिविर क्षेत्र में जो शरणार्थी पहले से हैं, उन्हें ही, उन क्षेत्रों में बसाये जाने के बारे में प्राथमिकता दी जायेगी।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं प्राथमिकता के बारे में नहीं जानता। यह राज्य सरकार का मामला है, क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें कतिपय क्षेत्रों में बसाना राज्य सरकारों

†मूल अंग्रेजी में।

का उत्तरदायित्व है। मैंने पिछली बार अवश्य माननीय सदस्य को बताया था, यदि मुझे ठीक स्मरण है, कि हमारा इरादा वहां उन लोगों को रखने का है, जो इसके लिये अर्ह हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इसका क्या कारण है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को उस बड़े क्षेत्र का पर्याप्त भाग देने के लिये क्यों नहीं कहा, जो शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उनकी नार्थ साल्ट लेक योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल की सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र कलकत्ता क्षेत्र के विकास के लिये अधिग्रहीत किया जा रहा है और हमें इसमें से थोडा सा भाग मिल रहा है।

पाकिस्तानी हेलिकाप्टर (विमान) का उतरना

*८४१. { **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
श्री गिडवानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ नवम्बर, १९५६ को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तेहट्टा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी हेलिकाप्टर विमान उतरा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस विमान में एक पाकिस्तानी फौजी अफसर और दो अन्य विदेशी थे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). यह सच है कि नदिया जिले में तेहट्टा पुलिस चौकी के इलाके में बेटाई पर एक पाकिस्तानी हेलिकाप्टर, १२ नवम्बर, १९५६ को उतरा। उसमें दो अमरीकन थे और एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन जो अपनी वेश-भूषा से अर्दली जान पड़ता था। उतरने पर जब उन्हें यह पता चला कि वे भारतीय प्रदेश में हैं तो वे फौरन चले गये।

(ग) पाकिस्तान सरकार को पत्र भेज दिया गया है जिसमें उनसे यह देखने को कहा गया है कि ऐसी घटनायें भविष्य में न हों।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या सरकार पाकिस्तान की इस प्रकार की बार-बार की नाजायज़ और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हरकतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई मुस्तकिल हल सोच रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूर्वी पाकिस्तान के मेहरपुर में उतरना चाहते थे, परन्तु गलती से भारतीय क्षेत्र में उतर गये। उन्हें ज्यों ही ज्ञात हुआ कि वह भारतीय क्षेत्र में हैं, तो वे तुरन्त उस स्थान से चले गये।

†**श्री कामत :** क्या उपमंत्री जी सभा को यह बता सकते हैं कि क्या गत कुछ समय से और विशेषकर श्री सुहरावर्दी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बनने के समय से लेकर इस प्रकार के उल्लंघनों अथवा आक्रमणों की घटनाओं की संख्या बढ़ गयी है ? यदि हां, तो कल ही राज्य सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान प्रधान मंत्री की घोषणायें किसी विपत्ति की पूर्व सूचना प्रतीत होती है, इस प्रकार की घटनाओं से क्या प्रकट होता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या इस प्रकार की घटनायें बढ़ गई हैं, यह जानकारी दे दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की दुर्घटनायें बढ़ गयी हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैंने यह कहा था कि अतीत में ऐसा हुआ है कि जब कुछ होने वाला होता है तो हमारे विरुद्ध बहुत प्रचार किया जाता है तथा वक्तव्य दिये जाते हैं, इसलिये भगवान् जाने यह प्रचार आदि किस घटना की पूर्व-सूचना है।

†**श्री धुसिया :** वह हेलीकाप्टर वहां कितने घण्टे ठहरा रहा, और क्या उसके सभी यात्री उसमें ही बैठे रहे अथवा बाहिर भी आये थे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब वे गलती से ही उतरे थे तो उनके जहाज से बाहर आने या न आने से कोई फरक नहीं पड़ता।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** वे बाहर आये थे उन्होंने पूछताछ की और संकेत यह देखकर उसी समय वापिस चले गये। यह सारी घटना पांच मिनट में ही हो गयी।

†**श्री टेक चन्द :** इसका पाकिस्तान सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसका उत्तर ?

†**श्री टेक चन्द :** इस विमान द्वारा सीमा का उल्लंघन का।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह तो स्पष्ट है कि वह एक गलती थी। ऊपर से तो सीमा को पहचानना कठिन होता है। गलती से वे भारतीय क्षेत्र में कुछ अन्दर आ गये थे। उन्हें ज्यों ही यह पता लगा वे वापिस चले गये। मैं नहीं समझता कि वे भारतीय क्षेत्र में जानबूझ कर आये थे।

†**श्री टेक चन्द :** क्या यह विमान द्वारा सीमा का उल्लंघन केवल पहली बार हुआ है ? क्या यही केवल एक घटना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक हेलीकाप्टर का सम्बन्ध है, जहां तक मुझे ज्ञान है, यह सर्वप्रथम घटना है, परन्तु अन्य हवाई जहाजों की भारतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ने और उसके अन्दर आ जाने की कई घटनायें हुई हैं। उनके सम्बन्ध में इस सभा में कई बार बताया जा चुका है।

†**श्री कामत :** क्या समाचारपत्रों के इन समाचारों में कोई तथ्य है कि पाकिस्तान विदेशी सहायता से नये हवाई अड्डे बना रहा है और अपने पुराने अड्डों को सुदृढ़ कर रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का हेलीकाप्टर से उतरने के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री कामत :** इसका परोक्ष रूप से सम्बन्ध है।

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

*८४२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) ने श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग सरकार ने सामने रखी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रवैया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में हाल ही में जो प्रस्ताव पास किया है, वह सरकार के पास भेजा है।

(ख) कुछ उद्योगों के लिये वेतन बोर्ड नियुक्त करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी खास-खास मांगें क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली :** कोई खास मांगे नहीं हैं, यही वेतन बढ़ाने की मामूली मांग है कि उनका वेतन बढ़ना चाहिये ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व वित्त मंत्रालय से भी परामर्श करेगी ताकि इस बात का विनिश्चय किया जा सके कि क्या मजूरी बढ़ा देने से मुद्रा-स्फीति तो न होगी ?

†**श्री आबिद अली :** सरकार में सभी सम्बन्धित मंत्रालय आ जाते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस सम्बन्ध में उन उद्योगों को छोड़कर जहां मजूरी बोर्ड पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं, क्या करने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली :** विचाराधीन उद्योगों के लिये अभी तक मजूरी बोर्ड स्थापित नहीं किये गये हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है कि मजूरी बोर्डों की नियुक्ति होने तक तथा उस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय होने तक कर्मचारियों को मजूरी अस्थायी रूप से २५ प्रतिशत बढ़ा दी जाये ?

†**श्री आबिद अली :** मैं नहीं समझता कि अस्थायी रूप से अथवा एकदम मजूरी बढ़ा देने की कोई मांग है । मजूरी बढ़ाने की मांग की गयी है, और मजूरी बोर्ड ही उन उद्योगों के बारे में विचार करेंगे जहां कि बोर्ड स्थापित होंगे ।

†**श्री सारंगधर दास :** क्या सरकार का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न उद्योगों में मजूरी बढ़ाने की मांग है और केन्द्रीय सरकार के कम वेतन वाले कर्मचारी भी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इस मामले पर विचार करने के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली :** नहीं जी, अभी नहीं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जानकारी दे सकती है कि देश में मजूरियां बढ़ाने से मूल्य-स्फीति हो जाती है ? क्या सरकार इस बात का स्पष्टीकरण कर सकती है ?

†**श्री आबिद अली :** मजूरी बोर्ड का यही तो काम होगा । वह इस बात का खोज करेगा कि मजूरी को कितना बढ़ाना आवश्यक तथा न्यायसंगत होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री धुसिया ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मेरा प्रश्न और था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें फिर अवसर दूंगा । अब तो मैंने एक अन्य सदस्य को बुलाया है ।

श्री धुसिया : यह जो अधिक मजदूरी की मांग की गई है तो क्या इसके पैरलेल (समानान्तर) अधिक काम करके भी दिखाया है या उसी काम पर अधिक मजदूरी की मांग की है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि वेतन बढ़ाओ की मांग के साथ-साथ उत्पादन में भी कुछ वृद्धि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री आबिद अली : प्रोडक्शन (उत्पादन) काफी बढ़ा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने कहा था कि लागत की वृद्धि और वेतन वृद्धि के साथ उसके सम्बन्धों के प्रश्न का निर्णय मजूरी बोर्ड ही करेगा । परन्तु वास्तविकता यह है कि मजूरियां बढ़ गयी हैं और उनका विस्तार होता रहा है । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण दे सकती है कि मजूरियों के विस्तार तथा वृद्धि के कारण ही देश में मूल्य-स्फीति हुई है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या कोई प्रस्थापना प्रस्तुत करती हैं फिर उसकी व्याख्या करती हैं और जब माननीय मंत्री उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं तो फिर शिकायत करती हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है यदि उनका प्रश्न स्पष्ट और निश्चित होता तो उसी प्रकार उसका उत्तर भी दिया जाता ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : लागत स्फूर्ति का प्रश्न तो बड़ा सरल है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक व्यक्ति के लिये नहीं । माननीय मंत्री यदि उत्तर दे सकें तो दें ।

†**श्री आबिद अली** : यदि यही प्रश्न है तो निस्सन्देह निर्वाह व्यय में तो कुछ वृद्धि हुई ही है ।

†**श्री वेलायुधन** : मजूरी बोर्ड की नियुक्ति में देर हो जाने के कारण क्या मजूरी वृद्धि के मामले का निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : कोई देरी नहीं हुई है, माननीय सदस्य ने गलत समझा है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : आज के श्रमिक की कार्यकुशलता का १० वर्ष पूर्व के श्रमिक की कार्यकुशलता से जब कि उसे केवल १८ रुपये मिलते थे, क्या अनुपात है ?

†**श्री आबिद अली** : कार्यकुशलता अब अधिक है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : कार्यकुशलता का अनुपात क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : उसके सम्बन्ध में तो बहुत कुछ कहना होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच नहीं है कि जिस अनुपात से देश में उत्पादन बढ़ा है, उसी प्रतिशतता से मजूरियों में वृद्धि नहीं हुई है ?

†**श्री आबिद अली** : मजूरियां भी बढ़ी हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उसी अनुपात से नहीं ।

उत्तरी सीमा

*८४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** १८ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उत्तरी सीमा के समानान्तर खींची गई "प्रान्तरिक रेखा" में संशोधन करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, क्या उसके बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जा सकती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) और (ख). भारत सरकार और सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बदली गई 'इनर लाइन' (आन्तरिक रेखा)

†मूल अंग्रेजी में ।

की स्थिति के मोटे सिद्धांतों का फैसला कर लिया है। इन फैसलों पर अमल हो रहा है और उम्मीद है कि नई लाइन को बताने के बारे में एक विज्ञप्ति जल्दी ही प्रकाशित कर दी जायेगी और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ दिया जाय।

(**उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया**)।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि वे कौन से आधार हैं जिनके सिलसिले में इस रेखा का संशोधन किया जा रहा है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : मुख्य सिद्धांत यह हैं : (१) १९५४ में प्रधान मंत्री द्वारा १९५४ में दिये आदेश के अनुसार अधिक विस्तृत क्षेत्रों को सम्मिलित करना, (२) अपनी सीमा पार की आन्तरिक रेखा की अविरामता को कायम रखना क्योंकि यह प्राकृतिक और स्पष्ट रूप निश्चित स्थानों के सहारे से जा रही है और (३) इससे निरीक्षण सरल हो जाय।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि बद्रीनाथ सरीखा स्थान जो सारे भारतवर्ष का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और "वैली आफ फ्लावर्स" (फूलों की घाटी) जिसको कि देखने के लिये दुनिया के कोने-कोने से लोग आते हैं वे वहां इसलिये नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनर लाइन की वजह से अड़चन पड़ती है तो क्या इस बारे में भी विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : प्रश्न के इस भाग के उत्तर के लिये मुझे नोटिस चाहिये।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को यह पता है कि आन्तरिक और बाह्य लाइनों के बीच का स्थान अब समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि चीनी हमारी सीमाओं को अन्याक्रांत करते जा रहे हैं ? आसाम, अलमोड़ा और गढ़वाल में ऐसी कई घटनायें हुई हैं जहां कि उन्होंने वस्तुतः आन्तरिक लाइन को भी पार कर लिया है। क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी और चीन की मित्र सरकार से हमारे राज्य क्षेत्र में अन्याक्रांति न करने के लिये कहेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : नहीं यह सूचना ठीक नहीं है।

†**श्री च० द० पांडे** : यह बिलकुल ठीक है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या यह सच है और क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत की आन्तरिक लाइन की, चाहे वह उत्तर में हो अथवा पूर्व में हो अथवा पश्चिम में हो, हमारे सीमावर्ती मित्रों द्वारा अन्याक्रांति की गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह सच नहीं।

†**श्री टेक चन्द** : कागज पर नहीं धरती पर सीमा लाइन को अंकित करने का ठीक-ठीक तरीका क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह लाइन तो कागज पर ही है।

†**श्री च० द० पांडे** : आसाम में एक "मैक्मोहन" लाइन है। मैक्मोहन लाइन और तिब्बत की सीमा पर चीन के भूतपूर्व राज्य क्षेत्र के बीच एक विशाल क्षेत्र था ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सीधा होना चाहिये।

†**श्री च० द० पांडे** : वह राज्य क्षेत्र तंग होता जा रहा है। इसे रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : उत्तर और पूर्व की ओर की हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें तो बहुत स्पष्ट हैं और सुज्ञात हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे पहले प्रश्न को शायद माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये । मेरा मतलब यह था कि बहुत से विदेशी, जो केवल पर्यटन के लिये जाना चाहते हैं, इनर लाइन के बन्धन की वजह से नहीं जा पाते क्या ऐसे इलाकों, अर्थात् इनर लाइन पर के स्थानों, का संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस मामले का पता निश्चय ही उत्तर प्रदेश सरकार को होगा, और हमें इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, उसने इस मामले पर निश्चय ही विचार किया है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या गुम-गुम नाला नाम का स्थान अभी भी हमारे कब्जे में है, अथवा तिब्बत द्वारा ले लिया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर देना कठिन होगा ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : एक अलग प्रश्न पूछा जा सकता है ।

†**श्री कामत** : क्या चीन की सरकार ने उन पुराने नक्शों को, अधिक पुराने नहीं थे वह, जो देश में दो-तीन वर्ष पहले तक प्रचलित थे और जिनमें भारतीय राज्य क्षेत्र के कुछ भागों को चीन में सम्मिलित दिखाया गया था, प्रचलन से वापस ले लिया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : माननीय सदस्य उस नक्शे का उल्लेख कर रहे हैं जो कि तीन वर्ष पहले परिचालन में था, इस सदन में इस मामले पर कई बार चर्चा हो चुकी है ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या यह शिकायत दूर कर दी गई है ?

औद्योगिक सामान के लिए सोवियत ऋण

†*८४५. { **श्री ह० ग० वैष्णव** :
श्री वेलायुधन :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री काजरोल्कर
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने औद्योगिक सामान खरीदने के लिये भारत को कोई ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की राशि कितनी है ; उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण को किस प्रकार से काम में लाने की प्रस्थापना है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ग) इस साधन से जिन परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी जायेगी, उन पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : यह सामान कितनी किश्तों में दिया जाने को है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : लोक-सभा पटल पर मैंने जो विवरण रखा है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन शर्तों पर इस ऋण का देने का प्रस्ताव किया गया है । इसकी अदायगी १२ वर्ष की अवधि में की जायेगी ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या इस सामान के साथ-साथ उनके कार्यकरण को ठीक ढंग से निर्देशित करने के लिये कोई कुछ विशेषज्ञ भी आयेंगे ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह ब्योरे सम्बन्धी मामले हैं और इनके विषय में मैं बाद में ही बताना चाहूंगा ।

†**श्री वेलायुधन** : इस सहायता के अन्तर्गत कुल कितनी निधि होगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह सब सूचना दी गई है । यह धनराशि लगभग ५० करोड़ रूबल होगी जो कि ५५ से ६० करोड़ रुपये के लगभग होगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस ऋण पर हमें कितना ब्याज देना होगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : ढाई प्रतिशत ।

†**श्री वेलायुधन** : यह ऋण कुछ वर्षों में धीरे-धीरे मिलेगा अथवा एक साथ ही मिलेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह सब बातें विस्तार से लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई हैं ।

भारतीय रुई

†*८४६. { **श्री कामत** :
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई की प्रत्येक प्रमाणित किस्म के लिये १९५५ और १९५६ में क्रमशः निम्नतम और अधिकतम मूल्य क्या निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या किसी वर्ष में प्रत्येक किस्म के लिये एक बार निर्धारित किये गये निम्नतम और अधिकतम मूल्य बदले नहीं जा सकते हैं अथवा उनमें रूपभेद किया जा सकता है; और

(ग) यदि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है तो किन परिस्थितियों में और किन आधारों पर ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५५–५६ और १९५६–५७ के रुई सीज़न में भारतीय रुई के निम्नतम और अधिकतम मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९**]

(ख) किसी सीजन में भारतीय रुई की विभिन्न प्रकार की किस्मों के लिये निर्धारित निम्नतम और अधिकतम मूल्य उस समूचे सीज़न विशेष में लागू रहते हैं और उसी सीज़न में उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गत वर्ष, अर्थात् १९५५–५६ में, बाज़ार के बन्द होने के बाद दो सप्ताहों के लिये अधिकतम मूल्य प्रति कंडी ८४० रुपये से ७०० रुपये तक दिया गया था ? क्या यह भी सच है कि माननीय मंत्री के सहयोगी, डा० पं० शा० देशमुख, कृषि मंत्री, ने राज्य-सभा में इस परिवर्तन के सम्बन्ध में कहा था कि यह उत्पादकों के हित में नहीं था ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है । मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**श्री कामत** क्या यह सच है कि माननीय मंत्री के पास प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में भी सूचना नहीं है ? उन्होंने कहा है कि दूसरे भाग के लिये उन्हें पूर्व-सूचना चाहिये ?

†**श्री कानूनगो** : पहले भाग के लिये भी ।

†**श्री कामत** : पहले भाग के सम्बन्ध में भी उनके पास सूचना नहीं है । यह एक विचित्र-सी बात है । दुर्भाग्यवश उनके भूतपूर्व वरिष्ठ सहयोगी इस समय यहां नहीं हैं, अन्यथा उनसे इसका उत्तर देने के लिये कहा जा सकता था । क्या वाणिज्य मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं है ? वे उस समय बम्बई में थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि उन्हें जानकारी होती तो वे खड़े होकर बता देते । क्या माननीय सदस्य कोई अन्य प्रश्न भी पूछना चाहते हैं ?

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि अभी कुछ ही दिन पहले, २९ नवम्बर को, वित्त मंत्री ने कहा था कि बम्बई में रुई, अर्थात् विजय रुई का––जो कि विवरण में उल्लिखित विभिन्न क़िस्मों में से एक है––मूल्य, प्रति कंडी ७४९ रुपये मूल्य बहुत ही उचित था, जबकि गत वर्ष उन्होंने इसी मूल्य को बहुत अधिक माना था और उसे घटाकर ७०० रुपये कर दिया था, हालांकि गत वर्ष केवल ४३ लाख गांठों की फसल होने की ही आशा थी, जबकि इस वर्ष में ५५ लाख गांठों की फसल होने की आशा है ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य ने जिस विवरण का उल्लेख किया है, मैं उससे अनभिज्ञ हूं ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री नितांत अनभिज्ञ हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या रुई के अधिकतम और निम्नतम मूल्य निर्धारित करते समय क्या सरकार विदेशी रुई, विशेषकर मिस्री रुई के सम्भरण की स्थिति से मार्ग-दर्शित होती है ? यदि हां, तो मिस्री रुई का सम्भरण बन्द हो जाने के बाद से रुई के मूल्य के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : मुख्य प्रश्न तो अपने देश में ही उत्पादित रुई का पर्याप्त मूल्य निर्धारित करने और भूमि को खाद्यान्नों की फसलों से हटा कर रुई की फसलों में लगाने की प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में है । अन्य बातों पर भी विचार करना पड़ता है ।

जहां तक कि अन्य देशों से लम्बे रेशे वाली रुई की, जिसमें मिस्री रुई भी सम्मिलित है, आयात सम्बन्धी स्थिति का प्रश्न है, अवस्था बड़ी ही आशाप्रद है ।

†**श्री कामत** : क्या सभा इससे यह समझे कि एक मौसम के लिये एक बार अधिकतम और निम्नतम मूल्य निर्धारित कर दिये जाने पर फिर उनमें कभी परिवर्तन नहीं किया जाता ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री कानूनगो** : अभी तक तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

†**श्री कामत** : इससे आपको ही हानि उठानी पड़ेगी।

सोवियत संघ द्वारा नाभिकीय परीक्षण

†*८४७. **श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ नवम्बर या इसके आस-पास भी सोवियत संघ द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षण के विस्फोट का पता भारत में इसी प्रयोजन के लिये किये गये प्रबन्धों द्वारा लगा लिया गया था; और

(ख) क्या इस परीक्षण के क्षेत्र और परिमाण के सम्बन्ध में मोटे तौर पर या कोई ठीक-ठीक अनुमान लगाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) बम्बई में दर्ज की गई वायु की रेडियम धर्मिता में २० और २१ नवम्बर को ४० प्रतिशत वृद्धि होने का पता लगा था। २३ नवम्बर के बाद वह सामान्य स्तर पर आ गई थी। रेडियम धर्मिता में यह वृद्धि अनुमानतः पहले एक नाभिकीय विस्फोट के कारण ही हुई है।

(ख) पिछले अवसरों पर, नाभिकीय विस्फोटों के कारण वायुमंडलीय रेडियम धर्मिता में ४०० से ५०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। इसलिये, सम्भव है कि इस विस्फोट का परिमाण के कुछ विस्फोटों की अपेक्षा कम था।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या यह कहा जा सकता है कि रेडियम धर्मिता का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसी आशंका कि जापान में की जा रही है ? क्या यह वर्तमान वृद्धि खतरनाक है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभी तक रेडियम धर्मिता के जिन स्तरों को मापा गया है, वे सभी खतरे के बिन्दु से काफी नीचे हैं। जहां तक कि उसके बढ़ते जाने का प्रश्न है, यह वृद्धि कोई लगातार नहीं होती जा रही है। यह तो प्रत्येक विस्फोट को अलग-अलग से मापने का प्रश्न है, और इस प्रकार पिछला विस्फोट एक अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर था।

मैं इसके साथ यह भी बता दूँ कि भारतीय अन्तरिक्षशास्त्रीय विभाग की सहायता से दिल्ली, नागपुर, कलकत्ता और बंगलौर में वर्षा के जल और धूलि कणों के नमूनों का संग्रह करने और उन्हें प्रतिदिन परीक्षण के लिये बम्बई भेजने का प्रबन्ध किया जा चुका है। श्रीनगर और अन्य केन्द्रों में भी इसी प्रकार के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : जापान में यह आशंका प्रकट की जा रही है कि रेडियम धर्मिता के समूचे संचय में लगातार वृद्धि ही होती जा रही है। क्या इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े यहां उपलब्ध हैं या यहां उपलब्ध किये जायेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रत्येक अवधि में लगातार बढ़ती ही जा रही है या वह कभी-कभी घट भी जाती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, केवल यही कह सकता हूं कि अभी तक वह खतरे के बिन्दु से बहुत नीचे है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल शोधक कारखाने

†*८१३. { **श्री बंसल :**
श्री गिडवानी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बरमा शेल रिफाईनरी, स्टैण्डर्ड वैकुअम रिफाइनिंग कम्पनी और कालटैक्स ऑयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के लागत-ढांचे की परीक्षा की है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : बरमा शेल और स्टैण्डर्ड वैकुअम ऑयल रिफाइनरीज के लागत-ढांचे की परीक्षा की जा रही है। कालटैक्स ऑयल रिफाइनरी अभी बनाई जा रही है ।

अफगानिस्तान में अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें

†*८१७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को वहां अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें स्थापित करने में सहायता दी है;

(ख) अभी तक दी गई सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसी कितनी वेधशालायें स्थापित की जा चुकी हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). मैं मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]**

दक्षिणी ध्रुव प्रदेश

†*८१९. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिणी ध्रुव प्रदेश के सम्बन्ध में संयुक्तराष्ट्र संघ में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१]**

इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह बता देना चाहता हूं कि हमने इस बीच महासभा के चालू सत्र की कार्यावलि में इस विषय के भी सम्मिलित किये जाने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

†*८२१. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र भेजे गये पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से विस्थापित स्त्री-बच्चे कलकत्ता लौट आये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या किसी आश्रम में उनके लिये स्थान की व्यवस्था कर दी गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां। कुछ कलकत्ता लौट गये हैं।

(ख) अभी इस समय तो पश्चिम बंगाल सरकार ने मिदनापुर के आवास केन्द्र में उनके लिये स्थान की व्यवस्था कर दी है।

कोयला खदानें

†*८२२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कोयला खदानों को बचाव के लिये थाक लगाने और संरक्षण करने के लिये सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) क्या कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षितता) अधिनियम और नियमों का पालन न करने पर किसी कोयला खदान को दण्ड दिया गया ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) बचाव के लिये थाक लगाना : ६१,४१,४२३–१५–० रुपये

संरक्षण के लिये थाक लगाना : बिलकुल नहीं।

(ख) जी, नहीं।

डाक तथा तार कर्मचारी (हैदराबाद सर्किल)

†*८२३. **श्री का० सु० राव** : क्या **संचार** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य में हैदराबाद डाक सर्किल के भूतपूर्व कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता को केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तुलना में निर्धारित करने का कार्य इस बीच में पूरा कर लिया गया है;

(ख) उसके कब तक अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) फरवरी, १९५७ तक। हां, उसे और भी पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) फेडरल वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिये गये भूतपूर्व देशी राज्यों के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश अभी हाल ही में जारी किये गये हैं। इन आदेशों के आधार पर संयुक्त सर्किल पदक्रम सूचियां तैयार करने में कुछ समय लग जायेगा। सम्बन्धित अधिकारियों से इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिये कह दिया गया है।

संचार मंत्रालय के भवन निर्माण-कार्य

†*८२५. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल संचार मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम के लिये ही अलग से बनाये गये केन्द्रीय जनवास्तु विभाग के एक पृथक् डिवीजन ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसके बाद से कितने भवनों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा चुका है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) संचार मंत्रालय के निर्माण-कार्यों को केन्द्रीय जनवास्तु विभाग का कोई एक डिवीजन (विभाग) अलग से नहीं चलाता है बल्कि इन निर्माण-कार्यों से सम्बन्धित सभी डिवीजनों को एक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के नियंत्रण में रख दिया गया है, जबकि इस नवीन व्यवस्था से पहले तीन अतिरिक्त मुख्य इंजीनियरों पर इनका भार रहता था ।

(ख) एक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के नियंत्रण के अधीन इनको एकीकृत किये जाने के बाद से अब तक २४ निर्माण-कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं ।

कोयला उत्पादन की लागत

†*८२८. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में अपनी गैर-सरकारी कोयला खानों से टाटा तथा इंडियन आयरन कम्पनीज द्वारा निकाले गये कोयले के सम्बन्ध में प्रति टन कोयला उत्पादन की क्या वास्तविक लागत है और प्रशुल्क आयोग ने क्या लागत स्वीकार की है:

(ख) क्या दोनों समवायों में यह एक ही है; और

(ग) उपरिवर्णित कोयले की प्रति टन लागत, पड़ोस की कोयला खदानों से निकाले गये इसी प्रकार के प्रति टन कोयला की लागत की तुलना में क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). इस्पात का संधारण मूल्य निर्धारित करने के लिये कोयला खदान खण्ड के सिलसिले में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन २६ जुलाई, १९५६ को सभा-पटल पर रखा गया था । उस पर सरकार का संकल्प भी, जिसमें अन्य बातों के साथ इस्पात समवायों द्वारा निकाले गये कोयले की लागत के बारे में विचार किया गया था, इस प्रतिवेदन के साथ सभा-पटल पर रखा गया था । टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड तथा इंडियन लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड द्वारा निकाले गये प्रति टन कोयले की औसतन लागत प्रशुल्क आयोग द्वारा क्रमशः २० रुपये ४ आने और १६ रुपये ८ आने लगाई गई थी, जबकि बाजार की कोयला खदानों के उसी प्रकार का कोयले का मूल्य क्रमशः १५ रुपये ४ आने और १४ रुपये ४ आने था ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†*८३२. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों को सैनिक कर्मचारियों के संरक्षण में ले जाने वाले वाहन पर, अंगूरीमोकोक-चुंग सड़क पर नागा विद्रोहियों की टोलियों ने २५ अक्तूबर, १९५६ को आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो विद्रोहियों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) इस घटना का अन्य ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) से (ग). २५ अक्तूबर, १९५६, को उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के वित्तीय सलाहकार, नीफा के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, तुएनसांग के एग्जेक्यूटिव इंजीनियर और सह वित्तीय सलाहकार तथा शीघ्रलिपिक, नीफा के तुएगसांग सीमान्त डिवीजन के दौरे से वापिस आ रहे थे । वे आसाम राइफल के संरक्षण में थे । आसाम की नागा

†मूल अंग्रेज़ी में ।

पहाड़ी जिले में मोकोकचुंग सड़क पर विद्रोहियों ने उन पर गोली चलाई। इसके परिणामस्वरूप, आसाम राइफल्स के एक ड्राइवर और उपरोक्त शीघ्रलिपिक, की घावों के कारण मृत्यु हो गयी। आसाम राइफल्स का एक और कर्मचारी भी घायल हुआ। विद्रोहियों के विरुद्ध प्रति-आक्रमण के फलस्वरूप एक विद्रोही मारा गया और एक राइफल तथा १५ कारतूस पकड़े गये।

छोटे उद्योगों के लिये ऋण की सुविधायें

†*८३३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण की सुविधाओं के सम्बन्ध में जो इस समय भारत के राज्य बैंक द्वारा प्रदान की जा रही हैं, समन्वित कार्यक्रम बनाने के लिये नौ अग्रिम परियोजनाओं में जो प्रयोग किये गये हैं उन का मुख्य ब्योरा क्या है; और

(ख) यह प्रयोग कब तक जारी रहेगा ?

†**उपभोक्ता उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२**]

निर्यात ऋण प्रत्याभूति योजना

†*८३५. **श्री तुलसी दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ६ अगस्त, १९५६, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात ऋण प्रत्याभूति समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात ऋण प्रत्याभूति योजना चलाने के बारे में विविध सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). निर्यात ऋण प्रत्याभूति समिति की सिफारिशें अभी परीक्षणाधीन हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण संस्थाओं, वाणिज्य मंडलों, बैंकों और व्यापार तथा उद्योग के सदस्यों से जिन्होंने समिति की प्रश्नावलि के उत्तर दिये थे या मौखिक साक्ष्य दिया था टिप्पणियां मांगी हैं। कुछ से अभी ये टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकार का इन टिप्पणियों पर पूर्ण विचार करने के उपरांत समिति की सिफारिशों पर अपने विचार निश्चित करने का है।

अशोक होटल

†*८३६. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **निर्माण आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) होटल के कर्मचारियों का वार्षिक अनुमानतः व्यय कितना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ३० नवम्बर, १९५६ को होटल के कर्मचारी ७६९ थे।

(ख) कर्मचारियों पर अनुमानित वार्षिक व्यय ७·६७ लाख रुपये है।

इस्पात समानीकरण निधि

†*८३७. **श्री क० कु० बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात समानीकरण निधि में अब तक कुल कितना धन जमा हो चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) कितना धन उपयोग में लाया गया है और किस प्रकार;

(ग) क्या टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी तथा इंडियन लोहा और इस्पात कम्पनी को सरकार से कोई वित्तीय सहायता मिली है और यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(घ) उनके विकास कार्यों की कहां तक प्रगति हुई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). मुख्यतः लोहा और इस्पात के संविहित विक्रय मूल्य तथा उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्य के बीच के अन्तर से लोहा और इस्पात समानीकरण निधि बनती है। अक्तूबर, १९५६ के अन्त तक निधि में लगभग ६८·८ करोड़ रुपये थे जिसमें से ३७·४४ करोड़ रुपये लोहा और इस्पात के मूल्यों के समानीकरण के लिये प्रयोग में लाये गये थे और १५·१६ करोड़ रुपये टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड तथा इंडियन लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड को प्रतिदेय अग्रिम के रूप में दिये गये थे।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]**

(घ) इस्पात समवायों का विस्तार कार्यक्रम के अनुसार बढ़ रहा है।

अगिया घास तेल

†*८३८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ४११ पर जो कहा गया है कि अगिया घास तेल से विटामिन ए तैयार करने का प्रश्न परीक्षणाधीन है क्या इसका परीक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विटामिन ए के उत्पादन के लिये फैक्टरी स्थापित की जाने की प्रस्थापना है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी, नहीं। इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

बर्मा में भारतीयों द्वारा अभ्यावेदन

†*८४०. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के विदेशी पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये शुल्क देने के नवीन उपबन्ध के बारे में बर्मा के भारतीयों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है : और

(ख) इसको हल करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). जी, हां। अखिल बर्मा भारतीय कांग्रेस ने इस विषय पर उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति हमें भेजी है। उसने बर्मा संघ की सरकार से इन नवीन नियमों में परिवर्तन करने की प्रार्थना की है। बर्मा स्थित भारत के राजदूत, ने जिसे अभ्यावेदन दिया गया था; बर्मा सरकार के साथ यह मामला उठाया है।

इन नवीन पंजीयन नियमों के अनुसार, सब विदेशियों को अपने विदेशी पंजीयन प्रमाणपत्रों को प्रतिवर्ष २५ क्यात शुल्क देकर नवीन करवाना पड़ता है। जब विदेशी विदेश से थोड़े समय के पश्चात् वापिस आते हैं तो उन्हें प्रमाणपत्र की पुनर्मान्यता के लिये १५ क्यात शुल्क भी देना पड़ता है। १ अक्तूबर, १९५६ से नियम लागू हुए हैं और पंजीयन के लिए निर्धारित एक मास के समय को एक और महीने तक बढ़ा दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्रीलंका में भारतीय

†*८४४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लोगों की नागरिकता का मामला इस समय किस स्तर पर है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) :** लन्दन में भारत तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों के बीच इस विषय पर प्रारम्भिक और अमान्य ढंग से संक्षिप्त वार्तालाप हुआ था, जब वे इस वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में वहां गये थे। तब यह निर्णय किया गया था कि बाद की किसी सुलभ तारीख पर इस बातचीत को जारी किया जाये।

खानों में शिशु-गृह

†*८४९. **श्री देवगम :** क्या **श्रम** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारबिल, बाड़ा-जायदा, नोआमुंडी और दंगुआपोश खान क्षेत्रों में सात खान मालिकों के विरुद्ध "कारण बताओ नोटिस" जारी किये जाने के परिणामस्वरूप खान मालिकों ने अब खनिकों के बच्चों के लिये शिशु-गृहों की व्यवस्था कर दी है;

(ख) क्या शिशु-गृहों में सब अनिवार्य सुविधायें अच्छी तरह प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या बच्चों का उचित ध्यान रखने के लिये प्रशिक्षित नर्सें रखी गई हैं; और

(घ) क्या खनिक वास्तव में शिशु-गृहों का उपयोग उठाते हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) पांच खान मालिकों ने शिशु-गृह बनाना आरम्भ किया है। एक खान बन्द हो गई थी और बाद में २६ अक्तूबर, १९५६ को पुनः खुली थी। खान के मालिक को पुनः शिशु-गृह की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है। शेष एक खान अस्थायी अनुज्ञा के अधीन चल रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लन्दन में भारतीय उच्च आयोग

†*८५०. { **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :
श्री गिडवानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उच्च आयोग, लन्दन के भारतीय क्लर्कों की वार्षिक वेतन-वृद्धि को गत वर्ष जुलाई के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया था;

(ख) क्या ये वार्षिक वेतन-वृद्धियां दे दी गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों; और

(घ) लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जुलाई, १९५५ में, इंग्लैंड सरकार द्वारा इंग्लैंड में असैनिक सेवाओं के कुछ वेतन-क्रमों के लिये वेतन-वृद्धि की घोषणा की गयी थी।

(ख) अपने निजी असैनिक कर्मचारियों के लिये इंग्लैंड सरकार द्वारा मंजूर वेतन-वृद्धियां स्वतः लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होतीं। भनकाल में भारत सरकार ने उचित विचार के पश्चात् अपने निजी कर्मचारियों को इसी प्रकार वेतन-वृद्धियां दी हैं। इंग्लैंड सरकार द्वारा जुलाई, १९५५ में घोषित की गई वेतन-वृद्धि का लाभ भारतीय उच्च आयोग के कुछ वेतन-क्रमों के कर्मचारियों को देने के बारे में जिनमें क्लर्क सम्मिलित हैं, निर्णय किया जा चुका है। दूसरे वेतन-क्रमों के बारे में, मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) उपरोक्त (ख) देखिये।

इंगलिस्तानी वस्त्र मिशन

†*८५१. { **श्री बंसल :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बहादुर सिंह : }

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलिस्तानी वस्त्र मिशन भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो मिशन के साथ क्या बातचीत हुई थी ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। सूचना मिली है कि वह मिशन जनवरी, १९५७ में आयेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३

†*८५२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जसा कि नवम्बर, दिसम्बर, १९५५ के सत्र में श्रम उपमंत्री ने आश्वासन दिया था, कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में संशोधन करने वाला विधेयक लाने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : अन्तर्ग्रस्त मामलों के कारण और विभिन्न संबद्ध हितों से परामर्श करने की आवश्यकता के कारण इस प्रस्थापना को पूरा करने में समय लग गया है।

भूकम्प चित्रक स्टेशन

†*८५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि सोवियत संघ के विभिन्न भागों में सत्तर भूकम्प चित्रक स्टेशन हैं जहां विश्व के किसी भी भाग में होने वाले आणविक और परमाणु विस्फोट अंकित किये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में ऐसे स्टेशन स्थापित करने का विचार करती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सोवियत संघ के भूकम्प चित्रक स्टेशनों और उनके यांत्रिक सामान के बारे में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस समय शिलांग की केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी वेधशाला में एक विशेष प्रकार का सक्रिय भूकम्प चित्रक लगा हुआ है, जो अणु और परमाणु बमों के दूर के विस्फोटों द्वारा होने वाले कृत्रिम झटकों को रिकार्ड करने में समर्थ है। भारत में कुछ अवशिष्ट भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी वेधशालाओं में इस प्रकार का भूकम्प चित्रक यंत्र स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।

विमान परिवहन परिषद्

†*८५४. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिवहन परिषद् ने जांच करने के पश्चात् किरायों और भाड़ों की दरों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) क्योंकि किरायों और भाड़ों की दरों के ढांचे से सम्बन्धित प्रश्न एक जटिल प्रश्न है और उसमें कई महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में ब्योरेवार जांच की जाती है, अतः विमान परिवहन परिषद् द्वारा अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुड़िया बनाना

†*८५५. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक गुड़िया बनाने वाले एक जापानी विशेषज्ञ को शिविरों में विस्थापित व्यक्तियों को गुड़िया बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिये बुलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने प्रशिक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों ने जिन विस्थापित व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किया है, उन्हें कपड़े की गुड़ियां बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिये भारत सरकार द्वारा एक जापानी विशेषज्ञ और एक टेक्नीशियन (प्रविधिज्ञ) को आमंत्रित किया गया है। उपरोक्त प्रयोजन के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र २९ अक्तूबर, १९५६ से अरब की सराय, नई दिल्ली में खोल दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या ५८ है।

गोआ की मेंगनीज़ अयस्क खानें

†*८५६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला सिंघभूम की गोआ मेंगनीज़ अयस्क की खानों की बकाल पट्टियों में श्रमिकों के बच्चों के लिये कोई बच्चों का स्कूल है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†*८५७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्र समूह अधिनियम को लागू किये जाने के कारण कितने भारतीयों को अब तक उनके मकानों और कारोबार से वंचित किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : क्षेत्र समूह अधिनियम, १९५० केवल जोहेन्सबर्ग में ही प्रख्यापित किया गया है । इस प्रख्यापन के जो कि अगस्त, १९५५ में गजट में प्रकाशित किया गया था, निबन्धनों के अनुसार, ९,००० से अधिक भारतीयों को दो वर्ष के भीतर जोहेन्सबर्ग के पश्चिमी क्षेत्रों को खाली करने की पूर्व-सूचनायें दी गई हैं । कुछ को एक वर्ष में ही खाली करने का निदेश दिया गया है; शेष को दो वर्ष में । इन ९,००० भारतीयों में से ७५० व्यापारी हैं । एक अनुमान के अनुसार अन्ततः कोई २२,००० भारतीयों को जिनकी जोहेन्सबर्ग में लगभग १,००,००,००० पौंड के मूल्य की सम्पत्ति है, विस्थापित कर दिया जायेगा ।

हथकरघा उद्योग का केन्द्रीय मार्केटिंग संगठन

*८५८. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री ६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा उद्योग के केन्द्रीय मार्केटिंग संगठन के लिये सन् १९५६–५७ के बजट की रकम सन् १९५५–५६ के बजट की रकम की अपेक्षा क्यों बहुत अधिक रखी गई है, यद्यपि इस संगठन में विस्तार नहीं किया जाने वाला है ?

उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : रकम बढ़ाने के कारण ये हैं :

(क) १९५५ की साल के बीच में और प्रादेशिक तथा उप-प्रादेशिक कार्यालय खोले गये जिनके लिये १९५६–५७ में पूरी व्यवस्था करनी पड़ी;

(ख) १९५५–५६ में जो जगहें खाली थीं, उनके सिलसिले में १९५६–५७ के बजट में व्यवस्था की गयी; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है ।

रूसी विमान सेवा

†*८५९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस की सरकार मास्को और रंगून के बीच दिल्ली के रास्ते से एक विमान सेवा आरम्भ करने की प्रस्थापना करती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : नहीं श्रीमान् । हमें ऐसी किसी प्रस्थापना का कोई ज्ञान नहीं है ।

डाक तथा तार अस्पताल समिति, पटना

†*८६०. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री देवगम :
श्री राम नारायण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना की डाक तथा तार अस्पताल समिति के कुछ वित्तीय तथा अन्य सहायता दिये जाने के अभ्यावेदन पर, क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : समिति ने वित्तीय सहायता मांगने के साथ-साथ कुछ और प्रस्थापनायें भी भेजी थीं। चिकित्सालय के चिकित्सा पदाधिकारी को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी अभिस्वीकृत किये जाने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। वित्तीय सहायता सहित प्रार्थनाओं पर सरकार अभी विचार कर रही है।

गोआ

†*८६१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों के कार्यकरण और उनके प्रभाव का पुनर्विलोकन अथवा जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है; और

(ग) ये प्रतिबन्ध कितनी देर रहेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). गोआ के सम्बन्ध में कतिपय आर्थिक कार्यवाहियां की गई हैं। इन्हें निश्चित रूप से आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं कहा जा सकता है। उनकी समय-समय पर जांच की जाती है और उनका निरंतर पुनर्विलोकन किया जाता है। इन कार्यवाहियों का ब्योरा देना अथवा उनसे अब तक प्राप्त परिणामों को बताना लोक-हित म नहीं होगा।

शिखर सम्मेलन

*८६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने मिस्र के प्रश्न पर "शिखर सम्मेलन" (उच्च-स्तरीय सम्मेलन) का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या फल हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और सोवियत रूस की सरकारों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था लेकिन अन्य तीनों देश—अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस—ऐसे सम्मेलन के लिये राजी नहीं थे।

झिलमिलियां बनाने वाला कारखाना

†*८६३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री २७ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा झिलमिलियां निर्माण कारखाना तुंगभद्रा बांध का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिये जाने के सम्बन्ध में वार्ता को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब ले लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो शीघ्र निबटारे में किन कारणों से रुकावट पड़ रही है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). अभी नहीं, श्रीमान्। इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में आंध्र सरकार के विचार, जो कि कारखाने के स्वामियों में से एक हैं, अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके मिलने पर इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप देने का प्रयत्न किये जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में।

प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का सहयोग

†*८६४. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :
श्री गिडवानी :

क्या **श्रम** मंत्री १० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा लोहा और इस्पात समवाय और टाटा श्रमिक संघ के बीच हुए करार के आधार पर प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के विषय में चालू वर्ष में कर्मचारियों और नियोजकों के बीच कोई और करार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन श्रमिक संघों और प्रबन्ध व्यवस्थाओं के नाम क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). जहां तक हमें पता है, ३१ अगस्त, १९५६ को इंडियन इल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, और इंडियन एल्यूमीनियम बेलूर कारखाना श्रमिक संघ के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे ।

पाकिस्तान द्वारा सीमेंट का सम्भरण

†*८६५. { **श्री गिडवानी** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान उद्योग विकास निगम द्वारा जिस सीमेंट को देने का संविदा किया था वह अभी नहीं दिया है;

(ख) कितने सीमेंट के लिये संविदा किया गया था, और वह संविदा कब किया गया था; और

(ग) भारत को सीमेंट देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). एक भारतीय गैर-सरकारी समवाय द्वारा राज्य व्यापार निगम को संभरित किये जाने के लिये पाकिस्तानी सीमेंट की खरीद विषयक संविदा के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा उन रेलवे भाड़ा रियायतों के, जो पहले से विद्यमान थे, वापस ले लिये जाने के कारण कुछ देरी हुई है । इसके फलस्वरूप, सारे विषय पर पुनः वार्ता करनी पड़ी और अब से अगले अगस्त तक सीमेंट के प्राप्त होने की आशा है । यह संविदा विशेष एक भारतीय सार्थ द्वारा अगस्त में किया गया था । क्योंकि इससे पाकिस्तान अथवा अन्य कहीं इस वस्तु को खरीदने के सम्बन्ध में और वार्ता करने में कठिनाई होगी इसलिये इसका ब्योरा बताना लोकहित में नहीं होगा ।

सीमेंट का स्टॉक

*८६६. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री भोखा भाई :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर और अक्तूबर महीनों में चुर्क (उत्तर प्रदेश), कीमौर (मध्य प्रदेश) और लाखेरी (राजस्थान) के सीमेंट के कारखानों में सीमेंट का बहुत अधिक स्टॉक जमा हो गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था; और

(ग) क्या अब उस अतिरिक्त स्टॉक को हटाने की व्यवस्था की गई है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

टायर और ट्यूब उद्योग

*८६७. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग की उन सिफारिशों पर ध्यान दिया है जिनका उल्लेख प्रोग्राम आफ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में किया गया है और जिन में यह कहा गया है कि भारत के टाय और ट्यूब उद्योग को और भी अधिक सहायता दी जानी चाहिये और टायर उद्योग में भारत की अं पूंजी में वृद्धि की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी, हां । टायर बनाने के नये कारखाने स्थापित किये जाने को सरकार प्रोत्साहन देती है । भारत में टायर और ट्यूब बनाने वाली विदेशी कम्पनियों को भी सरकार के इन विचारों से परिचित कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पूंजी का सहयोग लिया जाये और उनमें से कुछ कम्पनियों ने इस दिशा में कदम भी उठाये हैं । पिछले तीन सालों में, मोटर टायर और ट्यूब बनाने वाले एक नये कारखाने के लिये और दो कारखाने बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, और बाइसिकिल के टायर और ट्यूब बनाने वाले पांच नये कारखानों के लिये और चार कारखाने बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

अरब देश

†*८६८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार इंगलैंड में किन अरब देशों के हितों की देखभाल कर रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : १ मिस्र । २ सीरिया ।

रबड़ टायर फैक्टरी

†*६४०. **श्री वलायुधन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में एक रबर टायर फैक्टरी खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह राजकीय स्वामित्व में होगी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). केरल राज्य में एक नई रबर टायर फैक्टरी स्थापित करने का कोई निश्चय अभी तक नहीं किया गया है । परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि वहां कुछ गैर-सरकारी दल एक विदेशी सार्थ की सहायता से ऐसी एक फैक्टरी स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ।

गन्धक की आवश्यकतायें

†*६५३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिये अनुमानतया कितने गन्धक की आवश्यकता होगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) कच्चे गन्धक का देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कोई पग उठाये गये हैं और इनसे क्या फल निकलने की आशा है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

वर्ष	गन्धक की अनुमानित आवश्यकता टन
१९५६–५७	७८,०००
१९५७–५८	९०,०००
१९५८–५९	१२०,०००
१९५९–६०	१६०,०००
१९६०–६१ ...	२०६,०००

(ख) इस समय देश में गन्धक पैदा नहीं किया जाता । यद्यपि गन्धक मूल रूप में देश में नहीं मिलता, तथापि सरकार आयरन पाइराइट, जिप्सम आदि जैसे गन्धक युक्त कुछ पदार्थों से गन्धक निकालने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

रंग उद्योग

†*६६२. { **श्री बंसल** :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रंग उद्योग के विकास में सीधे भाग लेने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार से भाग लेगी ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, सरकार ने रंग उद्योग तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों क लिये आवश्यक पदार्थों के उत्पादन को विकसित करने का निर्णय किया है ।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम एक या अधिक संयंत्र स्थापित करेगा ।

कागज उद्योग

†**५९७. श्री राम कृष्ण**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मशीनों की अनुमानित लागत क्या है जिनकी दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में कागज उद्योग के लिये आवश्यकता होगी ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : लगभग २५ करोड़ रुपये । इस राशि में अखबारी कागज और गूदे के उत्पादन के लिये अपेक्षित पूंजी माल की लागत सम्मिलित नहीं है ।

कैल्शियम कार्बाइड

†**५९८. श्री राम कृष्ण**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री उन कम्पनियों के नाम (राज्यवार) बताने की कृपा करेंगे जिन्हें चालू वर्ष में कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिये संयंत्र लगाने के लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

यूरोपीय देशों में भारतीय

†५९९. **श्री राम कृष्ण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय देशों में, देशवार, भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनकी आजीविका के साधन क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). नवीनतम जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेडियो

†६००. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री चालू वर्ष में रेडियो-सेट मालिकों की संख्या सर्कलवार बताने की कृपा करेंगे कि ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : रेडियो-सेट मालिकों के बारे में पृथक् रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि ३१ अक्तूबर, १९५६ को चालू रेडियो लाइसेंसों की संख्या ११,२८,६१४ थी, जो सर्कलवार इस प्रकार है :

१. आंध्र		४८,८६०
२. आसाम*		१५,१९७
३. बिहार	...	४९,१८९
४. बम्बई		२,६५,३३६
५. केन्द्रीय**		४८,०७४
६. दिल्ली		६१,५८५
७. हैदराबाद		३३,४७८
८. मद्रास		१,९१,०५७
९. उड़ीसा		९,४८३
१०. पंजाब†*		१,००,८३४
११. राजस्थान‡		४७,८१२
१२. उत्तर प्रदेश		१,०३,९०९
१३. पश्चिमी बंगाल		१,५३,७९७
	योग	११,२८,६१४

रेडियो-सेट

†६०१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत में कारखानेवार कितने रेडियो-सेट बनाये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

*आसाम सर्कल में आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और नेफ़ा सम्मिलित हैं।

**केन्द्रीय सर्कल में मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश सम्मिलित हैं।

†*पंजाब सर्कल में पंजाब, पेप्सू, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर सम्मिलित हैं।

‡राजस्थान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, अजमेर और भोपाल सम्मिलित हैं।

(ख) इस अवधि में कितने रेडियो-सेट (देशवार) आयात किये गये ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जनवरी–सितम्बर, १९५६ की अवधि में भारत में १३५,०१२ रेडियो-सेट बनाये गये। प्रत्येक कारखाने के उत्पादन के आंकड़ों को प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ख) इस अवधि में आयात किये गये रेडियो-सेटों की संख्या इस प्रकार है :

ब्रिटेन ...	१७०६
हालैंड	९४८
पश्चिमी जर्मनी ...	६४३
अन्य देश ...	१४३८
योग ...	४७३५

टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र (पंजाब)

†६०२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में पंजाब राज्य में किन स्थानों पर टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं या खोलने का विचार है और उन की संख्या क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १९५६–५७ में अब तक पंजाब में कोई नया प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया है। इस वर्ष यमुना नगर में एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

चमड़े का निर्यात

†६०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (१) कमाये हुए चमड़े और चमड़े के सामान के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् बनाई गई है, जिसके कृत्य मुख्यतया ये होंगे :

(क) मूल्यों और बाजार की मांग के बारे में सूचना देने और आयात और उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे करने के लिये विदेशों में प्रतिनिधिमण्डल भेज कर या संवाददाता नियुक्त करके बाजार की स्थिति का अध्ययन करना;

(ख) विदेशों में प्रचार करना;

(ग) भारत में उत्पादकों और निर्यातकों को उपयोगी जानकारी देना;

(घ) किस्म पर नियन्त्रण के लिये उपाय करना;

(ङ) विदेशों में भारत से निर्यात किये हुए चमड़े के माल के सर्वेक्षण में सहायता देना; और

(च) समझौते या मध्यस्थ निर्णय के द्वारा भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच व्यापारिक झगड़ों को निपटाना।

(२) विदेशों के साथ किये गये व्यापार समझौतों में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में चमड़ा और चमड़े का सामान भी दिखाया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में।

(३) जहां आवश्यक हो, चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के नमूने विदेशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को भेजे जाते हैं। हाल में हलके चमड़े के जूतों, चप्पलों और जनाने सैंडलों के विभिन्न प्रकार के नमूने रोम को भेजे गये थे।

(४) चमड़ा और चमड़े का सामान विदेशों में प्रदर्शित किया गया है, ब्योरा यह है :

१. **कच्ची खालें** : फ्रैंकफर्ट में पतझड़ ऋतु के १९५६ के अन्तर्राष्ट्रीय मेले में।

२. **कमाई या साफ की हुई खालें** :

(१) अन्तर्राष्ट्रीय फ्रैंकफर्ट में पतझड़ ऋतु के, १९५६ के अन्तर्राष्ट्रीय मेले में।
(२) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, प्राग, १९५६।

३. और ४. **जूत और चमड़े का अन्य सामान** :

(१) फ्रैंकफर्ट में पतझड़ ऋतु का १९५६ का अन्तर्राष्ट्रीय मेला।
(२) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, प्राग, १९५६।
(३) जगरेन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, १९५६।
(४) मोम्बासा व्यापार, कृषि और उद्योग प्रदर्शनी, १९५६।
(५) अकरा (गोल्ड कोस्ट) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, १९५६।
(६) लोगारू (नाइजेरिया) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, १९५६।

(५) चमड़े के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिये मद्रास में केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा संस्था, स्थापित की गई है और इसका एक उद्देश्य यह है कि निर्यात किये जाने वाले रंगे हुए चमड़े की किस्म में सुधार किया जाये।

(६) गाय और भैंस की कच्ची खालों का निर्यात बन्द कर दिया गया है और कच्ची खालों के निर्यात को सीमित कर दिया गया है, ताकि कमाये हुए चपड़े और चमड़े के सामान का निर्यात बढ़ाया जा सके।

(७) भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड नई मंडियां ढूंढ़ रहा है। इसने १,१८,०५,००० रुपये के जूते रूस को भेजने के लिये एक समझौता किया है।

फाउन्टेन पैन

†६०४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में कितने फाउन्टेन पैनों का उत्पादन हुआ ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :

१९५४	...	...		लगभग ५० लाख।
१९५५	...	—	—	लगभग ६० लाख।

भारी उद्योगों का विकास

†६०५. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि भारी उद्योगों के विकास क लिये गत पांच वर्षों में (वर्ष-वार) किन-किन फर्मों को व्याज रहित ऋण दिये गये हैं और उन ऋणों की राशि कितनी है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०५**]

†मूल अंग्रेजी में।

अंडी और मुगा कपड़े का विकास

†६०६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम में अंडी और मुगा कपड़े के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है या बनाने का विचार है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** इस सम्बन्ध में आसाम सरकार द्वारा तैयार की गई एक योजना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के विचाराधीन है ।

चीनी और मिट्टी का सामान

†६०८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बिजली विकास की योजनाओं के कारण चीनी और मिट्टी के सामान की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये केरल में कुन्दारा में सरकारी फैक्टरी आरम्भ करने की संभावना पर विचार किया है ?

†**उपभोग वस्तु-उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** सरकार के लिये ऐसी योजना पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देश की वर्तमान और आयोजित क्षमता मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन

†६०९. **श्री भीखा भाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो डूंगरपुर–बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन पहली राजस्थान सरकार ने बनाई थी उसके तार टूट गये हैं और लकड़ी के खम्भे उखड़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी लोगों द्वारा बार-बार प्रार्थना करने पर सरकार किन कारणों से उन्हें हटा रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) तथा (ख). भूतपूर्व राज्य की लाइन की हालत संतोषजनक नहीं थी, अतः वह हटायी जा रही है। क्षेत्र में और आवश्यक सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान विभागीय लाइन पर और तार लगाये जा रहे हैं ।

हथकरघा उत्पादन केन्द्र

†६१०. **श्री भीखा भाई :** क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उत्पादन केन्द्र प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में नहीं खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों में हथकरघा उत्पादन कन्द्र खोलने का विचार है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). हथकरघा उद्योग की योजनाओं को राज्य सरकारें चलाती हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे पिछड़े क्षेत्रों के लिये भी उपयुक्त योजनायें बनायें ।

†मूल अंग्रेजी में ।

तम्बाकू की चीजों का आयात

†६११. **श्री च० रा० चौधरी : क्या वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ अगस्त, १९५६ को अमरीका के साथ जिस कृषि वस्तु करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे उसमें तम्बाकू उत्पादों का आयात सम्मिलित है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ग) तम्बाकू उत्पादों के आयात के क्या कारण हैं जबकि देश में तम्बाकू अतिरिक्त मात्रा में है; और

(घ) इससे तम्बाकू के वर्तमान बाजार भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). अमरीका के साथ हुए कृषि वस्तु करार में तम्बाकू उत्पाद के आयात का उपबन्ध नहीं है। परन्तु ३० जून, १९५९ तक ६० लाख पौंड अनिर्मित तम्बाकू के आयात के लिये उपबन्ध किया गया है।

(ग) तथा (घ). उच्च प्रकार के सिगरेटों के निर्माण में देशी तम्बाकू के साथ मिलाने के लिये अनिर्मित वरजीनिया तम्बाकू का आयात किया जाता है। इस करार से हम अपनी आवश्यकताओं का एक भाग अपने विदेशी मुद्रा के संसाधनों की हानि के बिना, आयात कर सकेंगे। इससे तम्बाकू के वर्तमान बाजार भाव पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

†६१२. **श्री ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने १९५५–५६ में प्रचार पर जो व्यय किया उसके ब्योरेवार अलग-अलग आंकड़े क्या हैं और अब तक उसने कौन सी पुस्तकों के तथा गोष्ठियों के प्रतिवेदन के प्रकाशन किये हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने १९५५-५६ में प्रचार पर जो व्यय किया उसके आंकड़ों के, प्रकाशनों के नाम के, तथा बोर्ड ने अब तक जो गोष्ठियों के प्रतिवेदन निकाले हैं उनके तीन विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०६**]

छोटे पैमाने के ग्राम उद्योग

†६१३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार की ओर से छोटे पैमानों के ग्राम उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). बिहार सरकार ने केन्द्र से वित्तीय अनुदान के लिये चालू वित्तीय वर्ष में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के हेतु कई योजनायें भेजी हैं।

जहां तक ये योजनायें चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर की गई हैं उनके संक्षिप्त ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०७**]

†मूल अंग्रेजी में।

श्रम संविदा योजना

†६१४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के पुनर्वास निदेशालय ने त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का उपबन्ध करने के लिये किसी श्रम संविदा योजना का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ की जायेगी और इस योजना द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जी, नहीं। परन्तु जो लोग राज्य के भूम्योद्धार, विकास तथा निर्माण कार्यों में नियुक्त हैं उनमें से ९० प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति हैं। इस कार्य को फरीदाबाद के ढंग पर संविदा विभाग द्वारा संगठित करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

रबड़ बोर्ड

†६१५. **श्री मैथ्यू** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के रिटायर होने सम्बन्धी नियम क्या हैं; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों को यदि रिटायर होने की कोई पूर्व सूचना दी जाती है तो उसकी कालावधि क्या है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के रिटायर होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है :

(१) श्रेणी ४ के कर्मचारियों के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी बोर्ड की सेवा से ५५ वर्ष की आयु में निवृत्त होंगे। यदि उनके स्वास्थ्य और कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है तो उन्हें, लोकहित में, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबन्धित शर्तों पर, वार्षिक वृद्धि देते हुए ६० वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जा सकता है।

(२) श्रेणी ४ के कर्मचारियों को ६० वर्ष की आयु में रिटायर होना पड़ेगा और उन्हें और वृद्धि नहीं दी जायेगी।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों को रिटायर होने सम्बन्धी की पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

रबड़ बागान

†६१६. **श्री पुन्नस** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे रबड़ बागान कितने एकड़ हैं जिन में आजकल रबड़ का उत्पादन होता है; और

(ख) वे रबड़ बागान कितने एकड़ हैं जिन से १९६०–६१ में रबड़ के उत्पादन की आशा है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) लगभग १,६६,०१० एकड़।

(ख) लगभग १,६४,४५० एकड़।

†मूल अंग्रेजी में।

हामूलियांग मिशमी पहाड़ियों में सी० एल० सी० भंडार

†६१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि क्योंकि सी० एल० सी० भंडार अग्नि से नष्ट हो गये थे अतः हामूलियांग मिशमी पहाड़ियों में सी० एल० सी० भंडार के पुनर्निर्माण के लिये १९५१–५२ में १,००० रुपये की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो सी० एल० सी० भंडार के पुनर्निर्माण पर वस्तुतः कितनी राशि व्यय हुई है;

(ग) कार्य पूरा होने की तिथि क्या है; और

(घ) ठेकेदार को किस रूप में भुगतान किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी।

सीमा विवाद

†६१८. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रधान मंत्री** २ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यवेक्षक दलों को कितने सीमा विवाद निर्दिष्ट किये गये थे;

(ख) उनका किन सीमाओं से सम्बन्ध है; और

(ग) उसका परिणाम क्या रहा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सीमांकन कार्य पंजाब-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर १ अक्तूबर, १९५६ को आरम्भ हुआ था। सर्वेक्षण दलों को अभी विवादग्रस्त सीमा का कोई मामला नहीं मिला है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर राज्य की आवास योजनाएं

†६१९. **श्री न० राचय्या** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अब तक विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन मैसूर सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) योजनाओं के अधीन कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) मैसूर सरकार को दो आवास योजनाओं, अर्थात, सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा अल्प आय आवास योजना के अधीन वित्तीय सहायता दी गई है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन १-४-५६ से ३०-११-५६ की कालावधि में राज्य सरकार के लिये ४,२२,२५० रुपये के ऋण और ४,०५,००० रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई थी। वास्तविक भुगतान कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है और राज्य सरकार ने इन मंजूरियों में से अभी तक किसी भुगतान के लिये दावा नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अल्प आय वर्ग योजना के अधीन राज्य सरकार के लिये वर्ष १९५५–५६ के लिये २५ लाख रुपये की राशि नियत की गई है। उसने चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक इस योजना अधीन किसी भुगतान का दावा नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त दो योजनाओं के आरम्भ से ३०-९-५६ तक मैसूर राज्य में बनाये गये कुल मकानों की संख्या निम्नलिखित है :

योजना	उन मकानों की संख्या जिनका निर्माण ३०-९-५६ तक पूरा हुआ
१. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	२,८४०
२. अल्प आय वर्ग आवास योजना	९२

संश्लिष्ट रबड़

†६२०. **श्री त० ब० विट्ठलराव** :
श्री वें० प० नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पुन्नूस :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के जिस दल ने संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन के लिये कच्ची सामग्री आदि की उपलब्धि का निर्धारण करने के लिये देश का दौरा किया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है :

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). प्रारम्भिक आयोजना के प्रयोजन के लिये प्रतिवेदन में परियोजना की आर्थिक पहलू की मोटी रूपरेखा दी गयी है।

इसमें बताया गया है कि बूटाडीन और स्टाइरीन से प्रतिवर्ष २०,००० टन संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण हो सकता है। अनुमान है कि परियोजना और विभिन्न रसायनों के उत्पादन के कारखानों पर कुल लागत पूंजी लगभग १२ करोड़ रुपये होगी और टेक्निकल ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

सुविधा सर्वेक्षण समिति

†६२१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुविधा सर्वेक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अभी, नहीं। तो भी आशा है कि यह प्रतिवेदन इस मास के अन्त से पूर्व ही प्राप्त हो जायेगा।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में।

युद्ध क्षतिपूर्ति

†६२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु-उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों मे कौन-सी और किस प्रकार की वस्तुएं युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य और देशों के नाम क्या हैं ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में २·६१ करोड़ रुपये के मशीनों के पुर्जों की १०,४३१ वस्तुएं आई हैं। प्रत्येक वस्तु का पृथक्-पृथक् मूल्य निश्चित करना सम्भव नहीं है।

*प्रक्षेपकों का निर्माण

†६२३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्षेपकों के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नंगल उर्वरक एवं भारी जल फैक्टरी

†६२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल उर्वरक-भारी जल–फैक्टरी के लिये कितनी कृषि योग्य और बेकार भूमि ली गई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अब तक कोई ९०८ एकड़ कृषि योग्य और ५४५ एकड़ बेकार भूमि ली गई है।

जम्मू तथा काश्मीर में खनिज सर्वेक्षण

†६२५. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के कुछ विशेषज्ञों ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में खनिज सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह ज्ञात हुआ है कि चैकोस्लोवाकिया का एक शिष्टमंडल हाल ही में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में काश्मीर गया था और उस शिष्टमंडल ने सीमेंट बनाने के १०० टन प्रति दिन की क्षमता वाले संयन्त्र की स्थापना के लिये काश्मीर सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने कुछ स्थानों की भी सिफारिश की है, किन्तु अन्तिम रूप से किसी स्थान का सुझाव नहीं दिया है।

विदेशों में भारतीय चलचित्र

†६२६. **श्री वेलायुधन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय चलचित्र भारत के बाहर पश्चिमी यूरोप के देशों और पूर्वी यूरोप के गणराज्यों में दिखाये जा रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

*प्राजक्टर

(ख) सोवियत रूस और चीन के जनवादी गणराज्य में अब तक कितने भारतीय चलचित्र ले जाये गये हैं; और

(ग) भारत से अमरीका में अब तक कितने चलचित्र ले जाये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). चूंकि चलचित्रों के निर्यात पर कोई नियन्त्रण नहीं है, इसलिये विदेशों में भेजे गये या भारत के बाहर दिखाये गये चलचित्रों के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े देना सम्भव नहीं है। तथापि जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह इकट्ठी की जायेगी और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान को तीर्थ यात्री

†६२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हिन्दू और सिक्ख तीर्थ यात्रियों की संख्या क्या है, जिन्होंने १ जुलाई से नवम्बर, १९५६ के अन्त तक पाकिस्तान स्थित अपने धार्मिक स्थानों की यात्रा की; और

(ख) पाकिस्तान सरकार ने उन्हें इधर-उधर घूमने में किस हद तक सुविधायें दीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जुलाई से ३० नवम्बर, १९५६ तक की अवधि में, तीर्थ यात्रियों का केवल एक दल पश्चिमी पाकिस्तान गया था और वह दल भी १६ से १९ नवम्बर, १९५६ तक गुरुद्वारा ननकाना साहेब की यात्रा के लिये गया था। इस तीर्थ यात्रा के लिये ४५३ व्यक्ति गये थे।

(ख) यात्री दल के लिये पाकिस्तान प्राधिकारियों ने परिवहन का प्रबन्ध किया था और उसने उनके ननकाना साहेब में घूमने फिरने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये थे।

आणविक पृथक्करण संयन्त्र

†६२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अगले पांच वर्षों में स्वयं अपने आणविक पृथक्करण संयन्त्र बनायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इन पर कितनी लागत आयेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) यह बिल्कुल सम्भव है और यह मामला विचाराधीन है।

(ख) लागत संयन्त्र के आकार पर निर्भर होगी। लागत अभी से नहीं बताई जा सकती।

लकड़ी के काम की संस्थायें

†६२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विस्तार केन्द्र योजनाओं या छोटे उद्योग सेवा योजना के अन्तर्गत भारत में लकड़ी के काम की संस्थायें स्थापित करने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां; और

(ग) उन पर अनुमानित व्यय क्या होगा और उनकी निर्धारित धारिता क्या होगी ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने तीन विस्तार केन्द्रों की स्वीकृति दी है, जिनके साथ बढ़ईगिरी और लकड़ी के काम के विभाग संलग्न हैं। दो और योजनायें विचाराधीन हैं। स्वीकृत और विचाराधीन योजनाओं के बारे में एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०८**]। चूंकि ये काम के सामान्य सुविधा केन्द्र हैं, उनकी उत्पादन क्षमता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ग्राम और खादी उद्योगों का विकास

†६३०. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम और खादी उद्योगों के विकास के लिये १९५१–५२ से १९५५–५६ तक पंजाब सरकार को कितना ऋण और अनुसहाय्य दिया गया; और

(ख) क्या दी गई समूची राशि का पूर्णरूप से उपयोग कर लिया गया है या उपरिल्लिखित वर्षों में से किसी वर्ष में कोई राशि व्यपगत हुई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०९**]

(ख) केवल ३,००,५०० रुपये की एक राशि, जो १९५५–५६ में ग्राम चमड़ा उद्योग के विकास के लिये मंजूर की गई थी राज्य सरकार द्वारा ली गई थी और इसका आंशिक रूप से उपयोग किया गया था।

अन्य स्वीकृत राशियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो गई थीं किन्तु उन्हें अब चालू वर्ष के लिये पुनः मान्य कर दिया गया है।

सीमांत घटनायें

†६३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, काश्मीर और राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमांत पर १ जुलाई से अब तक मासवार कितनी घटनाओं की सरकारी तौर पर सूचना दी गई है;

(ख) ये घटनायें किस प्रकार की हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है जिन्हें दोनों सरकारों ने मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटा लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) यह पंजाब और राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमांत पर १ जुलाई से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि में, और जम्मू तथा काश्मीर के सीमांत और युद्धविराम रेखा पर १ जुलाई से ३१ अगस्त, १९५६ तक की अवधि में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११०**]। जम्मू और काश्मीर के बारे में सितम्बर और अक्तूबर, १९५६ के मासों के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग). अधिकांश घटनायें मामूली चोरी और ढोरों को भगा ले जाने की थीं। कुछ मामले गम्भीर भी थे, जिनमें भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण और हत्या की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सभी छोटी-मोटी घटनाओं के सम्बन्ध में भारतीय प्राधिकारियों द्वारा तत्स्थानी पाकिस्तानी प्राधिकारियों से बातचीत की गई थी। इसके फलस्वरूप, कुछ चुराये हुए ढोर और चारे में से दो अपहृत भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान के प्राधिकारियों द्वारा वापस कर दिये गये हैं। गम्भीर घटनाओं के मामलों में, पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया था।

फरीदाबाद की बस्ती

†६३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में अब तक फरीदाबाद की बस्ती पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है;

(ख) यह खर्च किन-किन प्रयोजनों के लिये किया गया है;

(ग) इसी अवधि में कुल कितने शरणार्थियों को फरीदाबाद में बसाया गया है;

(घ) इन्हीं वर्षों में इस बस्ती में कौन-कौन से निजी उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ङ) इन कारखानों में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को काम दिया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १११]**

(ग) इस अवधि में कोई नये शरणार्थी फरीदाबाद में नहीं बसाये गये।

(घ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १११]**

(ङ) १,२२५।

कनाडा के लिये भारतीय आप्रवासी

†६३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा में आप्रवासियों के रूप में जाने के लिये भारतियों का कितना वार्षिक कोटा निश्चित किया गया है; और

(ख) चालू वर्ष में कनाडा जाने के लिये भारतीय आप्रवासियों को कुल कितने दृष्टांक दिये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत और कनाडा की सरकारों के बीच २६ जनवरी, १९५१ को हुए करार के अनुच्छेद (१) के अनुसार, प्रतिवर्ष १५० भारतीय नागरिकों को कनाडा में जाकर स्थायी रूप से रहने के लिये अनुमति दी जा सकती है। करार के अनुच्छेद (२) के अनुसार, आगे यह व्यवस्था है कि निर्धारित अभ्यंश के अतिरिक्त भारतीय उद्भव के कनेडियन नागरिक का पति या पत्नी और २१ वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे इस शर्त पर कनाडा में स्थायी रूप से रहने के लिये प्रवेश कर सकते हैं कि वे कनाडा आप्रवास अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करते हैं।

(ख) चालू वर्ष में जनवरी १ से ३० सितम्बर तक, भारतीय नागरिकों को १९१ आप्रवास दृष्टांक दिये गये हैं। परन्तु यह अभी मालूम नहीं है कि इनमें से कितने "कोटा" दृष्टांक थे और कितने "गैर-कोटा" दृष्टांक थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यूरेनियम

†६३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने १९५५–५६ में भारत के किसी राज्य में यूरेनियम अयस्क के पाये जाने की सूचना दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर और किस प्रकार का ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रेस टेलीग्राम

†६३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान में प्रेस टेलीग्रामों की दरों के सम्बन्ध में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जापान के दूर-संचार प्राधिकारियों से अभी उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । उन्हें फिर स्मरण कराया गया है ।

साइकिलों का निर्यात

†६३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाईसिकलों के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् बनाई गई है । परिषद् की एक तालिका केवल बाईसिकलों के निर्यात को बढ़ाने के काम की देखभाल करती है । बाईसिकलों के निर्यात सम्बन्धी मामलों में निर्यात संवर्धन परिषद् की सहायता करने के लिये बाईसिकलों सम्बन्धी विकास परिषद् में एक स्थायी सम्पर्क उपसमिति भी बनाई गई है ।

२. इंजीनियरिंग के सामान के, जिनमें बाईसिकलें भी सम्मिलित हैं, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् ने, ब्रह्मा लंका, थाईलैंड, मिस्र और पूर्व अफ़्रीका में बड़े पैमाने पर बाजार सर्वेक्षण किये हैं । इन रिपोर्टों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है ।

३. परिषद् ने एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही ब्रह्मा भेज रखा है । प्रतिनिधि मंडल का एक सदस्य एक साइकिल निर्माता था ।

४. बाईसिकलों को इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों में, जिन्होंने भारत में भाग लिया था, प्रदर्शित किया गया है :

१९५४–५५ :

(१) भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, काहिरा (मिस्र)
(२) लौसेन व्यापार मेला, लौसेन (स्विट्जरलैंड)

१९५५–५६ :

(१) लीपजिग बसन्त ऋतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, लीपजिग (पूर्वी जर्मनी)
(२) पोम-पेन्ह अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी, पोम-पेन्ह (कम्बोडिया)
(३) पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग मेला, कराची (पाकिस्तान)
(४) तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय जकार्टा मेला, जकार्टा, (इंडोनेशिया)
(५) रजत जयन्ती मेला, आदिस अबाबा (इथोओपिया)

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१९५६–५७

(१) जगरेब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जगरेब (यूगोस्लाविया)

(२) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, प्राग (चैकोस्लोवाकिया)

(३) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, लागोस (नाईजीरिया)

(४) पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी, अक्करा (गोल्ड कोस्ट)

५. बाईसिकलें इन प्रदर्शन कक्षों में भी प्रदर्शित की जाती हैं :

(१) कोलम्बो (लंका)
(२) तेहरान (ईरान)
(३) कराची (पाकिस्तान)
(४) मनीला (फिलिपाइन्ज़)

६. इंजीनियरिंग का माल तैयार करने वालों को निर्यात के लिये तैयार किये जाने वाले इंजीनियरिंग का माल बनाने के लिये लोहा और इस्पात के प्रति स्थापनों को प्राप्त कर सकने के लिये उपलब्ध किये गये हैं।

७. निर्यात के लिये तैयार की गई साईकिलों के निर्माण में काम में लाये जाने वाले निर्यातित पुर्जों और कच्चे माल पर दिये गये आयात-शुल्क की वापसी के लिये एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

८. विदेशी मंडियों में बाईसिकलों के मूल्य प्रतियोगीय करने के लिये, सरकार ने यह निर्णय किया है कि ट्यूबनिर्माण उद्योग को भारत में शीघ्र से शीघ्र विकसित किया जाये और तदनुसार भारत में ट्यूबें बनाने के लिये दो अतिरिक्त लाइसेंस दिये गये हैं।

एल्यूमीनियम

†६३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने एल्यूमीनियम की आवश्यकता है; और

(ख) इसका कितना उत्पादन देश में होता है और कितना बाहर से आता है और उनका मूल्य क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) लगभग २०,००० टन।

(ख) गत तीन वर्षों के एल्यूमीनियम का उत्पादन और आयात सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२**]

उत्तुंग अन्तरिक्ष किरण गवेषणा प्रयोगशाला

†६३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २० अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर के गुलमर्ग-खिलनमर्ग क्षेत्र में उत्तुंग अन्तरिक्ष किरण गवेषणा प्रयोगशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

निष्क्रांत सम्पत्ति

†६३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५६ के अन्त तक दिल्ली में कितनी निष्क्रांत इमारतों को नीलाम किया गया; और

(ख) इस प्रकार की निष्क्रांत इमारतें कितनी हैं जिनका कब्जा खरीददारों को दिया जा चुका है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). नवम्बर, १९५६ के अन्त तक की अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं है। परन्तु अक्तूबर, १९५६ तक दिल्ली में नीलाम हुई इमारतों की संख्या १,७२२ है। इसमें से ७७७ मामलों में नीलामी में खरीदने वालों को कब्जा दिया जा चुका है।

आकाशवाणी

†६४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मत्रा यह बतान का कृपा करंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा स्कूलों के लिये जो कार्यक्रम प्रसारित होता है, उससे लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कोई प्राक्कलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). भारत भर के ७,४५० स्कूल स्कूलों के लिये प्रसारित होने वाले कार्यक्रम से लाभ उठाते हैं, परन्तु कितने विद्यार्थी इन कार्यक्रमों को सुनते हैं इसके कोई आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं।

स्विमिंग पूल रिएक्टर

†६४१. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री सैं० वै० रामस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा की सहायता से स्विमिंग पूल रिएक्टर बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्विमिंग पूल की तरह के भारत के प्रथम रिएक्टर को जिसने अगस्त, १९५६ में कार्य करना आरम्भ कर दिया था, भारतीय अणु शक्ति संस्था के कर्मचारियों द्वारा बनाया और रूपांकित किया गया था। इसके लिये कनाडा से कोई सहायता नहीं ली गयी थी।

(ख) ईंधन इत्यादि का खर्चा छोड़ कर जोकि अमेरिका से पट्टे पर लिया गया था लगभग २६ लाख रुपये का खर्चा होगा।

साईकिलें

†६४२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने बाईसिकलों के उत्पादन में लगे हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या ये कारखाने देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस देशी उद्योग की रक्षा के लिये विदेशों से साईकिलों के आयात पर कोई रोक लगायी गयी है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ६३ ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११३**]

(ग) और (घ). अभी नहीं । परन्तु फिर भी बाईसिकल उद्योग को सुरक्षण दिया जाता है । बहुत सीमित मात्रा में आयात की अनुमति दी जाती है । उस पर संरक्षण शुल्क भी लगाया जाता है ।

रूस से व्यापार

†**६४३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में रूस से तथा वहां को कितनी कीमत का और कितने टन व्यापारिक माल आयात और निर्यात किया गया; और

(ख) इसके बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :

(क) निर्यात ३२६ लाख रुपये का
आयात ६२१ लाख रुपये का

(ख) (१) २ दिसम्बर, १९५५ को एक व्यापार समझौता हुआ था ।

(२) मार्शल बुलगानिन के भारत आगमन पर १३ दिसम्बर, १९५५ को जो संयुक्त ज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसमें सोवियत रूस ने भारत से और अधिक खरीद करना मान लिया था ताकि दोनों देशों का व्यापार स्तर एक सा रह सके । भारत का राज्य व्यापार निगम और रूस के व्यापारिक प्रतिनिधि पूरे सहयोग से इसके लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

ऊन उद्योग का विकास

†**६४४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऊन उद्योग के सुधार के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं और इसके लिये कितना धन रखा गया है; और

(ख) क्या इस उद्योग की वर्तमान अवस्था का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ऊन उद्योग के विकास और सुधार के लिये एक विकास परिषद् की स्थापना कर दी गई है । परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मोतीनगर में अस्पताल

६४५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतीनगर में जिस अस्पताल के लिये पिछले दिनों स्थान खाली कराया गया था, क्या वह बन कर तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च किया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). मोतीनगर में अस्पताल के लिये पिछले दिनों कोई जमीन खाली नहीं कराई गई थी, वहां सन् १९५४ में ९०,६३५ रुपये की लागत पर पुनर्वास मंत्रालय ने एक दवाखाना तथा प्रसूती कक्ष बनवाया था ।

साईकिल उद्योग

†६४६. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कुल कितनी कीमत की साइकिलें और साइकलों के फुटकर पुर्जे तैयार किये गये हैं; और

(ख) इस काल में वर्षवार इस उद्योग में कितने कर्मचारी नियुक्त थे ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) बड़े पैमाने के कारखानों द्वारा १९५४ में निर्मित साइकिलों का मूल्य लगभग ६ करोड़ रुपये और १९५५ में निर्मित साइकिलों का मूल्य लगभग ७·५ करोड़ रुपये है । छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों के आंकड़े अप्राप्य हैं ।

(ख) बड़े पैमाने के कारखानों में इस उद्योग की प्रतिदिन की औसतन श्रमिक संख्या १९५४ में ५,०७७ और १९५५ में ६,४८५ थी । छोटे पैमाने के कारखानों की वर्षवार श्रमिक संख्या ठीक से तो प्राप्य नहीं है, परन्तु अनुमान है कि वह संख्या लगभग ६,५०० है ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†६४७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के बाढ़ग्रस्त के विस्थापितों को किसी प्रकार की आवास सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). त्रिपुरा में बाढ़ सहायता कार्य सभी प्रकार के पीड़ितों के लिये नकद और जिन्स के रूप में किया गया था । इसमें विस्थापितों और गैर-विस्थापितों में कोई भेदभाव नहीं किया गया था । सभी उचित मामलों में त्रिपुरा सरकार ने बांस और चट्टाइयों के रूप में घर बनाने का सामान सहायता के रूप में दिया ।

आंध्र में जुलाहों की संस्थायें

†६४८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आंध्र राज्य की कुछ जुलाहों की संस्थाओं ने उपकर कोष के अन्तर्गत गलत दावे करके बिक्री कर पर बिक्री की छूट की राशि प्राप्त की है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या इन चीजों के परिशोधन के लिये आंध्र राज्य की इन संस्थाओं का कोई लेखा परीक्षण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या हुआ ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानुनगो)** : (क) कदाचित माननीय सदस्य का तात्पर्य हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर दी जाने वाली छूट की राशि से है। यदि ऐसा है, तो आंध्र सरकार ने रिपोर्ट दी है कि गलत दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारें संस्थाओं को छूट का भुगतान करने से पहले दावों की जांच तथा विश्लेषण समुचित तौर पर करती हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र

†६४९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५६ से राज्यवार कितने प्रशिक्षार्थी श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं;

(ख) ऐसे निजी कारखाने और औद्योगिक निकायों की संख्या राज्यवार कितनी है जो कि आजकल प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दे रहे हैं; और

(ग) इस समय कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क)

राज्य	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
आंध्र	२४४
आसाम	२५४
बिहार ...	३९४
बम्बई ...	४९९
मध्य प्रदेश ...	२२३
मद्रास	४३४
उड़ीसा	१७६
पंजाब	६४२
उत्तर प्रदेश	१,६१७
पश्चिमी बंगाल ...	२,७५७
मैसूर ...	२६०
पेप्सू	१८८
राजस्थान	५५
त्रावनकोर-कोचीन ...	१९८
हैदराबाद	२४९
अजमेर ...	६०
कुर्ग	६१
दिल्ली ...	६५१
हिमाचल प्रदेश	७६
कुल ...	९,०३८

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उत्तर प्रदेश	९९
पश्चिमी बंगाल	३०५
(ग)	५५१

मधु-मक्खी पालन केन्द्र

६५०. **श्री हेमराज** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में मधु-मक्खी पालन के लिये अलग-अलग राज्यों को कितना-कितना अनुदान दिया गया और कहां-कहां कितने-कितने क्षेत्रीय मधु-मक्खी पालन केन्द्र और उपकेन्द्र खोले गये ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (१) मधु-मक्खी पालन के लिये १९५६–५७ में भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष राज्य-सरकारों को दिये गये अनुदान :—

राज्य का नाम*	अनुदान
	रु०
१. मध्य प्रदेश ...	८,२४०
२. पंजाब	२,३६५
३. पैप्सू	३,१६०
४. कुर्ग	६६,३४०
योग	८०,१०५

(२) मधु-मक्खी पालन के लिये १९५६–५७ में अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में संस्थाओं को दिये गये अनुदान :—

राज्य का नाम	अनुदान
	रु०
१. आंध्र प्रदेश	१३,८००
२. बम्बई	१,८००
३. मद्रास	३१,८००
४. मध्य प्रदेश	७,८००
५. मैसूर	४१,४००
६. पंजाब	७,८००
७. उत्तर प्रदेश	१२,०००
८. पश्चिमी बंगाल	६,०००
योग ...	१,२२,४००

†मूल अंग्रेजी में ।

*१ नवम्बर, १९५६ से पहले ।

(३) १९५६–५७ में खोले गये केन्द्रों (एरिया आफिस), उप-केन्द्रों व माडेल मधु-मक्खी पालन केन्द्रों की संख्या तथा ये केन्द्र कहां-कहां खोले गये :

राज्य का नाम	केन्द्रों, उपकेन्द्रों व माडेल-मधु-मक्खी पालन केन्द्रों की संख्या	स्थानों के नाम		
		केन्द्र (एरिया आफिस)	उपकेन्द्र	माडेल मधु-मक्खी पालन केन्द्र
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१. आंध्र	१ केन्द्र (एरिया आफिस) व ४ उप-केन्द्र	—	१. गंडेपल्ली २. मल्लकापल्ली ३. कोडीवरम ४. श्री कृष्णपटनम	—
		हैदराबाद		
२. बम्बई	केवल १ माडेल मधु-मक्खी पालन केन्द्र	—	—	जूनागढ़
३. मद्रास	कवल १ केन्द्र (एरिया आफिस) व २० उप-केन्द्र	—	१. पेरियाकुलम २. चिन्नामन्नूर ३. वोडिनायकनूर ४. कडलूर ५. कम्बम ६. बतरप ७. ममसापुरम ८. श्रीविल्लीपुत्तूर ९. राजापालयम १०. साथूर	—
		मटूपालयम (नीलगिरि)		
			११. मरुदमकोड़ १२. नेयथिनकरा १३. नेमम १४. मलयाडी १५. पोचिरेय १६. करियातुकरेय १७. कुरुमपिलावु १८. थकले १९. बूथापांडी २०. करुंगल	

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४. मध्य प्रदेश	१ केन्द्र (एरिया-आफिस)	उज्जैन		
५. मैसूर	३० उपकेन्द्र व ३ माडेल मधु-मक्खी पालन केन्द्र	—	१. मुल्गी	चंदावर
			२. वलूर	
			३. त्याग्ली	
			४. मंचीकरे	
			५. जम्बोती	
			६. हंगरल्ली	अडलूर
			७. चंडगोड़	
			८. कतरदल्ली	
			९. कोडवल्ली	
			१०. दुर्गा	
			११. उर्बागे	
			१२. मरुगुंडा	
			१३. देवरुंडा	
			१४. कुडल्ली	
			१५. जानिगे	
			१६. चेट्टीमणि	पेरुर
			१७. होड्डुर	
			१८. नोपोक्क्लु	
			१९. मारागोड्डु	
			२०. गारवेले	
			२१. जलसूर	
			२२. पुत्तूर	
			२३. उप्पीनांगड़ी	
			२४. कोक्कड़ा	
			२५. शिर्वा	
			२६. पेरदूर	
			२७. नरवी	
			२८. शंकरनारायण	
			२९. अर्सीनामक्की	
			३०. मंगलोर	
६. पंजाब	१ केन्द्र (एरिया-आफिस) व ५ उप-केन्द्र	पठानकोट	१. रगोटा	
			२. धर्मशाला	
			३. शाहपुर	
			४. कोटला	
			५. नूरपुर	

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७. उत्तर-प्रदेश	केवल ५ उप-केन्द्र	—	१. दफौत २. गरमपानी ३. नवाली ४. काठगोदाम ५. कालाडूंगी	

कान पर लगाने के लैक्टो इलैक्ट्रोनिक फोन

†६५१. **श्री मोहन राव** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्रमशः १९५४, १९५५ और १९५६ में कान सम्बन्धी कितने लैक्टो-इलैक्ट्रोनिक फोन आयात हुए थे;

(ख) आयात कर को मिला कर और निकाल कर इनकी मूल कीमत क्या थी;

(ग) भारत में निर्मित कान के फोनों के मूल्य क्या हैं; और

(घ) विदेशी और भारतीय कान के फोनों तथा बैटरी की किस्मों तथा टिकाऊपन दोनों में क्या अन्तर है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) क्योंकि यह मद समुद्र-व्यापार लेखे में विशिष्ट रूप से दिखाई नहीं गई इसलिये इसके वास्तविक आयात के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

(ख) आयात हुए कान के फोन के दाम १५० रुपये से ९०० रुपये तक विभिन्न हैं। आयात कर की प्रमाणिक दर १० प्रतिशत यथामूल्य है।

(ग) इस समय भारत में कान के फोन नहीं बनते हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विलायक निस्सारण

†६५३. **श्री व० प० नायर** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलायकों के निस्सारण के सम्बन्ध में इस समय भारत की स्थिति क्या है; और

(ख) देश में किन विलायकों का और कितनी मात्रा में निस्सारण होता है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य खली के विलायक निस्सारण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति जानने के इच्छुक हैं। प्रथम योजना की अवधि में प्रतिवर्ष ४,००,००० टन खली तैयार करने की क्षमता रखने वाले विलायक निस्सारण कारखानों की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय किया गया था। मई १९५२ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लागू होने से पहले देश में कार्य कर रहे ५ कारखानों की क्षमता भी इसमें सम्मिलित थी, इस अधिनियम के अधीन अब तक खली तैयार करने वाले लगभग दो दर्जन कारखानों को अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं। इनमें भोज्य तथा अभोज्य दोनों प्रकार की खली पर कार्य हो सकता है पहली श्रेणी में मूंगफली, नारियल, सरसों और अलसी आदि की खली है। दूसरी श्रेणी में महुआ और

†मूल अंग्रेजी में।

रेड़ी के तैल आदि की खली होती है। प्रत्येक प्रकार की खली से निकाले जाने वाले तेल की मात्रा बाजार की मांग के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों के स्वविवेक के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसलिये विभिन्न प्रकार की खली से उत्पादित तेल की मात्रा के ठीक-ठीक आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

ग्रामोद्योगों का विकास

†६५४. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९५६–५७ की अवधि में ग्रामोद्योगों के विकास के सम्बन्ध में बिहार राज्य को कितनी रकम मंजूर की गई थी ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : १९५६–५७ में बिहार सरकार को क्रमश: १,५२,०००. रुपये और ८८,६०० रुपये के अनुदान और ऋण दिये गये थे। अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने राज्य संविहित बोर्ड को और बिहार राज्य में पंजीबद्ध मान्यताप्राप्त संस्थाओं को ये रकमें बांटी थीं :

अनुदान	५,०३,५३९ रुपये
ऋण	७,२५,१५० रुपये

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे डाक सेवा का प्रधान कार्यालय

†६५५. { **श्री संगण्णा** :
श्री बि० चं० दास :

क्या **संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे खण्ड में रेलवे डाक सेवा के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता से कटक स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में निर्णय का परिपालन किया जा चुका है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो इसका कारण क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां; १-१२-५६ से।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय राष्ट्रजनों का पुनर्वास

†६५६. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री अयुण्णि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों में लंका और बर्मा से जिन भारतीय राष्ट्रजनों ने प्रव्रजन किया था उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उनमें से केरल राज्य के कितने व्यक्ति हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). लंका से आने वाले भारतीय राष्ट्रजन साधारणतया अपने घरों को या अपने सम्बन्धियों के पास वापिस जाते हैं, उन्हें अपना निजी सामान बिना किसी सीमा शुल्क के लाने की अनुमति दी जाती है। ये व्यक्ति अपने-अपने जिलों में ही बस रहे हैं और भारत सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कोई विशेष योजना बनाना आवश्यक नहीं समझा है। जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है, हाल के वर्षों में उस देश से किसी भी भारतीय राष्ट्रजन ने प्रव्रजन नहीं किया है।

(ग) लंका से वापिस आने वाले व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि हमारी जानकारी क अनुसार लंका से धंशकोडी के रास्ते लगभग ३,००० व्यक्ति त्रावनकोर-कोचीन वापिस आये हैं।

भारतीय प्लास्टिक वस्तु निर्माण उद्योग

†६५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्लास्टिक वस्तु निर्माण उद्योग के लिये विदेशों में बाजार ढूंढने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात करने के लिये कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जी, हां। निर्यात करने के लिये की गई कार्यवाही को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४**]

डाक तथा तार कार्यालय, जालन्धर

†६५८. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ में पंजाब हलके के जालन्धर डिवीजन में कुछ डाक तथा तार क छोटे दफ्तर खोले जाने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितने स्थानों की पड़ताल की गई ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) जालन्धर डिवीजन में हाल में प्रशासनिक मुख्य कार्यालय को छोड़ कर १४ जगहों का सर्वेक्षण किया गया और तार की सुविधायें दी गई थीं, इस वर्ष कुक्कड़पिंड के शाखा डाक कार्यालय को संयुक्त डाक तथा तार कार्यालय में बदला जा रहा है।

टेलीफोन एक्सचेंज, गीदड़बहा

†६५९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, फिरोज़पुर ज़िले के गीदड़बहा में स्थित, टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के असंतोषजनक होने पर आकर्षित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी हालत में सुधार करने का विचार कर रही है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सरकार को इमारत के असंतोषजनक होने का पता है ।

(ख) एक्सचेंज के लिये, नई सरकारी इमारत बनाने के लिये, स्थान अर्जन करने की व्यवस्था की जा रही है ।

तार कार्यालय, सीतोगन्नो

†६६०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में फिरोजपुर में सीतोगन्नो में कोई तार कार्यालय खोला जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । औपचारिक प्रस्ताव रखने पर और यदि जांच होने पर यह ज्ञात हो कि विभाग को कोई हानि नहीं होगी यह सुविधा दी जा सकती है ।

लुधियाना में औद्योगिक बस्ती

†६६१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लुधियाना नगर में औद्योगिक बस्ती स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार को कितनी राशि दी जायेगी ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) योजना में अनुमानतः ३०·८५ लाख रुपये व्यय होगा । राज्य सरकारों को यह सारी राशि दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी जायेगी ।

चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार को ५ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया जा चुका है ।

मिर्चें

†६६२ **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष मिर्चों का उत्पादन किस परिमाण में होता है; और

(ख) देश में इनकी खपत का परिमाण क्या है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत में प्रतिवर्ष ३,५०,००० टन मिर्चों का उत्पादन होता है ।

(ख) यथार्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है । थोड़ी-बहुत मात्रा में जो निर्यात किया जाता है उसके अलावा शेष सारी मिर्चों की खपत देश में ही होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सांभर का नमक का कारखाना

६६३. **श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **उत्पादन** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सांभर साल्ट फैक्टरी में प्रतिमन नमक का उत्पादन-व्यय खारगोदा साल्ट फैक्टरी की अपेक्षा दूने से भी अधिक क्यों है ?

उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : १२ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ के भाग (ख) के उत्तर में दिये गये आंकड़े नमक की सरकारी फैक्टरियों के प्रबन्ध पर जो खर्च हुआ, उसके बारे में थे। १९५५–५६ में सांभर व खारगोदा में नमक की उत्पादन-लागत क्रमशः लगभग ११ आने १० पाई तथा ९ आने एक पाई प्रतिमन थी। सांभर में नमक की उत्पादन-लागत के अधिक होने का कारण यह है कि राजस्थान सरकार को राजशुल्क (रायल्टी) व संधि-शुल्क दिया जाता है। १९५५–५६ में लगभग ६ आने प्रतिमन के हिसाब से यह शुल्क दिये गये। यदि ये शुल्क न हों तो सांभर का नमक सस्ता होगा।

निष्क्रांत मकान

†६६४. **डा० सत्यवादी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने निष्क्रांत मकान अनधिकृत रूप से लोगों के अधिकार में हैं;

(ख) इन मकानों को खाली करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम हुए हैं; और

(ग) कितने निष्क्रांत मकान अभी खाली हैं जो अभी दिल्ली में किसी को नहीं दिये गये हैं तथा उनका अनुमानित किराया क्या है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) ७२६।

(ख) अनधिकृत निवासियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जा रही है। पिछले ६ महीनों में २८४ अनधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की गई और ६८ मकानों के निवासियों को वस्तुतः हटाया गया।

(ग) ३२ निष्क्रांत मकान जिनका मासिक किराया ७३४ रुपये ४ आन होता है खाली हैं। प्रतिकर योजना के अधीन संभावित बिक्री को ध्यान में रख कर, नये किरायेदारों को मकान नहीं दिये जा रहे हैं।

मजदूरों की मजूरी

†६६५. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में सहकारी हथकरघा मजदूरों की मजूरी, ऐसे मजदूरों से कम है जो कि सहकारी हथकरघा कारखानों में काम नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषमता को दूर करने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) हथकरघा मजदूरों की मजूरी से सम्बन्धित यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार इस जानकारी को एकत्र करने का प्रयत्न कर रही है।

(ख) आवश्यक मजूरी-आंकड़ों के उपलब्ध होने पर ही इस पर विचार किया जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में।

डाक कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज इत्यादि (पंजाब)

†६६६. **डा० सत्यवादी :** क्या **संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो :

(क) पंजाब और पेप्सू राज्य में पहली जनवरी, १९५२ को और ३१ अक्तूबर, १९५६ को राज्यवार डाकघरों, संयुक्त डाक तथा तार घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी थी; और

(ख) १९५७ में कुल कितने कार्यालय खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है ।

१९५७ में खोले जाने वाले डाकघरों इत्यादि की कुल संख्या दिखाने वाला विवरण (५-१२-५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ भाग (ख) के अनुसार)

राज्य	१९५७ में खोले जाने वाले कुल कार्यालयों की संख्या			
	डाकघर	संयुक्त डाक व तार घर	सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	टेलीफोन एक्सचेंज
पंजाब ...	१५०	१७*	७*	२*
पेप्सू	६६	५*	२*	१*

*सामान के उपलब्ध होने पर

कार्मिक संघ (मनीपुर)

†६६७ **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के कितने संघों ने कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये आवेदन दिया है; और

(ख) सरकार ने उन आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मिशमी पहाड़ियों में हायूलियांग में सहायक राजनैतिक अधिकारी के कमचारियों के क्वार्टर

†६६८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १९५१–५२ में तेजू से सहायक राजनैतिक अधिकारी के कार्यालय का हायूलियांग में स्थानान्तरण होने के कारण, मिशमी पहाड़ियों के हायूलियांग में सहायक राजनैतिक अधिकारी के कर्मचारियों के लिये अस्थायी क्वार्टरों के निर्माण के लिये १०,००० रुपया मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्वार्टर बने हैं और उनका विवरण क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है । उसके प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७७७–९९
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
८१४	कोयला	७७७
८१५	कोयला खानों में दुर्घटनायें ...	७७७–७८
८१६	कच्चा रेशम	७७८–७९
८२०	शिक्षित बेकार	७७९–८०
८२४	चाय का निर्यात	७८०–८२
८२६	रबड़ उगाने वाले	७८२–८३
८२७	नीवेली लिगनाइट परियोजना	७८३–८५
८३०	हांगकांग में भारतीय	७८५
८३१	डीजल तेल	७८६–८७
८२९	मोनाजाइट बालू ...	७८७
८३४	निर्यात और आयात व्यापार ...	७८७–९०
८३९	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ...	७९०–९१
८४१	पाकिस्तान हेलिकाप्टर (विमान) का उतरना	७९१–९२
८४२	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	७९२–९४
८४३	उत्तरी सीमा	७९४–९६
८४५	औद्योगिक सामान के लिये सोवियत ऋण	७९६–९७
८४६	भारतीय रुई	७९७–९९
८४७	सोवियत संघ द्वारा नाभिकीय परीक्षण	७९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८००–३९
तारांकित प्रश्न संख्या		
८१३	तेल शोधन कारखाने ...	८००
८१७	अफगानिस्तान में अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें	८००
८१९	दक्षिणी ध्रुव प्रदेश	८००
८२१	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी	८००–०१
८२२	कोयला खदानें	८०१
८२३	डाक तथा तार कर्मचारी (हैदराबाद सर्किल)	८०१
८२५	संचार मंत्रालय के भवन निर्माण-कार्य ...	८०१–०२
८२८	कोयला उत्पादन की लागत	८०२
८३२	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण	८०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८३३	छोटे उद्योगों के लिये ऋण की सुविधायें ...	८०३
८३५	निर्यात ऋण प्रत्याभूति योजना ...	८०३
८३६	अशोक होटल ...	८०३
८३७	इस्पात समानीकरण निधि	८०३–०४
८३८	अगिया घास तेल	८०४
८४०	बर्मा के भारतीयों द्वारा अभ्यावेदन ...	८०४
८४४	श्रीलंका में भारतीय	८०५
८४९	खानों में शिशु-गृह ...	८०५
८५०	लन्दन में भारतीय उच्च आयोग ...	८०५–०६
८५१	इंगलिस्तानी वस्त्र मिशन ...	८०६
८५२	कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३	८०६
८५३	भूकम्प चित्रक स्टेशन	८०६–०७
८५४	विमान परिवहन परिषद्	८०७
८५५	गुड़िया बनाना ...	८०७
८५६	गोआ की मेंगनीज़ अयस्क खानें ...	८०७
८५७	दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय ...	८०८
८५८	हथकरघा उद्योग का केन्द्रीय मार्केटिंग संगठन	८०८
८५९	रूसी विमान सेवा	८०८
८६०	डाक तथा तार अस्पताल समिति, पटना	८०८–०९
८६१	गोआ	८०९
८६२	शिखर सम्मेलन	८०९
८६३	झिलमिलियां बनाने वाला कारखाना	८०९
८६४	प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का सहयोग	८१०
८६५	पाकिस्तान द्वारा सीमेंट का सम्भरण ...	८१०
८६६	सीमेंट का स्टॉक	८१०–११
८६७	टायर और ट्यूब उद्योग	८११
८६८	अरब देश ...	८११
६४०	रबड़ टायर फैक्टरी ...	८११
६५३	गन्धक की आवश्यकतायें	८११–१२
६६२	रंग उद्योग	८१२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
५९७	कागज उद्योग	८१२
५९८	कैल्शियम कार्बाइड ...	८१२
५९९	यूरोपीय देशों में भारतीय	८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६००	रेडियो	८१३
६०१	रेडियो सेट ...	८१३–१४
६०२	टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र (पंजाब)	८१४
६०३	चमड़े का निर्यात ...	८१४–१५
६०४	फाउन्टेन पेन	८१५
६०५	भारी उद्योगों का विकास	८१५
६०६	अंडी और मुगा कपड़े का विकास	८१६
६०८	चीनी और मिट्टी का सामान	८१६
६०९	डूंगरपुर-बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन	८१६
६१०	हथकरघा उत्पादन केन्द्र	८१६
६११	तम्बाकू की चीजों का आयात ...	८१७
६१२	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	८१७
६१३	छोटे पैमाने के ग्राम उद्योग	८१७
६१४	श्रम संविदा योजना	८१८
६१५	रबड़ बोर्ड	८१८
६१६	रबड़ बागान	८१८
६१७	हामूलियांग मिशमी पहाड़ियों में सी० एल० सी० भंडार	८१९
६१८	सीमा विवाद ...	८१९
६१९	मैसूर राज्य की आवास योजनायें	८१९–२०
६२०	संश्लिष्ट रबड़	८२०
६२१	सुविधा सर्वेक्षण समिति	८२०
६२२	युद्ध क्षतिपूर्ति	८२१
६२३	प्रेक्षेपकों का निर्माण ...	८२१
६२४	नंगल उर्वरक एवं भारी जल फैक्टरी	८२१
६२५	जम्मू तथा काश्मीर में खनिज सर्वेक्षण	८२१
६२६	विदेशों में भारतीय चलचित्र	८२१–२२
६२७	पाकिस्तान को तीर्थ यात्री	८२२
६२८	आणविक पृथक्करण संयन्त्र	८२२
६२९	लकड़ी के काम की संस्थायें	८२२–२३
६३०	ग्राम और खादी उद्योगों का विकास	८२३
६३१	सीमान्त घटनायें ...	८२३–२४
६३२	फरीदाबाद की बस्ती ...	८२४
६३३	कनाडा के लिये भारतीय आप्रवासी	८२४
६३४	यूरेनियम ...	८२५
६३५	प्रेस टेलीग्राम	८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६३६	साइकिलों का निर्यात ...	८२५–२६
६३७	एलमुनियम ...	८२६
६३८	उत्तुंग अन्तरिक्ष किरण गवेषणा प्रयोगशाला ...	८२६
६३९	निष्क्रांत सम्पत्ति	८२७
६४०	आकाशवाणी ...	८२७
६४१	स्विमिंग पूल रिएक्टर	८२७
६४२	साइकिलें	८२७–२८
६४३	रूस मे व्यापार	८२८
६४४	ऊन उद्योग का विकास	८२८
६४५	मोतीनगर में अस्पताल	८२९
६४६	साइकिल उद्योग ...	८२९
६४७	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	८२९
६४८	आंध्र में जुलाहों की संस्थायें	८२९–३०
६४९	प्रशिक्षण केन्द्र	८३०–३१
६५०	मधु-मक्खी पालन केन्द्र ...	८३१–३४
६५१	कान पर लगाने के लैक्टो-इलेक्ट्रोनिक फोन	८३४
६५३	विलायक निस्सारण	८३४–३५
६५४	ग्रामोद्योगों का विकास ...	८३५
६५५	दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे डाक सेवा का प्रधान कार्यालय	८३५
६५६	भारतीय राष्ट्रजनों का पुनर्वास ...	८३५–३६
६५७	भारतीय प्लास्टिक वस्तु निर्माण उद्योग	८३६
६५८	डाक तथा तार कार्यालय, जालन्धर	८३६
६५९	टेलीफोन एक्सचेंज, गीदड़बहा	८३६–३७
६६०	तार कार्यालय, सीतोगन्नो	८३७
६६१	लुधियाना में औद्योगिक बस्ती	८३७
६६२	मिर्चें	८३७
६६३	सांभर का नमक का कारखाना	८३८
६६४	निष्क्रांत मकान	८३८
६६५	मजदूरों की मजूरी	८३८
६६६	डाक कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज इत्यादि (पंजाब) ...	८३९
६६७	कार्मिक संघ (मनीपुर)	८३९
६६८	मिशमी पहाड़ियों में हायूलियांग में सहायक राजनैतिक अधिकारी के कर्मचारियों के क्वार्टर	८३९

M16LSD—190—6-2-58—GIPF.

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

(५ दिसम्बर ~~१४ नवम्बर~~ से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

	पृष्ठ
अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२५–२६
एक सदस्य के स्थान की रिक्ति	७२६–२९
केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२९–४५
खण्ड २ से १६ और १	७३९–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	७४४
लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७४५–५१
खण्ड २, ३ और १ ...	७४९–५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	७५१
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७५१–५४
३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव	७५४–७२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन	७७२
राज्य-सभा से सन्देश	७७२
दैनिक संक्षेपिका	७७३–७४
अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६	
डा० अम्बेडकर का निधन	७७५–७९
दैनिक संक्षेपिका	७८०
अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७८२
राज्य-सभा से सन्देश	७८२
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	७८२
सभा का कार्य	७८२–८४
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	७८४
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव ...	७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४
राज्य-सभा से सन्देश १३६४
दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४
याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४
अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५
बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५
कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०
कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८
दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३
राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३
अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४
प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५
सभा का कार्य ... १४३५

पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति १४३५–३६

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४३६–७२

खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १ १४५३–७१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १४७२

वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४७२–८०

नियम समिति

सातवां प्रतिवेदन १४८०

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)

विचार करने का प्रस्ताव ... १४८०–९१

दैनिक संक्षेपिका १४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति १४९५–९६

केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना १४९६–९८

सभा-पटल पर रखे गय पत्र ... १४९८–९९

राज्य-सभा से सन्देश ... १४९९–१५०३, १५८१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १५०३, १५८१

प्राक्कलन समिति

उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन १५०४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन १५०४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

केरल में उचित मूल्य की दुकानें १५०४–०५

नियम समिति—

सातवां प्रतिवेदन ... १५०५

एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ... १५०५–०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में १५०६

सभा का कार्य ... १५०६

फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ... १५०६–१५

दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५१५–२३

खण्ड २ और १ ... १५२३

पारित करने का प्रस्ताव १५२३

	पृष्ठ
गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १	१५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ...	१५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १	१५७९
पारित करने का प्रस्ताव	१५७९
आश्वासन समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन ...	१५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र	१५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—	
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ...	१५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ...	१५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ...	१५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२·०१ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का तृतीय वार्षिक अधिवेशन

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, १९५५-५६ के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–५१४/५६**]

वायु निगम नियमों का संशोधन

†**श्री जगजीवन राम** : मैं वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, वायु निगम नियम, १९५४ में संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या ७–सी० ए० (८)/५६, दिनांक १९ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–५१५/५६**]

अम्बर चर्खा जांच समिति सम्बन्धी संकल्प

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं संकल्प संख्या १२/४३/५६–ए० सी०, दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ की एक प्रति जिस में अम्बर चर्खा जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार का मत दिया हुआ है, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–५१७/५६**]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अभिसमय तथा सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं जून, १९५५ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३८वें सत्र के अभिसमय तथा सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा की गयी अथवा प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–५१६/५६**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

M45LSD—1

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जून, १९५५ में हुआ था। अब दिसम्बर मास है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 'कन्वेंशन' के अनुसार यह विवरण, पास होते ही दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाना चाहिये था। हम विलम्ब का कारण जानना चाहते हैं।

†**श्री आबिद अली** : विलम्ब का कारण यह था कि अभिसमय तथा सिफारिशों के पास होने के बाद हमने अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया। इसके बाद यह मामला भारत में त्रिदलीय समिति के सम्मुख रखा जाता है। उसका निर्णय प्राप्त होने के बाद सरकार अन्तिम निर्णय लेती है और उसे यहां रखती है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में वह कार्यवाही दी गयी है जो की जा चुकी है तथा जो की जाने वाली है। जहां तक की जाने वाली कार्यवाही का प्रश्न है, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

†**श्री आबिद अली** : मैं बिलकुल आप के हाथ में हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा।

---

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : श्री फीरोज गांधी का जो प्रस्ताव आज तीन बजे लिया जाने वाला है उस पर मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव अभी सभा के सम्मुख नहीं रखा गया है और जब तक सभा में उस पर कुछ कहा न जाय उस पर औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

सदस्य के स्थान की रिक्ति

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान के अनुच्छेद १०१ के खण्ड ४ के अनुसार लोक-सभा के सदस्य श्री शिव-नारायण सिंह महापात्र का स्थान, जो कि सभा की समस्त बैठकों से ६० दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहे हैं, रिक्त घोषित किया जाता है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : एक औचित्य प्रश्न पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के नेता अथवा संसद्-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अथवा ऐसे सदस्य द्वारा जिसे सदन के नेता ने इस बात के लिये अधिकृत किया हो। प्रश्न केवल यह है कि क्या माननीय सदस्य को इस के लिये अधिकृत किया गया है या नहीं ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपना अधिकार माननीय सदस्य को सौंप दिया है और उन्होंने इस हैसियत से उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्री आल्तेकर का प्रस्ताव नियमित नहीं है क्योंकि नियमों में जैसा अपेक्षित है उस प्रकार हमें प्रस्ताव की कोई पूर्व-सूचना नहीं दी गयी थी। यह बहुत महत्व-पूर्ण मामला है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर कल या परसों विचार किया जाये जिससे कि हम प्रस्ताव पर संशोधन पेश कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस प्रकार के संशोधन देना चाहते हैं ?

†**श्री कामत** : संशोधन देने से पूर्व हमें सोचना होता है । यह प्रस्ताव हमें आज सुबह ९ बजे देखने को मिला है । हमें सोचना है । इसलिये इसे कल तक के लिये निलम्बित रखा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वर्तमान परिस्थिति में मेरा विचार यह है कि जो प्रस्ताव हम पहले ही पास कर चुके हैं यह प्रस्ताव उसका आनुषंगिक है । इसलिये मैं इसको स्थगित करने की आवश्यकता नहीं समझता ।

†**श्री कामत** : मेरा निवेदन है कि संशोधन केवल संशोधन मात्र ही नहीं होता । यह उसके स्थान पर दूसरा प्रस्ताव रखने के सम्बन्ध में भी हो सकता है । हमने कल स्वीकार किया था कि एक प्रस्ताव लाया जाये । किन्तु उस प्रस्ताव के स्थान पर हम दूसरा प्रस्ताव स्वीकृत कर सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस प्रस्ताव के स्थान पर दूसरा रखना भी मूल प्रस्ताव का संशोधन ही है । मेरी राय में इस मामले में मूल प्रस्ताव के स्थान पर अन्य प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता ।

†**श्री कामत** : क्या सभा स्वयं अपने निर्णय को बदल नहीं सकती ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सभा अपना निर्णय बदलना चाहती है तो अभी बदल दे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : प्रतिवेदन से पता चलता है कि यह सदस्य ६०० दिन में से लगभग ५०० दिन अनुपस्थित रहे हैं । यह आश्चर्यजनक रूप से अधिक संख्या है । इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रस्ताव में ६० दिन कहने की अपेक्षा हम वास्तविक दिनों की पूरी संख्या दें जिस से बाहर लोगों को ज्ञात हो कि केवल अपवादस्वरूप मामले में ही हमने यह कदम उठाया है तथा सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अखबारों में छप चुका है और बाहरी दुनिया को मालूम हो चुका है । अब संविधान तथा नियमों के अन्तर्गत हमें केवल यही कहना है कि माननीय सदस्य ६० दिन से अधिक अनुपस्थित रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : समिति ने सदस्य से उपयुक्त उत्तर पाने का भरसक प्रयत्न किया था । किन्तु मेरा विचार है कि एक छोटी-सी बात नहीं की गयी । माननीय सदस्य सभा के बहुमत दल के सदस्य हैं । मेरा ख्याल है सम्बन्धित दल को अपने संगठन तंत्र का प्रयोग उनका शीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिये करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह दल का आन्तरिक मामला है; यहां हमसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री कामत** : यह सभा सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न है और जो निर्णय इसने कल अथवा एक या दो घण्टे पूर्व लिया था उसे बदल सकती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कल के निर्णय को पुनरीक्षित करना है तो एक भिन्न प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है । जहां तक प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्ध है, सभा को अपना निर्णय देना है कि वह इससे सहमत है या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** : मेरा निवेदन है कि समिति ने जब सदस्य की ५०० दिन की अनुपस्थिति क्षमा कर दी है तो अब जब कि सभा का अन्तिम सत्र हो रहा है इतना कठोर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी । यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि जब ५०० दिन की अनुपस्थिति क्षमा की जा सकती है तो कुछ और दिन की अनुपस्थिति भी क्षमा कर दी जायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को फिर बता दूं कि समिति ने क्या किया या उसे क्या करना चाहिये अब उसका अवसर नहीं है । सभा एक बात पहले ही तय कर चुकी है । अब उससे आगे बढ़ना है ।

†**श्री कामत** : मैं केवल यही चाहता हूं यहां सभा में प्रगतिशील परम्पराओं का निर्माण हो । इसलिये मेरा निवेदन है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाये तो अन्तिम निर्णय से पूर्व उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका देना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसा कोई उपबन्ध संविधान में अथवा नियमों में नहीं है कि सभा द्वारा इस प्रकार का निर्णय ले लेने पर, अर्थात् अनुपस्थिति क्षमा नहीं की जायेगी, बाद में आनुषंगिक प्रस्ताव लाया जाये ।

†**श्री कामत** : सदन में हम ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिनका उपबन्ध संविधान में या नियमों में नहीं है । सम्बन्धित सदस्य को शायद आज सुबह ही अखबार से मालूम हुआ होगा कि उनके विरुद्ध क्या कदम उठाया गया है । मुझे आशा है कि आपका परिपक्व ज्ञान.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विवादास्पद विषय यह नहीं है ।

†**श्री कामत** : मेरे माननीय साथी इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि यह अन्तिम कार्यवाही करने से पहिले, सदस्य भी उपस्थित होना चाहिये ताकि वह सुन सके कि उसके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : मैं इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाहता हूं । यदि कोई संवैधानिक शक्यता है कि कल का प्रस्ताव पारित करने के बाद हम यह प्रस्ताव पारित नहीं करते हैं तब मेरे विचार में वह शक्यता तभी उत्पन्न हो सकती है जब उस सदस्य को कल के निर्णय से सूचित किया जाता है । इसके लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये और फिर यदि हम उससे कुछ न सुनें तो हम आज के प्रस्ताव पर निर्णय कर सकते हैं । यदि हम आज के प्रस्ताव को एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दें तो इससे कोई हानि न होगी ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला–शिमला) : इस में सन्देह नहीं कि माननीय सदस्य को सूचनायें भेजी गई थीं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था । परन्तु सूचना भेजने और सूचना के मिलने में प्रभेद है । इसलिये भविष्य में हमारे पथ प्रदर्शन के लिये यह उचित होगा यदि समिति यह अभिनिश्चित करे कि कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना माननीय सदस्य को मिली भी थी या नहीं, हो सकता है कि अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से सूचना माननीय सदस्य तक न पहुंची हो ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : पूर्वानुपर तीन सप्ताह तक सूचना भेजी गई थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सम्बन्धित माननीय सदस्य को संसद् की ओर से राज्य सरकार के द्वारा सूचना भेजी गई थी और राज्य सरकार ने उसे अभिस्वीकार किया है और उत्तर भेजा है कि सूचना दे दी गई है और साथ ही स्वयं सदस्य की अभिस्वीकृति भी भेजी है ।

†**श्री कामत** : सूचना में क्या लिखा गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसे कल पढ़ कर सुना दिया गया था । प्रतिवेदन में भी उसे दिया हुआ है ।

†**श्री टेक चन्द** : वस्तुतः अब और कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु मेरे विचार में जिस सदस्य को अर्नाहित किया जाना है उसे एक अन्तिम अवसर भी दिया जाना चाहिये । यदि आप इसे लगभग एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दें तो आप इस मामले में एक अधिक प्रभावी न्याय करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो भी कार्यवाही आवश्यक है उसका निर्णय सभा को करना है । स्वयं मैं इस मामले को स्थगित रखने के पक्ष में नहीं हूं । हमें कल के निर्णय पर स्थिर रहना चाहिये । सम्बन्धित माननीय सदस्य की अनुपस्थिति को माफ नहीं किया गया है । इसलिये वाद-विवाद स्थगित करने का कोई कारण नहीं है ।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । क्या मुझे कम से कम यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है कि इस प्रस्ताव पर विचार १२ दिसम्बर, १९५६ तक स्थगित किया जाय ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे प्रस्तुत किया जाय ।

†**श्री कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"प्रस्ताव पर विचार १२ दिसम्बर, १९५६ तक स्थगित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मुख्य प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद १०१ के खण्ड ४ के अनुसार लोक-सभा के सदस्य श्री शिवनारायण सिंह महापात्र का स्थान, जो कि सभा की समस्त बैठकों से ६० दिनों से अधिक तक अनुपस्थित रहे हैं, रिक्त घोषित किया जाता है ।"

स्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय बिक्री-कर विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा केन्द्रीय बिक्री-कर विधेयक से सम्बन्धित प्रस्ताव पर और आगे विचार पुनः आरम्भ करेगी ।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में कहा था कि खाद्य पदार्थों, मिट्टी के तेल और नमक जैसी कुछ सारभूत वस्तुओं को भी विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिये । इसका कारण यह है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कुछ खाद्य पदार्थों पर कर अत्याधिक दरों पर लगाते हैं । यदि इन वस्तुओं को केन्द्रीय सरकार के पर्यालोकन के अधीन लाया गया तो उनके सम्बन्ध में एक एकरूप नीति सुनिश्चित हो सकेगी ।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ प्रकार का एक कराधान बोर्ड भी होना चाहिये । हम सामान्यतया देखते हैं कि सभी करों का केवल निर्धन व्यक्तियों पर प्रभाव होता है । मैं इस पक्ष में हूं कि धनी व्यक्तियों पर और विलास वस्तुओं पर भी कर लगाया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ले० जोगेश्वर सिंह]

जहां तक बिक्री-कर का सम्बन्ध है, समस्त देश के लिये एकरूपी नीति के सम्बन्ध में एक बिक्री-कर परिषद् होनी चाहिये और इस संगठन को विभिन्न राज्यों में वर्तमान बिक्री-कर संस्थाओं की गतिविधियों को सहयोजित करना चाहिये ।

बिक्री-कर के लिये यह बिक्री-कर बोर्ड भी होना चाहिये । मैंने कल बताया था कि कुछ राज्यों में बिक्री-कर के मामले में कई कठिनाइयां तथा अनियमिततायें हैं । छोटे व्यापारियों को अपना लेखा तक रखना नहीं आता है । ये बिक्री-कर मंत्रणा बोर्ड उन्हें मंत्रणा दे सकेंगे ।

बिक्री-कर से वस्तुओं को छूट देने के सम्बन्ध में जो सरकारी संशोधन है, मेरे विचार में उस से इस विधेयक में बताई गई वस्तुओं को कर से छूट मिल जायेगी और यह भी हो सकता है कि विधेयक में बताई गई वस्तुओं को छूट न भी मिले । इसलिये स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिये कि इन विशिष्ट वस्तुओं को कर से छूट होगी ।

एक संघ क्षेत्र से दूसरे ऐसे क्षेत्र में या विपरीत दिशा में या एक संघ क्षेत्र से एक राज्य में या विपरीत दिशा में सामान के वहन के सम्बन्ध में भी विधेयक में स्थिति स्पष्ट नहीं है । इसे स्पष्ट करना चाहिये ।

अब मैं सामान्य बिक्री-कर की चर्चा करना चाहता हूं । संघ क्षेत्र में और राज्यों में कर योग्य सीमाओं में अन्तर है । आसाम में कर योग्य सीमा ७,००० रुपये है और मनीपुर में ५,००० रुपये है । मनीपुर का संघ क्षेत्र वाणिज्यिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । और यहां भी सीमा बढ़ा कर ७,००० रुपये की जानी चाहिये । यदि ऐसा किया गया तो कई छोटे दुकानदारों को लाभ होगा और बिक्री-कर की अदायगी के सम्बन्ध में उन्हें कोई कष्ट न होगा ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह कामना है कि यह विधेयक इसी सत्र में ही दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाय क्योंकि मैं इस बात का इच्छुक हूं कि राज्य सरकारें अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित न रहें ।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने अगले पांच वर्षों में इस स्रोत से आय के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े बताये थे । मेरे विचार में उन में उस कर के आंकड़े भी थे जो राज्य सरकारें लगा सकेंगी । १९० करोड़ की राशि में केवल अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर के ही आंकड़े नहीं हैं ।

जब राज्य अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर नहीं लगा सकते थे तब राज्य के भीतर कुछ वस्तुओं के व्यापार तुलना में अन्तर्राज्यिक व्यापार को कुछ वस्तुओं से अधिक प्रोत्साहन मिला था । उदाहरणार्थ हैदराबाद राज्य में जब व्यापारी कपास या तैल-बीज बम्बई राज्य के उद्योगपतियों या व्यापारियों को बेचना चाहते थे तो इसे अन्तर्राज्यिक व्यापार कहा जाता था और कोई कर नहीं लगाया जाता था । परन्तु पहिली नवम्बर को पुर्नगठन के बाद अब यह क्षेत्र बम्बई राज्य में है और अब बिक्री-कर देना पड़ता है । इसीलिये इस कर का विरोध किया जा रहा है । परन्तु मेरे विचार में ऐसा नहीं है । बिक्री-कर में एकरूपता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । यदि हमारा यह विश्वास है कि देश एक है और व्यापार में स्वतन्त्रता होनी चाहिये तो विभिन्न राज्यों में कर की विभिन्न दरें बाधा बन जाती हैं । कई राज्य स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं । कर की दर में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये ।

एक सामान्यत: अनुभव यह है कि इस कर का अपवंचन होता है । व्यापारी यह सोचते हैं कि ग्राहक से बिक्रि-कर न लेने पर वह दोबारा फिर आयेगा । कर अपवंचन को कैसे रोका जाय ? व्यापारी तथा

†मूल अंग्रेजी में ।

ग्राहक दोनों की ही इस अपवंचन में अभिरुचि है। इसलिये इसका एक प्रभावी उपचार यह है कि बिक्री-कर प्रारम्भिक स्थान पर ही लिया जाय। उत्पादन के स्थान से मंडी तक हमारा कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। अन्य मामलों में जहां वस्तुओं का आयात होता है या जहां वे तैयार होती हैं वहां प्रारम्भिक स्थान सुगमता से मालूम किया जा सकता है। इस प्रकार कर अपवंचन को रोका जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार बिक्री-कर की दर कम करने पर अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

बहुसूत्री बिक्री-कर से कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिये यदि हम बिक्री-कर इकट्ठा करने की व्यवस्था में कुछ ऐसी कार्यवाहियां करें जिन से सुगमता से कर इकट्ठा हो सके और ग्राहक या उपभोक्ता को भी कोई कठिनाई न हो तो कर अपवंचन का भय बिल्कुल जाता रहेगा और इसे अधिक प्रभावी ढंग से वसूल किया जा सकेगा।

अब मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि किस प्रक्रम पर अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर लगाया जाना चाहिये। मैं सट्टेबाजी के सौदों की बात नहीं कहता बल्कि वास्तविक सौदों के बारे में होता यह है कि यदि बम्बई मंडी में किसी खरीदार द्वारा हैदराबाद से कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसे वसूल करने से पहिले ही वह उसे हैदराबाद में ही किसी के पास बेच देता है तो ऐसे मामलों में उस वस्तु को वास्तविक स्थान से स्थानान्तरित किए बिना दो सौदे हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह अन्तर्राज्यिक सौदा है या नहीं है। कई बार दूसरा पक्ष उस वस्तु को किसी और राज्य में भेजने के लिये भी कह देता है। इसलिये मेरा मत यह है कि अन्तर्राज्यिक कर केवल तभी लगाया जाय जब वस्तुतः वह वस्तु कोई प्राप्त कर ले।

अब मैं विशेष महत्व की वस्तुओं का मामला लेता हूं। यदि आप सूची का अध्ययन करें तो ये सभी छः वर्ग कच्चे सामान से सम्बन्धित हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है इस का एकमात्र उद्देश्य यह है कि निर्मित वस्तुओं के दामों में वृद्धि न होने पाये। परन्तु प्रश्न यह है कि उपभोक्ता का क्या होगा? मैं इन वस्तुओं की बात नहीं कह रहा, अन्य 'सारभूत वस्तुयें' भी हैं। जिस समय हमने संविधान में संशोधन किया था उस समय इस की काफी चर्चा की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि इस बात पर द्वितीय विधेयक, अर्थात् वर्तमान विधेयक के समय विचार किया जायेगा और कुछ सारभूत वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जायेगा। आप मिट्टी के तेल या नमक को ही लीजिये। उन्हें एक या एक से अधिक राज्यों में से गुजरना पड़ता है। यदि इन वस्तुओं पर एक से अधिक बार बिक्री-कर लिया जायेगा तो उनके दाम बढ़ जायेंगे और बेचारे उपभोक्ता को इससे कठिनाई होगी। इसलिये जब हम निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में कहते हैं कि कच्चे सामान पर कोई बिक्री-कर या अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर नहीं होना चाहिये तो यही तर्क सारभूत वस्तुओं पर भी लागू होना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा है यदि उस स्थान पर जहां से वस्तुयें चलती हैं कर लगाया जाये और फिर उस वस्तु पर ही कोई कर न लिया जाये तो इस से सरकार को कोई हानि नहीं होगी और दामों में भी विशेष वृद्धि न होने पायेगी।

एक और प्रश्न यह है कि जब कुछ वस्तुओं पर पहिले ही आयात या उत्पादन शुल्क ले लिया जाता है तो क्या उन पर फिर विभिन्न बिक्री-कर भी लिये जाने चाहियें? जैसा कि मैं कह चुका हूं इन सभी करों को मिला क्यों न दिया जाय? यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम केवल एक स्थान पर ही करारोपण किया जाय।

एक माननीय सदस्य ने अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर आयोग के बारे में जो सुझाव दिया है, मेरे विचार में यदि हम बिक्री-कर की एकरूपता का ध्यान रखें तो इस आयोग की कोई आवश्यकता

[श्री हेडा]

न रहेगी । इसी प्रकार खण्ड संख्या १४ में मदों की सूची में भी यदि हम वृद्धि कर दें तो आयोग की कोई आवश्यकता न होगी । सरकार द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकारें सूची को बढ़ाने से सहमत नहीं हैं । हम उनसे यह आशा कर ही नहीं सकते हैं । राज्य सरकारों की इच्छा न होते हुए भी इस समस्या की ओर संसद् को ध्यान देना होगा । राज्य सरकारें राजस्व से अपने को वंचित क्यों करेंगी ? विशेषतया ऐसे राज्य जो लाभकारी स्थिति में हैं, जिनकी बन्दरगाहें हैं या बड़े-बड़े निर्माणकारी या वितरण केन्द्र हैं वे कभी इस सुझाव से सहमत न होंगे । परन्तु हमें अवश्य इन बातों पर विचार करना चाहिये और हमें कुछ उपाय करने होंगे ।

आप बम्बई विरुद्ध हैदराबाद के प्रश्न को ही लीजिये । बम्बई में बन्दरगाह भी है और वह एक निर्माण केन्द्र भी है । हैदराबाद और देश के अन्य भागों को बम्बई के द्वारा या बम्बई से अपनी वस्तुयें प्राप्त होती हैं । जब बम्बई सरकार बिक्री-कर लगाती है तो वह न केवल राज्य में उपभोक्ता स कर लेती है बल्कि कुछ अन्य राज्यों में उपभोक्ता से भी कर प्राप्त करती है ।

निश्चित रूप से यह एक अनियमितता है और इसे दूर करने के लिये बिक्री-कर में कुछ एक-रूपता होनी चाहिये और खण्ड १४ के अधीन सूची में, विशेषतया जनसंख्या के उपभोग के लिये कुछ आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में, विस्तार किया जाना चाहिये ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं इस मत का समर्थन करता हूं कि खण्ड १४ के अधीन कुछ खाद्यान्न भी सम्मिलित कर लिये जायें । मैं जानता हूं कि इस प्रकार के मामलों में केन्द्र को राज्य सरकारों की इच्छा का भी सम्मान करना होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा यही सुझाव है कि केन्द्र राज्य सरकारों को इस बारे में बहुत अधिक शक्ति न दे ।

जब पुराने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम पर विचार हो रहा था, उस समय भी यही मत प्रकट किया गया था । हमारा संविधान भी हमें इस बात की अनुमति देता है कि इस सूची में कोई भी अत्यावश्यक वस्तु सम्मिलित की जा सकती है । तो क्या विभिन्न खाद्यान्न भी मानव जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुयें नहीं हैं ? इस सूची में तो केवल वाणिज्यिक तथा व्यापारिक महत्व की वस्तुयें ही सम्मिलित की गयी हैं और वे भी इस दृष्टि से कि राज्यों के राजस्व बढ़ सकें । राज्यों के राजस्व अवश्य बढ़ें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं । परन्तु हम यह नहीं चाहते कि राज्य सरकारें केवल अपना राजस्व बढ़ाने के लिये हर किसी वस्तु पर कर लगाती रहें । इस सारी व्यवस्था में एकरूपता लाने की आवश्यकता है । अतः हम चाहते हैं कि कई खाद्यान्नों को भी खण्ड १४ में सम्मिलित कर दिया जाये ।

कल जो नया संशोधन परिचालित किया गया था, उसका सभा में थोड़ा-सा विरोध हुआ था । परन्तु, वास्तव में, इस में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है । यह तो केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति देना चाहता है कि वह संघ क्षेत्रों में भी अन्य राज्यों के समान ही किन्हीं विशेष वस्तुओं को कराधान से छूट दे सके । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सभी राज्यों में एक समान नीति अपनायी जाये । अतः अन्त में मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहता हूं कि अत्यावश्यक खाद्यान्नों को भी खण्ड १४ में सम्मिलित कर दिया जाये ।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्ज टैक्स (बिक्री कर) का असर देश की आम जनता ——अमीर-गरीब सभी पर पड़ता है । कंट्रोल के जमाने से खास तौर पर हमारे देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्तर बहुत गिरा हुआ है । जब भी कोई टैक्स लगाया

†मूल अंग्रेजी में ।

जाता है, तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे टैक्सों में से एक सेल्ज टैक्स है। हम देखते हैं कि दिल्ली से काफी माल बगैर सेल्ज टैक्स दिये, बगैर परची के, जाता है और दूसरे शहरों में बेचा जाता है। उन शहरों में भी वह माल बगैर परची के और बगैर सेल्ज टैक्स दिये बेचा जाता है। इस तरीके से स्टेट सरकारों को सेल्स टैक्स का नुक्सान होता है और साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स (आय-कर) का नुक्सान होता है। जो माल इस तरह से आता है उसका कहीं बहीखातों में जमा खर्च नहीं होता।

पिछली मर्तबा जब यहां छठा कन्सटीट्यूशन अमेंडमेंट बिल (छठा संविधान संशोधन विधेयक) पेश किया गया था तो मैंने यह ऐतराज उठाया था, और उस समय रेवेन्यू और सिविल एक्सपेंडीचर मंत्री जी ने और हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि वह आयन्दा एक ऐसा बिल लायेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो इनडाइरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष कर) हो और स्टेट्स में जितने टैक्स हों वे यूनीफार्म (एक समान) हों। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कोई बात इस बिल में नहीं है। इसलिये यह बहुत मुनासिब मालूम पड़ता है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को जाये ताकि इसमें जो कमियां हैं वे दूर हो सकें।

मैं आप को मिसाल के तौर पर बताऊं कि किस तरह से लोग सेल्स टैक्स देने से बचते हैं। यू० पी० में कपड़ा मिलें हैं और सूत की भी मिलें हैं। वहां कपड़े पर एक आना रुपया और सूत पर दो पैसा रुपया सेल्स टैक्स लगता है। होता यह है कि लोग उस तमाम माल को ट्रकों में लादकर दिल्ली ले आते हैं और उसको यहां बेच देते हैं क्योंकि दिल्ली में कपड़े पर दो पैसा रुपया सेल्स टैक्स है और सूत पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। इस तरह से वे लोग टैक्स से बच जाते हैं। इस तरीके से यू० पी० सरकार को लाखों रुपये माहवार का नुक्सान होता है। अगर सरकार चाहती है कि लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा हो तो इनडाइरेक्ट टैक्स लगाये, जहां पर कोई चीज पैदा होती है वहीं उस पर टैक्स वसूल कर लिया जाये।

मेरा सुझाव है कि अगर सरकार को सेल्स टैक्स लगाना ही है तो स्टेट्स इस टैक्स को न लगावें बल्कि स्टेट्स का भी सेल्स टैक्स सेंटर वसूल करके उनको दे दिया करे। इस बिल में एक परसेंट (प्रतिशत) टैक्स रखा गया है। मैं चाहता हूं कि इस १ परसेंट के बजाये तीन परसेंट टैक्स लगा दिया जाये, जिस में से एक परसेंट तो सेंटर ले ले और २ परसट राज्य सरकारों को दे दे। ऐसा करने से जो टैक्स की चोरी होती है वह भी रुक जायेगी, तमाम टैक्स भी वसूल हो सकेगा, और इसमें खर्चा भी कम होगा। साथ व्यापारी व दुकानदार हिसाब रखने व नक्शे दाखिल करने से बच जायेंगे। इसलिये इस बिल में यह बात होना बहुत जरूरी है। मेरा यह ख्याल है कि अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जायेगा तो इसकी जो कमियां हैं वे पूरी हो जायेंगी और साथ-साथ सेंटर की और राज्य सरकारों की आमदनी भी बढ़ जायेगी। हम देखते हैं कि आजकल सेल्स टैक्स की काफी चोरी होती है और इस वजह से सरकार को इनकम टैक्स भी बहुत कम मिलता है। इसलिये मुनासिब है कि जहां तक हो सके एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) के जरिये से जहां कोई चीज पैदा होती है वहीं उस पर टैक्स लगाया जाये और इन्डाइरेक्ट तरीके से वसूल कर लिया जाये। ऐसा करने से गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और साथ ही साथ जो जनता के मारल्स गिर रहे हैं वे भी नहीं गिरेंगे। जो बातें कंट्रोल के जमाने में चलती थीं वे ही बातें इस टैक्स की वजह से चल रही हैं।

मेरा सुझाव है मिनिस्टर साहब इन बातों पर विचार करें।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : सभा में उपस्थिति कम होने से किसी व्यक्ति को उत्साह नहीं होता है। किन्तु मेरे विचार से जो भी सदस्य इस विशेष विधेयक पर बोले वे अपने सुझावों के प्रति भी उत्साहित नहीं थे।

आलोचना का मुख्य विषय यह था कि खण्ड १४ की सूची को बढ़ाने के लिये एक प्रवर समिति नियुक्त की जाय। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, जिन्होंने यह आलोचना प्रारम्भ की, उन्होंने इस सम्बन्ध में पिछले सारे वर्षों में, संविधान सभा, इसके पूर्व की सभा तथा इस सभा में भी की गई चर्चा को बताया। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विषय पर संविधान सभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने राज्य सरकारों को कर के सम्बन्ध में स्वायत्तता देना पसन्द नहीं किया। उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट थी और आज भी इस सम्बन्ध में उनकी स्थिति स्पष्ट है। उनके विचार से राज्य सरकारें अपना दायित्व पूरा नहीं करती हैं इसलिये केन्द्र को दायित्व सम्भालना चाहिये। दुर्भाग्य से जिस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं मैं इसे ऐसे बुनियादी आदर्श के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं जिसे सरकार स्वीकार करे क्योंकि हम संघीय संविधान के अन्तर्गत काम कर रहे हैं, जिस में कुछ क्षेत्र राज्यों और कुछ केन्द्र को दे दिये गये हैं। निस्संदेह योजना तथा अच्छी आर्थिक व्यवस्था के लिये केन्द्रीय नियन्त्रण से एक शक्ति प्राप्त होती है जिस से जनसाधारण का लाभ होता है लेकिन यह अधिकार संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिस के अधीन हम काम कर रहे हैं।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मै संविधान सभा अथवा उसके बाद में इस विषय की चर्चा की याद नहीं दिलाना चाहता हूं। जहां तक इस विशेष प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह विधेयक कर जांच आयोग की कुछ विशेष सिफारिशों के कारण लाया गया है और मैं यहीं से प्रारम्भ करूंगा। मैंने कर जांच समिति के प्रतिवेदन को ही पथप्रदर्शक के रूप में माना है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड ३ कंडिका ११ और पृष्ठ ५१ में आवश्यकता के प्रश्न पर चर्चा की है। कुछ वस्तुओं को 'आवश्यक' घोषित करने तथा उनकी संख्याओं को सीमित करने में जैसा कि खण्ड १४ में किया गया है हमने कर जांच आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है। सरकार का इस सम्बन्ध में कृषकों को लाभ पहुंचाने अथवा उनके लाभ को हटा लेने, अथवा औद्योगिकों को लाभ देने अथवा उनके लाभ हटाने का कोई उद्देश्य नहीं है।

जिस तरीके से, कर जांच आयोग ने राज्य के आन्तरिक व्यापार की पृष्ठभूमि में आवश्यकता के प्रश्न पर चर्चा की है वह पुन: पढ़ने के योग्य है। मैं उसका अधिक अंश पढ़ कर सभा का अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन मैं निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत करूंगा :—

> "इसके विपरीत, प्रतिबन्ध 'आवश्यकता' के आधार पर लगाये जाते हैं जिस के अनुसार सारे राष्ट्र और किसी राज्य विशेष के लोगों में कोई भेद नहीं है। किसी राज्य विशेष के बिक्री-कर का उस राज्य के लोगों पर जो प्रभाव है उस के बारे में हमें यह अनावश्यक प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार व्यापक विधि बनाये क्योंकि यह क्षेत्राधिकार समवर्ती सूची में आता है। इस बात के लिये पर्याप्त कारण हैं कि राज्य विधान मंडलों तथा राज्य सरकारों को आन्तरिक बिक्री-कर विधि के विनियमन के बारे में स्वयं निर्णय करने दिया जाये।"

इसलिये ये वस्तुयें अत्यावश्यक प्रकार की हैं जिन पर कर निर्धारण के मामले में वास्तविक उपभोक्ता को कोई नहीं पूछता। इन वस्तुओं में कच्चा माल सम्मिलित है जिसके बारे में

†मूल अंग्रेजी में।

श्री राघवाचारी ने कहा है। कच्चा माल उद्योगों में जाता है, वहां वस्तुयें बनती हैं और वह वस्तुयें उपभोक्ताओं के पास ऐसे क्षेत्रों में पहुंचती हैं जहां वह पैदा नहीं होता।

इस कच्चे माल पर स्थान-स्थान पर कर लगाने से अन्त में उनसे बनने वाली वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है किन्तु वस्तुयें बनाने वाला उद्योग अथवा व्यापारी उसके लिये उत्तरदायी नहीं होता। कुछ वस्तुयें मूल उद्योगों की हैं। उनमें से कुछ पर राज्य तेजी से कब्जा कर रहा है। उदाहरणार्थ लोहा और इस्पात उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल पर राज्य तेजी से अपना प्रभुत्व कर रहा है। इसलिये अत्यावश्यक वस्तुयें केवल वहीं हैं जो कि बुनियादी तौर पर सब उद्योगों के लिये आवश्यक हों। इस विधि का आशय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना नहीं है।

जहां तक उद्योगपति का प्रश्न है वह लागत के हिसाब से काम करता है। यदि लागत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को देनी पड़ती है और जहां लागत कराधान से बढ़ती है वहां उपभोक्ता मूल्य निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। कराधान जांच आयोग ने इस बात को प्रतिवेदन के पृष्ठ ५५ की कंडिका १४ में स्पष्टतया कहा है। उसमें लिखा है :—

> "उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य (जहां तक केन्द्रीय नियंत्रण का सम्बन्ध है) इस बात में स्वतन्त्र होगा कि वह अपनी परिस्थिति के अनुसार बिक्री-कर के ऐसे तरीके निकाले जो उसके लिये लाभदायक हों। जहां राज्य स्वयं अपने उपभोक्ताओं पर कर लगारहा हो वहां संसद् को समवर्ती अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और कुछ वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त न घोषित किया जाये।"

इसलिये वास्तविक प्रश्न यह है कि उपभोक्ताओं के प्रति राज्य उत्तरदायी हो। आयोग ने सिफारिश की है कि हमें खाद्यान्नों को इसके बाहर रखने में सम्मिलित नहीं करना चाहिये जैसा कि खण्ड १४ में व्यवस्था की गई है।

श्री राघवाचारी ने कहा है कि खाद्यान्न भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं। आंध्र में वहां की आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा होता है इसलिये अतिरिक्त अनाज ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है जहां अनाज की कमी होती है। ऐसे अवसर पर अन्तर्राज्यीय कराधान पर नियंत्रण का प्रश्न आ जाता है। यह १ प्रतिशत तक सीमित है। यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में भी अनाज ज्यादा होता है और बाहर भेजा जाता है। हम इसे एक प्रतिशत तक सीमित कर रहे हैं और इतनी दर को सरकार भी उचित समझती है। यदि किसी राज्य के उपभोक्ता निश्चय करते हैं कि उस राज्य के उपभोक्ता ४ प्रतिशत दें और वे उसका उत्तरदायित्व लेते हैं तो हम उन्हें यह नहीं कहेंगे कि वे प्रत्येक राज्य के उपभोक्ता को बोझ से मुक्त करें किन्तु जो अधिक बोझ होगा वह १ प्रतिशत तक सीमित होगा। यह बात उपभोग करने वाले राज्य तथा उत्पादन करने वाले राज्य पर छोड़ देनी चाहिये कि वह आगे कितना कर निर्धारित करना चाहते हैं।

मामला स्पष्ट ही है। मैं माननीय मित्रों द्वारा कही गई बात समझता हूं। मैं मानता हूं कि वे काफी ठोस बातें कहते हैं। किन्तु हम परिस्थितियों के कारण विवश हैं। यह संघीय सरकार है और जहां तक राज्य का सम्बन्ध है केन्द्र उपभोक्ताओं के प्रति राज्यों को कर्त्तव्य से पीछे नहीं हटायेगा। यदि वह खाद्यान्नों पर कर लगाते हैं तो यह उनकी अपनी बात है। वे निर्वाचनों में हार भी सकते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि वे यह कहें "कि ऐसा केन्द्र ने किया है इसलिये हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है।" मैं समझता हूं कि श्री राघवाचारी इस बात को समझेंगे। स्थिति स्पष्ट है। हमारी संघीय सरकार है और यहां भी संघ का वित्त मंत्री देश की आर्थिक अवस्था, योजना तथा अन्य बातों पर नियंत्रण रखता है। हम वित्त विधेयकों पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों की

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मूल्य नीति के बारे में अवश्य पूछेंगे। मैं नियंत्रण रखने में अपनी कठिनाई समझता हूं किन्तु मैं एकदम से संविधान के उपबन्धों आदि की अवहेलना नहीं कर सकता। प्रत्येक क्षेत्र की स्वायत्तता का निरादर नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं एक उत्तरदायी निकाय द्वारा दी गई मंत्रणा की अवहेलना करूं जिसके अध्यक्ष पहले वित्त मंत्री थे। जो कुछ उस निकाय ने कहा है मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। सभी विधियां संसद् द्वारा बनाई जाती हैं और इस विधि द्वारा भी शक्तियों को लिया नहीं जा रहा है और फिर जो विधि आज पारित की जाये उससे आगे पुनरीक्षण करने पर रुकावट नहीं आती। यदि स्थिति खराब हो गई तो भविष्य में सूची में और वस्तुयें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने पहले वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वचनों की अवहेलना नहीं की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि व्यवस्था करने से पहले राज्य सरकारों से सलाह ली जायेगी। हमने राज्यों की सलाह ली है। वे सब यह नहीं चाहतीं कि खण्ड १४ में रखी गई वस्तुओं को बढ़ाया जाये, विशेषकर खाद्यान्नों को। सौराष्ट्र सरकार ने भी, जो खाद्यान्नों पर कर नहीं लगाती यह बात पसन्द नहीं की कि इस पर केन्द्रीय नियंत्रण हो। इससे उत्तरदायित्व प्रकट होता है। इसलिये यदि मुख्य कारण यही है जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये—मुझे खेद है कि वह समिति भी तथ्यों को नहीं बदल सकती। संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन से बद्ध हूं। दूसरी बात यह है कि पहले वित्त मंत्री के आश्वासन के परिणामस्वरूप यह बात सामने आई कि राज्यों ने इस बात को पसन्द नहीं किया। इस कारण मैं यह कहूंगा कि मैं खण्ड १४ का पुनरीक्षण अथवा विस्तार नहीं कर सकता। इसलिये प्रवर समिति से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

जहां तक विधेयक के दूसरे उपबन्धों का सम्बन्ध है मैं अपने दोनों संशोधनों के बारे में बताना चाहता हूं। एक संशोधन के बारे में मुझे इससे बढ़ कर समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि श्री राघवाचारी से मिला है। वास्तव में यहां एक त्रुटि है। जहां कहीं किसी राज्य में यह अधिनियम लागू होगा और राज्य की सरकार इसे लागू करेगी और जहां राज्य को इससे लाभ पहुंचेगा वहां हम राज्यों पर ही यह बात छोड़ना चाहते हैं कि वह इच्छानुसार काम करें। किन्तु जहां किसी केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्र के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है वहां यह त्रुटि है। हमें आवश्यकतानुसार कराधान की दरें बदलने तथा उससे विमुक्ति देने का अधिकार लेना है। जैसे कि माननीय सदस्यों ने कहा है दिल्ली जैसे नगर के बारे में अभी विचार करना है। इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि दिल्ली को हर चीज में विमुक्ति दी जायेगी। इस बात पर अभी विचार किया जाना है कि किस प्रकार की वस्तुयें यहां से अन्य राज्यों को वितरित की जाती हैं। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय स्थानीय प्राधिकारियों को इस प्रश्न की जांच करने के लिये कहेगा तथा मुझे यथोचित सलाह दी जायेगी। इस मामले में मंत्रणा मुझे गृह-कार्य मंत्रालय देगा और मैंने इस समय केवल यही किया है कि कराधान की दरें बदलने तथा विमुक्ति देने के अधिकार ले लिये हैं क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्रों में कर एकत्रित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र का ही है और इससे एकत्रित राशि संघीय सरकार को जाती है।

दूसरा संशोधन मौखिक संशोधन है जो कि लोहा तथा इस्पात की तैयार वस्तुओं के बारे में है। जब तक हम "तैयार वस्तुओं" की परिभाषा नहीं करते हमें इन शब्दों को हटाना पड़ेगा और अधिकारियों के स्वविवेक पर यह बात छोड़नी पड़ेगी कि लोहा और इस्पात वस्तुओं पर कर लगाते समय वे स्वयं ही दरों के परिवर्तनों का निर्धारण करें। जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है मुझे प्रसन्नता है कि सभा के बहुत से सदस्य इनका समर्थन करते हैं।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है वे सब असंगत-सी हैं। आगरा के माननीय प्रतिनिधि ने सुझाव दिया है कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाये। कुछ ऐसी वस्तुयें हैं जिनमें

राज्य सरकार यदि यह समझे कि एकल कराधान होगा तो ऐसे मामले में उत्पादन शुल्क लगाना अच्छा है। कुछ वस्तुओं के बारे में हमने प्रस्थापनायें रखी हैं, किन्तु राज्य अपने अधिकारों का बहुत ध्यान रख रहे हैं चाहे हमारी प्रस्थापनाओं से आय में वृद्धि ही होती हो। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि मान लीजिये कि वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क लगता है और केन्द्र द्वारा एकत्रित किया जाता है तो वह रकम उस रकम के अनुपात में जिसे राज्य सरकार एकत्रित करेगी कुछ भी न होगी। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हमारा कर आधा होगा। जो कुछ हमें मिलता है हम राज्यों को देते हैं किन्तु राज्य सरकारें कहती हैं कि "वर्तमान अवस्था का संरक्षण किया जाना है; भविष्य का संरक्षण भी आवश्यक है।" इस प्रकार तर्क चलते रहते हैं किन्तु मुझे आशा है कि कुछ समय में राज्य सरकारें भी देश की आर्थिक स्थिति को समझेंगी और अधिक संसाधनों के बारे में उत्सुक होंगी और त्रुटियों को कम करने की इच्छा प्रकट करेंगी। विक्रय तथा कुल व्यापार की परिभाषा का भी प्रश्न है। जहां तक कुल व्यापार का सम्बन्ध है यह शब्द बिक्री-कर अधिनियमों में एक स्वीकृत शब्द है। मुझे याद है कि १९३९ में "कुल व्यापार" शब्द की मद्रास के पहले बिक्री-कर अधिनियम में परिभाषा करते हुए हमें कठिनाई हुई थी और मैं समझता हूं कि यह परिभाषा संतोषजनक है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता किन्तु मुझे इस मामलें में थोड़ा विशेष ज्ञान है और उसे स्वीकार किया जा सकता है।

एक बात कही गई थी कि क्या इस विधि से अधिक मुकदमेबाजी पैदा नहीं होगी? संविधान लिखित है लोगों के पास पैसा है, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे अनुच्छेद २८६ के संशोधन की वैधता अमान्य कराने के लिये कुछ लोग न्यायालय में नहीं जायेंगे। मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि संविधान सभा में हमें अनुच्छेद २८६ बनाते समय बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ था। मुझे तो यह स्मरण था कि हमें उस समय कतिपय राज्यों के हितों की व्यवस्था करने के लिये ऐसा करना पड़ा और उसकी व्याख्या झगड़ा पैदा करने वाली है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमने इस विधि को यथासंभव त्रुटिरहित बनाने का प्रयास किया है। मानव में थोड़ी-बहुत बेवकूफी होती है इसलिये मैं और मेरे सलाहकार भी इस नियम से कोई अलग नहीं हैं।

बिक्री-कर की एकरूपता, बिक्री-कर आयोग तथा समन्वय के बारे में भी कहा गया। सभी सुझाव अच्छे थे। मैं यह नहीं कहता कि इन सुझावों को स्वीकार न किया जाये। प्रश्न फिर भी यही उठता है कि हम समन्वय राज्यों की अनुमति के बिना कैसे कर सकते हैं। हमारे संविधान के अधीन राज्यों की शक्तियां निश्चित हुई हैं और राज्यों की अनुमति के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। इस समय एक ऐसी संस्था है जहां हम इकट्ठे होकर परस्पर विचार कर सकते हैं। पहले वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मैं समझता हूं कि उनके लिये यह प्रयोग अच्छा रहा होगा। उन्होंने दोबारा यह प्रयत्न नहीं किया। अब प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री केन्द्र की आलोचना करते हैं। हमने भी इस प्रयोग के दोबारा करने को उचित नहीं समझा। योजना आयोग ने, योजना पर चर्चा करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् बनाई है जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्री आते हैं और उनके साथ-साथ कई बार उनके वित्त मंत्री भी आते हैं। हमें उस समय इन बातों पर विचार करने का अवसर मिलता है। मैं आशा करता हूं कि अगली बैठक में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों के सामने मैं देश के समस्त आर्थिक संसाधनों की स्थिति रखूंगा। जहां आवश्यक हो वहां संसाधन बढ़ाने का प्रश्न तथा कर एकत्र करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं समझता कि बिक्री-कर के प्रश्न पर भी उस बैठक में चर्चा की जाये। मेरा विचार है कि हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी तथा यह देखना होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के रूप में हमने एक परामर्श देने वाली जो व्यवस्था की है, उसका उपयोग करारोपण के मामलों में अन्तर्राज्यीय अथवा संघ तथा राज्य के

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

बीच परामर्श के सम्बन्ध में कहां तक किया जा सकता है। कर जांच आयोग द्वारा विहित कर परिषद् भी एक प्रकार का अन्तर्राज्यीय आयोग है जिसकी व्यवस्था संविधान में है और जिसके साथ मेरा और मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव दोनों का सम्बन्ध था। इस समय यह अत्यावश्यक मालूम नहीं होता है। भविष्य में यह आवश्यक हो सकता है। ऐसी संस्था यदि वह आवश्यक हो तो सरकार उसके बनने में बाधक नहीं होगी।

जहां तक समन्वय का प्रश्न है जिन राज्यों में कर अधिक है उनकी विभिन्न राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने का प्रयत्न किया जायेगा और उनसे यह कहा जायेगा कि करों में यथा-संभव समानता होनी चाहिये। यही किया जा सकता है। हमें इस प्रकार के अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है कि सभी राज्यों में समान कर हों। यदि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो यह संविधान के संघानीय तत्व के विरुद्ध कार्य होगा और सम्भव है कि राज्य इसका विरोध करें और करते भी हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये सुझावों के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है। जहां तक कर के प्रवर्त्तन का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों को परामर्श दे सकते हैं। मेरा विचार है कि निश्चित रूप से हमें उनको परामर्श देने का अधिकार है क्योंकि यह एक केन्द्रीय विधान है। माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई बातों पर हम ध्यान रखेंगे। परन्तु इनके अनुसार काम किया जायेगा या नहीं यह मामला दूसरा है। मैं इसको दोहराता हूं। यदि मेरे माननीय मित्र यह समझें कि मैं अपने पूर्वाधिकारी के शब्दों—कि खण्ड १४ को बढ़ाया जायेगा—के विपरीत जा रहा हूं तो इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र के तर्क को ठीक समझता हूं। हमारी आयोजित अर्थ-व्यवस्था है। परन्तु कुछ अन्य मूलभूत बातें हैं जिनको संघानीय व्यवस्था में भुलाया नहीं जा सकता। इस समय तो माननीय सदस्यों के सुझाव न मानने के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार कुछ खाद्यान्नों आदि को खण्ड १४ में रखने के पक्ष में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्यान्नों पर किन राज्यों में बिक्री-कर है तथा परामर्श लेने पर किन राज्यों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिये तथा कितने राज्यों ने इसका विरोध किया ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मेरे माननीय मित्र यह आशा न कर कि मैं यह बता कर किन राज्यों ने इसका समर्थन किया, तथा किन राज्यों ने विरोध किया, विवाद बढ़ाऊंगा। परन्तु अधिकांश ने इसका विरोध ही किया। यदि मैं नाम बताऊंगा तो राज्यों में ही उन राज्यों का विरोध होगा। माननीय सदस्य मुझे क्षमा करें कि मैं उन्हें यह सूचना नहीं दे सकता।

†**श्री अच्युतन :** क्या खाद्यान्नों पर किसी राज्य में बिक्री-कर है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इस प्रश्न पर कर जांच आयोग ने विचार किया तथा उसने लगभग भारत में बिक्री-कर विनियमनों पर विचार किया।

संशोधन संख्या ८ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य या राज्य के बाहर या भारत से किये जाने वाले निर्यात या भारत को किये जाने वाले आयात में वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय को निश्चित करने के लिये सिद्धान्त बनाने, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के विक्रय पर कर लगाने, उनका संग्रह तथा वितरण करने की व्यवस्था करने और अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व का घोषित करने और ऐसी विशेष महत्व की वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर कर लगाने वाली राज्य विधियां जिन शर्तों या निबन्धनों के अधीन रहेंगी, उन्हें निश्चित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खण्ड २ से ७ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ६ और ७ हैं परन्तु उनके प्रस्तावक उपस्थित नहीं हैं। इसलिये सभी खण्ड मतदान के लिये रखे जाते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ७ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ८—(अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य में बिक्री पर कर की दरें)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक सरकारी संशोधन है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ पंक्ति, ३९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"(5) Notwithstanding anything contained in this Section, the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interst, by Notification in the Official Gazette, direct that in respect of such goods or classes of goods as may be mentioned in the Notification, and subject to such conditions as it may think fit to impose, no tax under this Act shall be payable by any dealer having his place of business in any Union territory in respect of the sale by him from any such place of business of any such goods in the course of inter-State trade or commerce or that the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the Notification."

["(५) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में उल्लिखित ऐसी वस्तुओं

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

तथा वस्तुओं की श्रेणियों के सम्बन्ध में, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे किसी भी व्यापारी को जो संघ क्षेत्र में व्यापार करता है, अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य में इस प्रकार की वस्तु की, इस प्रकार के व्यापार के स्थान से, बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर नहीं देना पड़ेगा अथवा इस प्रकार की बिक्री-कर का आगणन उप-धारा (१) अथवा उप-धारा (२) में निर्दिष्ट दरों से कम दर पर और अधिसूचना में उल्लिखित दर पर किया जायेगा।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : कल मैंने कहा था कि इस संशोधन से हमारी आपत्तियां कम हो गई हैं परन्तु संशोधन के देखने से अब यह मालूम होता है कि अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर लगाने के अधिकार सरकार स्वयं लेना चाहती है ।

दिल्ली प्राथमिक रूप से एक वितरण केन्द्र है और मैं यही चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री मेरे द्वारा संशोधित रूप में संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो दिल्ली के व्यापारियों की इच्छायें पूरी हो जायेंगी तथा उनकी बहुत-सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । सरकार का उद्देश्य है कि करों का अपवंचन न हो तथा साथ ही साथ व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहे । संशोधन में 'ऐसी वस्तुओं तथा वस्तुओं की श्रेणियों' शब्द दिये हैं जिससे वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ पक्षपात-सा प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा है कि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी को किसी कर से विमुक्त किया जा सकता है । इसका अर्थ यह हो जाता है कि सभी व्यापारियों को छूट मिल सकती है । इसलिये मेरा विचार है कि सभी पंजीबद्ध व्यापारियों से कर ले सकने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

संशोधन में ऐसा सुधार होना चाहिये जिससे सरकार पंजीबद्ध व्यापारियों से बिक्री-कर ले सके । इसलिये माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि संशोधन का इस प्रकार सुधार हो जाये जिससे स्थानीय व्यापारी संतुष्ट हो जायें ।

श्री वि० घ० देशपाँडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस एमेंडमेंट (संशोधन) में और संशोधन करें और वह संशोधन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि दिल्ली के जो रजिस्टर्ड डीलर्स (पंजीबद्ध व्यापारी) हैं उन पर यह टैक्स (कर) न लगे । एक बात को तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और वह यह है कि आप यहां पर जितने अर्थ नियंत्रण के कानून बनाते हैं और इस पार्लियामेंट ने पिछले चार वर्षों में जितने भी विधान बनाये हैं, उन सब में एक सूत्र मैंने अभी तक देखा है । वह सूत्र यह है कि किसी चीज को नैशनैलाइज (राष्ट्रीयकृत) किया जाता है या किसी की सम्पत्ति को बिना मुआवजे (प्रतिकर) के लिया जाता है तो उस समय पूरा जो कानून है वह बनाया नहीं जाता है बल्कि एग्ज़ेक्टिव (कार्यपालिका) के हाथ में या सरकार के हाथ में सत्ता दी जाती है कि वह डिस्क्रिमिनेशन (असमानता) कर सके । असल बात तो यह है कि पार्लियामेंट को ही इस बात का फैसला करना चाहिये कि किस चीज पर उसे नियंत्रण रखना है और किस चीज को उसे माफ करना है । लेकिन होता यह है कि एक्ज़ेक्टिव को यह अधिकार प्रदान कर दिया जाता है कि वह इस चीज का निश्चय करे । कम्पनी कानून में मैनेजिंग एजेंसी के विषय में हमने यह चीज देखी है और इसी चीज को हम यहां पर भी देख रहे हैं । सच बात तो यह है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां से अनेक प्रान्तों को चीजें भेजी जाती हैं और यहां पर उनका वितरण होता है । यहां से यू० पी० में माल जाता है, पंजाब में जाता है, राजस्थान में जाता है और थोड़ा-बहुत मध्य भारत को भी जाता है । इस कारण से यहां इस टैक्स का बहुत बोझा पड़ने वाला है । मैं समझता हूं कि सरकार ने अपने संशोधन

†मूल अंग्रेजी में ।

के द्वारा यह स्वीकार कर लिया है कि इस टैक्स से इन लोगों पर ज्यादती जरूर होगी। इस ज्यादती का परिहार करने के लिये जो उपाय सोचा गया है उस उपाय में भी हम को यह शक है कि पक्षपात होगा और आगे के लिये अन्याय चलता रहेगा और कितनी आपत्ति आयेगी इसका हमको ठीक-ठीक पता नहीं है।

ऐसी अवस्था में दिल्ली के व्यापारियों की यह मांग बिलकुल वाजिब (उचित) है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर से दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है, तो उस पर यह एक परसेंट या अन्य टैक्स न बिठाए जायें---जो कि आप बिठाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इस सेल्स टैक्स (बिक्री-कर) बिल से देश भर के व्यापारी वर्ग में बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ है। अकेले दिल्ली में असन्तोष है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इस बिल में अन्य भी ऐसी बातें हैं, जिनका केवल व्यापार पर ही नहीं, बल्कि कनज्यूमर्ज पर---सर्वसाधारण ग्राहकों पर भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ने वाला है। विशेषतया दिल्ली में, जो कि नार्थ इंडिया (उत्तर भारत) का सब से बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर---वितरण-केन्द्र---है और जिसको एक शहर होने पर भी एक स्टेट बनाया गया है, इस बिल की आठवीं धारा के कारण व्यापारियों के साथ बहुत अन्याय होने वाला है। इसलिये मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि यह जो संशोधन है, इसमें इस प्रकार का संशोधन और किया जाये कि जिससे एक रजिस्टर्ड डीलर से दूसरे रजिस्टर्ड डीलर के पास जब माल आता है, तो उस पर बिलकुल टैक्स न बिठाया जाये। इस आशय की श्री राधा रमण ने जो सूचना दी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : मैं श्री राधा रमण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह संशोधन केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के लिये एक रियायत है। जैसा कि श्री जोगेश्वर सिंह ने कल बताया था दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केन्द्र प्रशासित क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तथा वहां वस्तुयें बड़ी महंगी हैं। मेरा भी विचार है कि वहां और कर नहीं लगाने चाहियें।

दिल्ली का जीवन स्तर संभवतः भारत में सब से अधिक है तथा इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि अन्ततः उपभोक्ता को ही धन देना पड़ता है। इसलिये संशोधन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में इस प्रकार का कर न लगे।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जो सुझाव दिये गये हैं वह इस विधान की व्याप्ति के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी के कारण दिये गये हैं। मेरे आगरे के माननीय मित्र ने भी यह दावा किया है कि आगरा भी एक वितरण-केन्द्र है, बम्बई भी एक वितरण-केन्द्र है तथा देश के बहुत से भाग वितरण-केन्द्र हैं। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इससे राज्यों को लाभ होगा तथा उनको अपनी इच्छानुसार समायोजन करना होगा। परन्तु वह केन्द्र के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

जहां तक इसका सम्बन्ध है मामला उठाया गया था कि कुछ वस्तुयें तथा कुछ व्यापारी, वितरण करने वाले व्यापारी हैं। परन्तु कुछ वस्तुयें ऐसी हो सकती हैं जिनका दिल्ली में उपभोग होता हो। उसी के अनुसार श्री नायर का विचार है कि दिल्ली की सभी वस्तुओं को छूट दे दी जाये। यह ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में मुझे दिल्ली प्रशासन की मंत्रणा पर ध्यान देना चाहिये। इस समय दिल्ली के मामले में हमने केवल यह किया है कि इसके अधिकार ले लिये हैं क्योंकि इसके सम्बन्ध में हम ऐसा कर सकते हैं जबकि मैं आगरा, बम्बई अथवा मद्रास अथवा पंजाब के वितरित व्यापार के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कर सकता हूं। छूट किस प्रकार देनी चाहिये, कर में विभिन्नता रखनी चाहिये, छूट किन वस्तुओं में देनी चाहिये, पंजीबद्ध व्यापारियों अथवा अन्य व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिये, इन बातों के सम्बन्ध में, प्रशासन को पूर्ण अधिकार दिये गये हैं। विचार प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि दिल्ली प्रशासन और गृह मंत्रालय से इस विषय में जो मंत्रणा मुझे मिलेगी मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मेरे माननीय मित्र विचार करके बतायें कि किस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिये और वे इन सुझावों का परीक्षण करें और इन परिवर्तनों को अधिसूचना में सम्मिलित करने की सिफारिश करें। इसका यह मतलब नहीं कि चूंकि मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उनके कथन के विरुद्ध हूं। किन्तु माननीय मित्र श्री राधा रमण मुझ से यह आश्वासन चाहते हैं कि उनकी सारी बातें स्वीकार की जायें। म अभी वह आश्वासन नहीं दे सकता। इस विशिष्ट विषय में मुझे उनसे परामर्श लेना होगा जो प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं, अर्थात् गृह-कार्य मंत्रालय और दिल्ली के प्रधान आयुक्त। माननीय मित्रों से मेरा सुझाव है कि वे उनसे बातचीत करें और उन्हें बतायें कि क्या किया जाना चाहिये। यदि उनसे कोई सिफारिशें, दिल्ली से आय के सम्बन्ध में कोई वित्तीय विचार आते हैं जिससे मेरे दायित्व का कुछ भाग कम हो जाये, तो हम उसमें बाधक न होंगे। माननीय सदस्य इस ओर ध्यान देंगे कि मैं समझ-बूझ कर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उसका अर्थ यह है कि दिल्ली प्रशासन से प्राप्त प्रत्येक सिफारिश पर मैं विचार करूंगा और जो कुछ उसकी इच्छा होगी, उसके अनुसार संभवतः किया जा सकेगा। किन्तु इसकी कोई सीमा नहीं है कि प्रशासन किस हद तक उन्मुक्ति लागू कर सकेगा। अतः मैं अपने हाथ नहीं बांध रहा हूं और साथ ही मेरे माननीय मित्र मुझे इस बात के लिये क्षमा करेंगे कि उनके सुझाव के मुताबिक मैं अपने हाथ बंधवाने से इंकार कर रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति ३९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"(5) Notwithstanding anything contained in this Section, the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, by Notification in the Official Gazette, direct that in respect of such goods or classes of goods as may be mentioned in the Notification, and subject to such conditions as it may think fit to impose, no tax under this Act shall be payable by any dealer having his place of business in any Union territory in respect of the sale by him from any such place of business of any such goods in the course of inter-State trade or commerce or that the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the Notification."

["(५) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में उल्लिखित ऐसी वस्तुओं तथा वस्तुओं की श्रेणियों के सम्बन्ध में, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे किसी भी व्यापारी को जो संघ क्षेत्र में व्यापार करता है, अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य में इस प्रकार की वस्तु की, इस प्रकार के व्यापार के स्थान से, बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर नहीं देना पड़ेगा अथवा इस प्रकार की बिक्री-कर का आगणन उप-धारा (१) अथवा उप-धारा (२) में निर्दिष्ट दरों से कम दर पर और अधिसूचना में उल्लिखित दर पर किया जायेगा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ९ से १३

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि वे माननीय सदस्य जिन्होंने खण्ड ९ से १३ में संशोधन रखने की सूचना दी है, उपस्थित नहीं हैं, मैं उन खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ से १३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ से १३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १४—(अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की कुछ वस्तुएं)

†**श्री म० च० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि पृष्ठ ८, पंक्ति २३ और २४ में "without further processing or fabrication" ["तैयार किये बिना या हिस्सों को जोड़े बिना"] निकाल दिया जाये ।

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ३० और ३१ में "without further processing or fabrication" ["तैयार किये बिना या हिस्सों को जोड़े बिना"] निकाल दिया जाये ।

ये संशोधन "लोहा और इस्पात" शब्द, कच्चे माल के तौर पर उसके उपयोग के सम्बन्ध में, महत्व के विषय में विवाद कम करने के लिये आवश्यक हैं । जिन रोलिंग मिलों में कच्चे माल के तौर पर यह लोहा और इस्पात पैदा किया जाता है वहां उसे कुछ तैयार किया जाता है और हिस्सों को जोड़ा जाता है । अतः हमें यह मंत्रणा दी गयी है कि वे शब्द निकाल दिये जायें । अन्यथा कुछ विवाद हो सकता है कि वह कच्चा माल है या नहीं, क्योंकि इन रोलिंग मिलों में यह क्रिया वहां होती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८, पंक्ति २३ और २४ में "without further processing or fabrication" ["तैयार किये बिना या हिस्सों को जोड़े बिना"] निकाल दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८, पंक्ति ३० और ३१ में "without further processing or fabrication" ["तैयार किये बिना या हिस्सों को जोड़े बिना"] निकाल दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड १४, संशोधित रूप में, मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : संपूर्ण विधेयक में यह सबसे महत्वपूर्ण खण्ड है । यह ठीक है कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में कोयला और कपास विशेष महत्व की वस्तुओं में शामिल किया गया है । नियंत्रण के जमाने में और भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन घोषित अत्यावश्यक वस्तुओं में या आवश्यक वस्तुयें अधिनियम के अधीन खाद्यान्न ही सदा ही विशेष महत्व की वस्तुओं की सूची में

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

शामिल किया गया है। अतः यह बहुत ठीक और उचित है कि इस विधेयक को पारित करते समय खाद्यान्नों को विशेष महत्व की वस्तुओं की सूची में रखा जाये।

भारत में खाद्यान्नों का सबसे अधिक व्यापार होता है और अनेक राज्यों से काफी मात्रा में खाद्यान्न हमेशा बाहर भेजा जाता है। किन्तु कई मामलों में कर लगाया जाता है, कई मामलों में नहीं लगाया जाता। अतः यह बिल्कुल उचित है कि कुछ वर्ग की वस्तुओं को कर से मुक्त करने का जो संशोधन हमने स्वीकार किया है, वह सभी खाद्यान्नों के विषय में लागू किया जाये। इसका कारण यह है कि हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था का यह बहुत अत्यावश्यक अंग है कि हमें खाद्यान्नों के ठीक संभरण पर सदा ही निर्भर रहना पड़ता है। अतः यह उपबन्ध बहुत ठीक होगा कि सभी खाद्यान्नों और सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं पर कोई बिक्री-कर न लगाया जाये। भोजन के तौर पर जो वस्तुयें भेजी जाती हैं उन पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये। जब ऐसे तेलहन अर्थात् न उड़ जाने वाले तेल के बीज जिनका उपयोग वार्निश, साबुन आदि बनाने के काम में होता है और उड़ जाने वाले तेल के बीज जो दवाईयां, इत्र, शृंगार साधन बनाने के काम में लाये जाते हैं, विशेष महत्व की वस्तुओं में शामिल किये गये हैं तो यह अधिक अच्छा होता कि इस उपबन्ध से संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो उन्मुक्ति दी जा रही है वह सारे भारत में सभी खाद्यान्नों के लिये मंजूर की जाये। तब भेदभाव का कोई प्रश्न न रहेगा और जनता को बहुत बड़ी मदद मिल जायेगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं पहले इस प्रश्न का विवेचन कर चुका हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १५ और १६ में कोई संशोधन नहीं रखे जा रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५, १६ और १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५, १६ और १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री म० च० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अच्युतन** : विचार-प्रस्ताव का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने वह वास्तविक स्थिति बतायी कि खण्ड १४ के अधीन खाद्यान्न जैसी अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को शामिल करना क्यों कठिन है। किन्तु हमारी ओर से यह कर्तव्य की उपेक्षा होगी यदि केरल जैसे राज्यों की ओर से, जो कमी वाले राज्य हैं, और जिन्हें अपनी आवश्यक खाद्य सामग्री का ५० प्रतिशत अन्य राज्यों से आयात करना पड़ता है, ऐसे विधेयक के विरुद्ध कोई आवाज न उठायी जाये। मेरे अपने राज्य में काफी खाद्यान्न बाहर से मंगाना

†मूल अंग्रेजी में।

पड़ता है। कपड़े के सम्बन्ध में, केवल कच्चा माल शामिल किया गया है। माननीय मंत्री का यह कहना ठीक है कि राज्यों की सरकारें उत्तरदायी सरकारें हैं और वे इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगी। किन्तु बात यह है कि बहुतायत वाले राज्य उन अत्यावश्यक वस्तुओं पर बिक्री-कर बढ़ा देंगे क्योंकि अधिकतर वे वस्तुयें दूसरे राज्यों को भेजी जायेंगी। इससे उपभोक्ता राज्यों की जनता पर काफी बोझ पड़ेगा। यह अधिक अच्छा होता यदि वित्त मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों या मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में कोई तरीका निर्धारित करते। जबकि सूची में कपास सम्मिलित की गयी है, तब खाद्यान्नों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हो रही है और वह उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देंगे। हमें अब भी आशा है कि हम संसद् में उस विषय के संम्बन्ध में निर्णय कर सकते हैं। मैं कराधान जांच आयोग की सिफारिशों में दोष नहीं बताता किन्तु खाद्यान्न के सम्बन्ध में भारत में एक सी स्थिति नहीं है और इसलिये वित्त मंत्री कमी वाले राज्यों की जनता को आश्वासन दें कि जब ऐसी वस्तुओं पर जो कमी वाले राज्यों में बिकती हैं बिक्री-कर लगाया जायगा तो केन्द्रीय सरकार उस सम्बन्ध में उदासीन न रहेगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय मित्र ने जो बात कही है उसका विवेचन मैं पहले ही कर चुका हूं। जहां तक बहुतायत वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है, खाद्यान्न तथा कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं पर उसी दर से कर लगाये जायेंगे जिस दर से उस क्षेत्र की सरकार अपनी जनता पर कर लगायेगी। यदि किसी दूसरे राज्य में माल जा रहा हो, तो वह राज्य इस ओर ध्यान देगा कि वहां की जनता कोई अतिरिक्त कर न दे। उस आशय का उपबन्ध बनाना उपभोक्ता राज्य पर निर्भर है। जहां तक कर लगाने वाले राज्य का सम्बन्ध है, वह बाहर जाने वाले माल पर उससे ऊंची दर पर कर नहीं लगा सकता जिस दर से उस राज्य में उपभोग किये जाने वाले माल पर कर लगाया जाता है। अतः उस राज्य के उपभोक्ता के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व बिक्री-कर में मनमाने वृद्धि के विरुद्ध एक प्रभावकारी प्रत्याभूति है। जहां तक बहुतायत वाले राज्यों का प्रश्न है, उपबन्ध पहले ही से रखा हुआ है और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

हम सभी जानते हैं कि कुछ ही महीने पहले हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया था ताकि विस्थापित व्यक्तियों को मतदाताओं के तौर पर पंजीकृत किया जा सके। वह इस कारण आवश्यक था कि हमने अभी हाल में नागरिकता अधिनियम पारित किया था और वे लोग मतदाता बनने के अधिकारी हो गये थे। किन्तु मतदाताओं की सूची में उनके नाम

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

चढ़ाना बड़ा कठिन था । उस कठिनाई को दूर करने के लिये हमने एक विधेयक पारित किया है जो पहली नवम्बर तक था । वास्तविक अनुभव से ज्ञात हुआ है कि अब भी बहुत अधिक ऐसे विस्थापित व्यक्ति हैं जो नागरिक के रूप में अपने को पंजीकृत नहीं करा सके हैं । अतः उन्हें पंजीकृत कराने के उद्देश्य से एक अध्यादेश द्वारा समय १ नवम्बर से १ दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया । अब यह विधेयक उसी अध्यादेश के स्थान पर प्रस्तुत किया गया है । अतः मेरे विचार से इस पर शायद ही कोई वाद-विवाद हो सकता हो । मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं जानना चाहता हूं कि यह समय १ जनवरी, १९५७ तक बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री पाटस्कर** : किसी निश्चित तारीख के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । किन्तु मतदाताओं की सूचियां, निर्वाचन के पूर्व और उचित समय पर, अंतिम रूप से तैयार करनी हैं । अतः मेरे विचार से कोई तारीख अवश्य ही निश्चित करनी होगी । निर्वाचन आयुक्त का विचार है कि हम संभवतः वह समय न बढ़ा सकें । मैंने उस पर विचार किया है और हम संभवतः १६ दिसम्बर तक उसे बढ़ा सकते हैं । उस आशय का एक संशोधन भी है और मैं नहीं जानता कि वह पारित होगा या नहीं किन्तु मैं १६ दिसम्बर तक समय बढ़ाने के लिये तैयार हूं, यदि वह वांछनीय हो । उससे आगे समय बढ़ाना संभव न होगा ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : तो क्या यह संशोधन आप स्वीकार कर रहे हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : हां, यदि कोई प्रस्ताव रखे तो ।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : माननीय मंत्री उसका प्रस्ताव रख सकते हैं ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव रखा जा सकता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** :(चित्तौड़) : इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है । वास्तव में यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे ये देशवासी जो १९४७ में भारत के नागरिक थे, परिस्थितिवश विदेशी बन गये और वास्तव में उन्हीं को हमारी स्वतन्त्रता से सब से अधिक हानि हुई है । अतः उन्हें अवश्य ही आगामी निर्वाचनों में मत देने का अधिकार मिलना चाहिये । इसलिये सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत करके बिलकुल ठीक कार्यवाही की है । किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि खण्ड १ (२) में यह क्यों कहा गया है कि वह ८ नवम्बर, १९५६ से लागू हुआ समझा जायेगा । उस बारे में कोई व्याख्या नहीं दी गई है ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं दूंगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५६ उन विस्थापित व्यक्तियों को, जो १ नवम्बर, १९५६ के पहले नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ५ (१)(क) के अधीन अपने को नागरिक पंजीकृत करा लेते हैं, तुरन्त मतदाता की सूची में सम्मिलित करने के लिये अधिनियमित किया गया था । अब १ नवम्बर और ८ नवम्बर के बीच ७ दिन के अंतर का क्या महत्व है मैं नहीं समझ पाता । मंत्री महोदय १६ दिसम्बर, १९५६ तक अवधि बढ़ाने के लिये सहमत हैं किन्तु मैं नहीं समझता कि उससे कोई प्रयोजन पूरा हो सकता है और लोग १५ दिसम्बर, १९५६ तक इस अधिनियम से कहां तक लाभ उठा सकेंगे, जब तक कि सारे

†मूल अंग्रेजी में ।

देश में रेडियो और समाचारपत्रों से बहुत व्यापक प्रचार किया जाये । उसके बिना अनेक स्थानों में बिखरे हुए खासकर राजस्थान और मध्य भारत के भीतरी जगहों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी । मैं नहीं समझता कि समय १६ दिसम्बर तक बढ़ाने से भी कोई लाभ होगा क्योंकि अभी दूसरे सदन को भी इस विधेयक को पारित करना है । इन परिस्थितियों में, यदि मंत्री महोदय यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९५६ तक बढ़ा दें तो वह बहुत अधिक सहायक होगा । आशा है कि माननीय मंत्री इससे सहमत होंगे और समय बढ़ायेंगे ।

मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में सहायता करना चाहती है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह सहायता पर्याप्त नहीं होगी । साथ ही हमें यह बात सदैव स्मरण रखनी है कि इन्हीं लोगों की बदौलत हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है और यह स्वतन्त्रता बिना किसी प्रकार के रक्तपात के मिली है इसलिये इसका अत्यधिक महत्व है । जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा की उन्हीं के लिये यह विधेयक रखा गया है । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसका समय बढ़ा दें ।

†**श्री ब० कु० दास** : नागरिकता विधेयक पर सभा म चर्चा के समय मैंने यह आशंका प्रकट की थी कि क्या पंजीयन की व्यवस्था करने से विस्थापित व्यक्तियों का लाभ होगा अथवा नहीं क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के अधिक से अधिक विस्थापित व्यक्ति निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाने चाहियें जैसा कि अभी तक नहीं हुआ है । इसी प्रयोजन से इस विधेयक के द्वारा समय बढ़ाने की मांग की गई है । कितने लोग इस नामावली में सम्मिलित किये गये हैं और कितने नहीं इस बारे में हम लोगों को सूचना नहीं मिली है । पता नहीं किस प्रकार और किसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है । यदि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति की गई और इसका समय भी बढ़ा दिया गया तो भी उद्देश्य की पूर्ति के बारे में मुझे आशंका है । माननीय मंत्री इसका समय ३१ दिसम्बर के बजाय १५ दिसम्बर तक बढ़ा देने के लिये अपनी स्वीकृति प्रकट कर चुके हैं क्योंकि वह समझते हैं कि तब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा । ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसी तारीख तय कर लेनी चाहिये जिस तक यह कार्य आसानी से हो जाये अन्यथा आगामी चुनाव तक निर्वाचक नामावलियां पूरा करने में कठिनाई होगी ।

यदि इस कार्य के लिये उचित व्यवस्था न की गई या ठीक तरह से प्रचार न किया गया अथवा सरल प्रक्रिया न अपनाई गई तो सारे लोगों का पंजीयन नहीं हो सकेगा और अपना अपराध न होने पर भी वे वयस्क मताधिकार से लाभ न उठा सकेंगे । इस कारण इस बारे में पूर्णरूप से प्रयत्न किये जाने चाहियें । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि तारीख विशेष का निश्चय वह काफी सोच विचार कर करेंगे ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे मित्र के इस प्रश्न का उत्तर कि ८ नवम्बर तारीख क्यों रखी गई है बड़ा सरल है । हुआ यह था कि मूल अधिनियम १ नवम्बर तक के लिये बढ़ा दिया गया था ।

सरकार को यह बताया गया था कि नागरिकों के पंजीयन का यह तरीका चलते रहना चाहिये क्योंकि लोग नागरिकों के रूप में अपना पंजीयन तभी करायेंगे जब उन्हें इस बात का निश्चय हो जाय कि उन्हें मत देने का अधिकार मिलेगा और इसलिये यह उपबन्ध किया गया था तथा हमें ८ नवम्बर को इस बारे में एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था । खण्ड २ में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि "१ नवम्बर, १९५६ के स्थान पर १ दिसम्बर, १९५६ रख दिया जायेगा और सदैव उसके स्थान पर यही समझा जायेगा ।" अतः इसमें किसी प्रकार के अन्तर का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । ८ नवम्बर का उल्लेख केवल इस कारण किया गया है कि उसी दिन अध्यादेश जारी किया गया था जिसका अब संसद् के इस अधिनियम द्वारा समर्थन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

जहां तक यथासम्भव विस्थापित व्यक्तियों का नामांकन करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, उनके लिये हम सभी सहानुभूति रखते हैं और निर्वाचन आदि के कार्यक्रम को लागू करते समय यथासंभव प्रयत्न किया जायेगा। इस बात के लिये यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि मतदाताओं के रूप में उनका नामांकन कर लिया जाये। जो उपबन्ध हम पहले ही कर चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता और केवल इसी चिन्ता के कारण मैंने सब से पहली कार्यवाही जो की वह है अध्यादेश जारी करके समय बढ़ाना।

कौन-सी तारीख रखी जानी चाहिये इस प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि उस समय अध्यादेश में जिस तारीख का प्रस्ताव रखा गया था वह १ दिसम्बर, १९५६ थी। जितने समय में यह विधेयक सभा के सम्मुख आया है, मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग के लिये किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न कर न्यायोचित रूप से जितनी पूछताछ कर सकना सम्भव था, मैंने यह तारीख १५ दिसम्बर तक बढ़ा दी है। इसलिये जैसा कि मैं आरम्भ में कह चुका हूं, मैं इस तारीख को १५ दिसम्बर तक बढ़ाने के लिये तैयार हूं।

केवल हम ही नहीं अपितु सारे राजनीतिक दल और यहां तक कि निर्वाचन आयोग एवं अन्य सभी लोग सारे लोगों को पंजीबद्ध कराने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि जब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न बन जाये तब तक उसका नाम निर्वाचक नामावलि में नहीं आ सकता। जो विस्थापित व्यक्ति वहां हैं अथवा जो बाद में इस देश में आयेंगे इस समस्या को देखते हुए हमें उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है और हम इसके लिये यथाशक्ति कोशिश करना चाहते हैं कि किसी प्रकार उन्हें मत देने का अधिकार मिल जाये। केवल इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए वास्तव में हम १५ दिसम्बर, १९५६ से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।

†**श्री ब० कु० दास** : अब तक कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया जा चुका है ?

†**श्री पाटस्कर** : मेरे पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नामांकन नागरिकों की हैसियत से किया जा चुका है। निस्सन्देह कुछ लोगों का पंजीयन अभी और होना है किन्तु यह इस कारण है कि यह समस्या ही इसी प्रकार की है। इसकी कठिनाइयां हम सब समझते हैं और मैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं समझता। उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज तक की सही-सही संख्या बता सकना सम्भव नहीं। मैं सभा को केवल इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि निर्वाचन आयोग तथा अन्य सारे लोग जिसमें राजनीतिक दल भी सम्मिलित हैं, इस कार्य में हमें सहयोग दे रहे हैं और हम अधिक से अधिक जहां तक यह तारीख बढ़ा सकते हैं बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : अध्यादेश का प्रतिस्थापन करने वाले इस विधेयक का मैं स्वागत करती हूं।

मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत का नागरिक बन जाने के पश्चात् ही उसका पंजीयन निर्वाचक नामावली में किया जायेगा, इसमें अनेक कठिनाइयां हैं, क्योंकि बहुत से शरणार्थी गांवों में स्थित शिवरों में भेज दिये जाते हैं, जिसके कारण मैं चाहती हूं कि क्या यह तारीख १५ दिसम्बर स बढ़ा कर दिसम्बर की अन्तिम तारीख नहीं रखी जा सकती ? इसका कारण यह है कि पुनर्वास निदेशालय की एक कार्यकर्त्ता मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भीतरी भाग में मिली थीं, जिसने बताया कि पंजीयन कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है। यह बात २८ नवम्बर की है। मझे सन्देह है कि इतने समय के भीतर सारे लोगों

†मूल अंग्रेजी में।

का पंजीयन हो सकेगा। कुछ लोग जो इन शिविरों में रह रहे हैं, उनमें से भी कुछ का पंजीयन अभी रह गया होगा। इस कारण यह एक व्यावहारिक सुझाव है कि यह तारीख ३१ दिसम्बर कर दी जाये। मार्च आने में अभी काफी समय है तब तक निर्वाचक नामावली तैयार हो जायेगी। अतः मैं निवेदन करूंगी कि चूंकि अभी काफी काम बाकी है इस कारण मंत्री महोदय को यह तारीख ३१ दिसम्बर स्वीकार कर लेनी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(धारा २४ का संशोधन)

†**सभापति महोदय** : कुछ संशोधन हैं क्या उन्हें पुरःस्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति ९—

for "1st day" *substitute* "16th day".

["१ तारीख" के स्थान पर "१६ तारीख" रखी जाये।]

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १०—

for "December, 1956" *substitute* "January, 1957".

["दिसम्बर, १९५६" के स्थान पर "जनवरी, १९५७" रख दी जाये।]

मेरे संशोधन के प्रयोजन की व्याख्या अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कर दी है। नागरिकता विधेयक पर जिस समय चर्चा हो रही थी उस समय हम लोगों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि विस्थापित व्यक्तियों को नागरिक स्वीकार करने से पहले अन्य कोई औपचारिकता न रखी जाये जिसका कारण यह था कि वे भी अन्य भारतीयों की भांति ही हैं इस कारण उनमें विभेद करना ठीक नहीं। अब जब विभेद किया गया है तो उनका पंजीयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिये ताकि वे भी सामान्य चुनाव में भाग ले सकें। पिछली बार बहुत-से शिक्षित शरणार्थी अपने मत नहीं दे सके थे जिसके कारण इस सभा में उनका प्रतिनिधि नहीं आ सका। इस बार ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये।

यह विधयक जैसा इस समय है उसके अनुसार इसमें जिन शरणार्थियों का पंजीयन ३० नवम्बर तक हो चुका है उनको नामांकित करने की व्यवस्था की गई है। इससे कोई लाभ नहीं है। अच्छा इतना ही है कि मंत्री महोदय ने इसकी तारीख १५ दिसम्बर तक बढ़ा दी है। इसके अधिनियम बन जाने से पहले मैं समझता हूं कि मतदाताओं के रूप में शरणार्थियों का पंजीयन कराने के लिये पदाधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। केवल कुछ ही दिन रह गये हैं इस कारण कुछ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिय जिससे अधिक से अधिक शरणार्थियों का पंजीयन किया जा सके। इसी कारण हमने दिसम्बर की अन्तिम तारीख इसके लिये रखने का सुझाव दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

मैं समझता हूं कि नागरिकों वाले रजिस्टर में से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कर लेने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। मेरा एक सुझाव यह भी है कि शरणार्थी शिविरों तथा बस्तियों आदि में पदाधिकारी भेजे जाने चाहियें जिससे सरलता से अधिकाधिक संख्या में उनका पंजीयन किया जा सके। बजाय इसके कि शरणार्थी स्वयं आकर अपना पंजीयन करायें, पदाधिकारियों को स्वयं जाकर उनका पंजीयन करना चाहिये। ऐसा करने के लिये यह समय बढ़ा कर इस मास के अन्त तक कर दिया जाना चाहिये जिसके लिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री संकोच नहीं करेंगे।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा संशोधन बहुत कुछ श्री साधन गुप्त की तरह का संशोधन है। मैं विचार करते समय ही इस पर बोल चुका हूं और माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं कि "१ तारीख" के स्थान पर "३१ तारीख" रख दी जाये।

मैं नहीं समझता कि ऐसा करने में माननीय मंत्री को क्या कठिनाई जान पड़ती है। अभी तो हम यह भी नहीं कह सकते कि चनाव होली से पहले होंगे अथवा बाद में। यदि पहिले भी होने वाले हों तो सरकार निर्वाचन आयुक्त से कह कर होली के बाद रख सकती है। १५ दिसम्बर रखना तो एक प्रकार से मजाक करना होगा। जैसी विधि इस समय है उसके हिसाब से तो इसमें अभी काफी समय लगेगा और फिर १ नवम्बर तो यों भी बीत चुका है। अध्यादेश का समय भी इसीलिये बढ़ाया गया था। अब सभा इस काल को १५ दिसम्बर तक और बढ़ाना चाहती है।

इस सभा और उसमें दिये जाने वाले भाषणों के द्वारा ही लोग देश के विधान कार्य के बारे में जान पाते हैं। अध्यादेश पारित हो जाने पर भी किसी को पता नहीं लगता।

यदि आप वास्तव में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करना चाहते हैं तो ईमानदारी बरतिये और उन्हें पर्याप्त समय दीजिये। इस प्रकार श्री साधन गुप्त का सुझाव काफी महत्व रखता है। उन्होंने कहा है कि १५ दिसम्बर तक भी यह विधि नहीं बन सकेगी। इस कारण १५ दिनों का अन्तर सरकार अथवा निर्वाचन आयोग के लिये कोई महत्व नहीं रखता। चुनाव पन्द्रह दिन पहले या पन्द्रह दिन बाद में होने से कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा। अतः श्री साधन गुप्त का संशोधन, जिसका समर्थन इस सभा द्वारा किया गया है, स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि मैं पहल ही कह चुका हूं कि जहां तक विस्थापित व्यक्तियों में मताधिकार देने और उसके लिये नामावलि में उनके नाम दर्ज करने का प्रश्न है, सरकार तथा विरोधी दल दोनों यही चाहते हैं। अतः मैं इस बारें में कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि हमारा सद्भाव सब से पहले इसी बात से प्रकट हो गया था कि मई के मास में ही हमने एक ऐसा संशोधन पारित किया था जिसमें कहा गया था कि उन सब को १ नवम्बर तक पंजीबद्ध कर लिया जाना चाहिये। १ नवम्बर के पश्चात् ज्यों ही हमने देखा कि हम कुछ समय बढ़ा सकते हैं त्यों ही एक अध्यादेश जारी किया गया था और समय १ नवम्बर तक बढ़ा दिया गया। अध्यादेश में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिससे उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्होंने सर्वप्रथम अपना पंजीयन नहीं कराया और दूसरे मतदाता नहीं बने हैं उन्हें अब इसके लिये समर्थ बनाया जाये। मुझे विश्वास है जैसा कि हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि लोग उस बारे में भी यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। निस्संदेह यह बहुत बड़ी समस्या है और मैं इस बात की

†मूल अंग्रेजी में।

गारंटी नहीं दे सकता कि इसका समय किस तारीख तक बढ़ाया जा सकता है जिसके बाद कोई विस्थापित व्यक्ति ऐसा न बचे जिसका नाम नामावली में न आ जाये। यह चीज तो संशोधन से भी स्पष्ट जान पड़ती है। मुझे हर्ष है कि संशोधन में भी यही सुझाव दिया गया है कि यह तारीख १६ या ३१ हो क्योंकि उनके नाम रेकार्ड में आ जाने के बारे में किसी प्रकार की मत-विभिन्नता नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि प्रशासकीय दृष्टि से कितना होना सम्भव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें निर्वाचन आयोग की सम्मति पर निर्भर करना पड़ेगा और वही हमारा पथ-प्रदर्शन भी करेगा। योजना आयोग की स्पष्ट राय यह है कि अधिक से अधिक हम दिसम्बर के मध्य तक यह तारीख रख सकते हैं; इससे आगे नहीं। यदि इससे भी आगे तारीख बढ़ाई जाती है तो निर्वाचन आयोग के लिये सारे नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित कर सकना सम्भव नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा यही होगा कि इस मामले में निर्वाचन आयुक्त हमारा पथ प्रदर्शन करे जिसे यह सब काम करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयुक्त विभिन्न दलों से भी परामर्श करता रहता है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न इस सरकार का ही न होकर प्रशासकीय सुविधा पर अधिक निर्भर करता है और अधिकाधिक जो कुछ हम कर सकते हैं वह हम कर ही चुके हैं।

अतः मैं श्री साधन गुप्त का पहला संशोधन ही स्वीकार करने के लिये तैयार हूं अन्य नहीं।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ९, में "1st day" ["१ तारीख"] के स्थान पर "16th day" ["१६ तारीख"] रखी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अन्य संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब हम वित्त विधेयक पर विचार करेंगे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : सभा में गणपूर्त्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते समय गणपूर्ति आवश्यक है ।

†**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है । अब कोरम है ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों विधेयक एक साथ प्रस्तुत कर दूं । चर्चा भी दोनों पर एक साथ कर ली जाये किन्तु मतदान अलग-अलग हो जायेगा ।

†**सभापति महोदय** : जी, हां ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर शुल्क की दरों को बढ़ाने या उनमें रूपभेद करने और भारत में बनाई जाने वाली या निर्मित कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने और हुण्डियों पर मुद्रा के शुल्क बढ़ाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

(२) कि पूंजीगत लाभों पर कर लगाने और कुछ-कुछ अन्य प्रयोजनों और वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कम्पनियों पर अधिकर की दर विहित करने के प्रयोजन से भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

जब ३० नवम्बर को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये मैंने सदन की अनुमति मांगी थी तब मैंने इन दो विधेयकों को प्रस्तुत करने के कारण बता दिये थे और अब उनकी पुनरुक्ति में मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं । फिर भी कुछ प्रमुख कारण बता देना उचित होगा ।

जैसा मैंने उस दिन अपने भाषण में कहा था योजना के संसाधनों में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है । सरकार का अविरल प्रयत्न यह होना चाहिये कि संसाधनों के अभाव में योजना में रुकावट न हो । इसके अतिरिक्त आज जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनके कारण यह आवश्यक है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग करने में अधिक सजग रहें तथा इन संसाधनों के संरक्षण तथा उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ प्रभावपूर्ण कार्यवाही करें ।

इस सम्बन्ध में सब से प्रमुख विचारणीय विषय विदेशी मुद्रा का परिरक्षण है । इन उपायों के लिये उत्तरदायी तीसरा कारण कुछ प्रवृत्तियों को नियंत्रणाधीन रखना है । इसका कारण यह है कि हम जिस बृहद् योजना पर प्रशस्त हो रहे हैं वह अनिवार्यतः वृद्धिगत अर्थ व्यवस्था की ओर उन्मुख है । इस उद्देश्य के लिये कुछ उपाय किये जा रहे हैं जो स्थायी हैं तथा जो संविधि पुस्तक में सम्मिलित होकर देश की स्थायी करारोपण विधियों के अंग बन जायेंगे । संभवतः दूसरों में समय की गति के साथ-साथ परिवर्तन करना पड़ेगा ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त संसाधनों के बारे में न्यूनतम अनुमान भी मोटे रूप में मैंने सभा को बता दिया है । कुछ समाचार पत्रों ने बताया है कि उसका एकदम जो लाभ होगा वह २ करोड़ रुपये के आसपास है अतः सरकार द्वारा इस प्रकार के कठोर उपायों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं थी । उनका यह मत है । मेरा विचार है कि इसका तत्काल लाभ नगण्य नहीं होगा । यह दो करोड़ रुपये नहीं है । यह अधिक होने की आशा है । संभव है यह चार करोड़ रुपये से भी अधिक

†मूल अंग्रेजी में ।

हो। किन्तु जिस मुख्य बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है कि किन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उपाय करना आवश्यक है तथा उन्हें मई, १९५७ तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

यह भी आवश्यक है कि हम समवायों पर कुछ शर्तें लगा दें, ये शर्तें लाभांश का परिमाण और उसकी संचित निधि के उचित अंश की उपयोगिता से सम्बन्धित होंगी। यह उन्हें पर्याप्त समय पूर्व बता देना चाहिये ताकि यह अपनी लाभांश सम्बन्धी नीति और आगामी वर्षों में अपने विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम को व्यवस्थाबद्ध कर लें। अतः मुझे लगता है कि हमने जो व्यवस्था की है वह केवल सामयिक ही नहीं है अपितु आवश्यक भी है।

एक दो बातें और उठायी गई हैं तथा शंकायें प्रकट की गई हैं। मुख्य बात २३क के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के बारे में इन उपबन्धों की कार्यान्विति से है। यह उपबन्ध समवाय को लाभांश की घोषणा करने तथा कर देने के लिये बाध्य करता है और इसके साथ ही सरकार के पास अथवा सरकार द्वारा नाम निर्देशित किसी अभिकरण के पास, वर्ष में अर्जित अवितरित लाभ अथवा भूतकाल की निर्बन्ध संचिति का कुछ अंश जमा करने के लिये बाध्य करता है। मैं अभी यह कह देना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम जो व्यवस्था करेंगे वह इसलिये होगी कि कम्पनियां अपनी संचित राशियों को उस दिशा में बढ़ा सकें और उसका प्रयोग कर सकें, जो कि सरकार देश की प्रगति और योजना की कार्यान्विति के लिये ठीक समझे। यह व्यवस्था ऐसी होगी कि समय-समय पर शीघ्र निर्णय किये जा सकें। इसमें सन्देह नहीं कि लोग बहुधा यह कहते हैं कि निर्णय, सही हो अथवा गलत, शीघ्र दिया जाना चाहिये। निस्संदेह ही मैं सभा को यह आश्वासन दे दूं कि मैं इस बात के लिये प्रयत्नशील रहूंगा कि यह प्रणाली शीघ्र ही निर्णय करे। और यदि निर्णय इच्छानुकल न हो तो इस पर पुनर्विचार के लिये और अवसरों की व्यवस्था की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात बताना चाहता हूं। इन विधेयकों को पुरःस्थापित करते समय मैंने वचन दिया था कि मैं मध्यम वर्ग के उन व्यक्तियों को, जो अपना एकमात्र मकान अथवा दो में से एक मकान बेच देते हैं, पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में रियायतें दूंगा। इस प्रकार की संभावनाओं का सामना करने के लिये मैंने एक संशोधन की सूचना दी है। यदि कोई आदमी अपना मकान २५,००० रु० में बेचता है तो हम उस पर अर्जित राशि पर पूंजीगत लाभ नहीं लेंगे। परन्तु इसके साथ यह शर्त है कि उसके पास दो मकान से अधिक न हों अथवा कुल ५०,००० रु० से अधिक मूल्य का मकान न हो। विधेयक पुरःस्थापित करते समय मैंने जो वचन दिये थे, उसके अनुसरण में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

विधेयक के उपबन्धों पर और अधिक कहना आवश्यक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय सदस्य विधेयकों का परीक्षण और विश्लेषण कर उसकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। मुझे इस पर भी पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य विधेयकों पर विचार करने के साथ ही उस आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन करेंगे जो प्रस्तुत व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करती है। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों से मुझे मूल्यवान परामर्श प्राप्त होंगे। मुझे विश्वास दिलाया गया है कि वाद-विवाद अत्यन्त उपयोगी होगा। माननीय सदस्यों ने इस पर विवाद के लिये साढ़े आठ घंटे मांगे हैं। मैं इसे केवल यूंही नहीं कह रहा हूं किन्तु मेरी अनुभूति है कि आजकल जब हम इस कार्य में प्रवृत हैं, किसी भी माननीय सदस्य द्वारा दिये जाने वाली रचनात्मक मंत्रणा का स्वागत किया जायेगा; उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जायेगा तथा उसके परीक्षण के पश्चात् जिस सीमा तक संभव हुआ उसका उपयोग किया जायेगा। इसी निवेदन के साथ मैं यह विधेयक सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मकान बेचने से सम्बन्धित कौन-सा नया संशोधन माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : यह अभी-अभी प्रस्तुत किया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह परिचालित नहीं किया गया है ।

†**सभापति महोदय** : कर दिया जायेगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

---

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी पर से उतर जाने के सम्बन्ध में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**सभापति महोदय** : अब सभा श्री फीरोज गांधी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़–पश्चिम व जिला रायबरेली–पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१९ डाउन एक्सप्रेस के २७ सितम्बर, १९५४ को जनगांव और रघुनाथपल्ली स्टेशनों के बीच गर्डर वाले पुल पर से पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में, जिसके फलस्वरूप १३६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : रेलवे के सरकारी इंस्पेक्टर की यह रिपोर्ट संचार मंत्रालय के अन्तर्गत आती है । अतः इस सम्बन्ध में जो विवाद होगा उसका उत्तर दोनों मंत्री देंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यह मालूम करूंगा । प्रस्तावक अपना भाषण आरम्भ करें ।

†**श्री फीरोज गांधी** : जनगांव और रघुनाथपल्ली के बीच की रेल दुर्घटना भारतीय रेलों के इतिहास में सब से अधिक भयावह है । रेलवे के सरकारी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी । रिपोर्ट के अनुसार दो पाये इतने गहरे नहीं थे कि २७ सितम्बर, १९५४ की बाढ़ का सामना कर सकें । यदि उनकी नींव किसी चट्टान पर होती तो दुर्घटना रोकी जा सकती थी । संख्या ३ पाये की नींव १५·२५ फुट की गहराई पर थी । किन्तु संख्या १ और २ पायों की नींव केवल साढ़े छः फुट थी ।

पुल ३९३ के पाये संख्या १ और २ रेत पर आधारित थे । रेत २·०५ मिलीमीटर ग्रेड की थी ।

†**श्री मूलचन्द दुब** (जिला फर्रुखाबाद–उत्तर) : पुल कब बनाया गया था ?

†**श्री फ़ीरोज गांधी** : यह मैं अभी बताऊंगा । पुल पर १८८६ में आना जाना आरम्भ हो गया था । १९०७ के पूर्व यह तीन बार टूट चुका था । इसके पश्चात् १९०८, १९१३, १९१४, १९१५, १९१८, १९२० और १९३७ में यह टूटा था । १९३९ में बाढ़ शहतीरों के पैंदे तक आ गयी थी और पाया संख्या ३ बह गया । १९४० में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसकी नींव १५·२५ फुट की गहराई पर रखी गयी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुल किसी भी समय टूट जाने की स्थिति में था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निजाम से अप्रैल, १९५० में यह रेलवे हस्तगत की गई थी। और इस लाइन की पूरी जांच करना इंजीनियरों का कर्तव्य था कि क्या यह पुल त्रुटिपूर्ण था और यदि हां तो मुख्य इंजीनियर ने इसे आवागमन के लिये उपयुक्त क्यों प्रमाणित किया। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा स्टेशन के निदेशक, श्री जोगलेकर की उपपत्रि से यह स्पष्ट है कि पुल में कुछ कमी थी। पुल के नीचे अपेक्षित जल मार्ग ३७६ फुट होना चाहिये था जब कि वह केवल ७६ फुट ही था।

पुल की डिजायन अत्यन्त त्रुटिमय थी। रेलवे इंजीनियरों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रेलवे प्रशासन ने इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व उन लोगों पर थोप दिया है जिन्होंने यह पुल बनाया था। मान लीजिये कि कल यमुना नदी का पुल टूट जाये तो.....

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ईश्वर न करे कि ऐसा हो।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : मान लीजिये कल पुल टूट गया तो हम किस पर दोषारोपण करेंगे ? क्या ७० या ८० वर्ष पहले पुल बनाने वाले व्यक्ति को हम कब्र में से निकाल कर खड़ा करेंगे ? पुलों की सही अवस्था की देखभाल करना रेलवे बोर्ड का कार्य है। गैंगमैन ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह इस बात से अवगत था कि पुल एक बार टूट चुका था और नदी में सहसा और तीव्र बाढ़ आ सकती थी। स्थायी मार्ग निरीक्षक का मत था कि पुल किसी भी समय टूटने की स्थिति में था। डिवीजनल इंजीनियर ने लिखा था कि पुल की विशेष रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता है। यह नहीं किया गया क्योंकि चीफ इंजीनियर ने उनकी सलाह नहीं मानी। अब मैं सभा का ध्यान रेलवे के दो बड़े अधिकारियों की बात की ओर दिलाऊंगा। दक्षिण वर्ग के डेपुटी चीफ इंजीनियर ने इस विभाग का निरीक्षण १९५३ में किया किन्तु निरीक्षण रजिस्टर के इस पुल सम्बन्धी पृष्ठ उसने नहीं देखे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

चीफ इंजीनियर का उत्तरदायित्व बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर का कर्तव्य क्या है। भारतीय रेलवे संहिता के अनुसार चीफ इंजीनियर का कर्तव्य है कि वह देखे कि खुली चालू लाइनों की देखरेख, उनमें तबदीली करने तथा पुलों की देखरेख आदि करने के लिये विभागीय पुस्तकों में पर्याप्त नियम विद्यमान हैं। प्रत्येक वर्ष के समाप्त होने पर उसे वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एक प्रमाणपत्र लगाना पड़ता है कि लाइनें आदि ठीक तौर से रही हैं।

अब सरकारी अधीक्षक के सामने उसने क्या कहा ? चीफ इंजीनियर को इस पुल के बारे में कुछ पता ही नहीं था इस कारण उसने देखरेख के प्रश्न पर विचार नहीं किया। उनमें एक कहता है कि वे पृष्ठ उसने देखे ही नहीं, दूसरा कहता है कि उसे पुल का इतिहास पता नहीं था। ४-१/२ वर्ष से यह रेलवे सरकार के पास थी और तब तक चीफ इंजीनियर को कुछ पता नहीं चला। इस परिस्थिति में वह कैसे देख-रेख का काम करेगा।

इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण यह है कि बड़े अधिकारी कुछ काम नहीं करते। मार्ग तथा कार्य पुस्तक के अनुसार इंजीनियरों के लिये आवश्यक है कि वे पुलों का इतिहास जानें ताकि हिफाजत के प्रबन्ध किये जा सकें। इसलिये उन दोनों इंजीनियरों का कर्तव्य था कि वे देखते कि लाइन की हिफाजत ठीक हो रही है और पुल ठीक है या नहीं।

मैं रेलवे बोर्ड के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मुख्य अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार रेलवे बोर्ड को भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियां दी गई हैं। नई लाइनें

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री फ़ीरोज़ गांधी]

खोलने तथा नये इंजन डिब्बों के प्रयोग के बारे में यह मंजूरी दे सकता है। उनके पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं। १९५० में जब यह रेलवे निजाम से ली गई, रेलवे बोर्ड ने मुख्य अधीक्षक को इसकी जांच करने के लिये नहीं कहा इस कारण इस दुर्घटना का कुछ उत्तरदायित्व रेलवे बोर्ड पर भी है।

कल मेरे मित्र श्री एन्थनी ने कहा कि दोष चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का है। उन्होंने कहा कि वे अनुशासन में नहीं रहते। मुख्य अधीक्षक ने इस बात की सिफारिश की थी कि उनको जो १८ मील तक गश्त करनी पड़ती है उसे कम किया जाये। वर्षा तथा तूफान में गश्त करना आसान काम नहीं है। उस समय लागू नियमों के अनुसार रात की गश्त के लिये मुकद्दम को ४ आने तथा बारहमासिये को २ आना ८ पाई अतिरिक्त भत्ता मिलता था।

इस स्थिति का कारण यह था कि चीफ इंजीनियर भारतीय रेलवे के मार्ग तथा कार्य पुस्तक के उपबन्ध लागू नहीं कर सका था। अब गश्त करने वाले की हालत देखिये उसे एक भारी बोझ लेकर गश्त करनी पड़ेगी जो असंभव है। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। सभी बहाने अपर्याप्त हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : श्रीमान्, १९५४ की उस भीषण दुर्घटना के बाद देश में दो और भयंकर दुर्घटनायें हो चुकी हैं। इस प्रतिवेदन के भेजे जाने के बाद इंजीनियरों के कर्तव्य सुधारने के बारे में संभवतया कुछ नहीं किया गया। यदि ऐसा कुछ किया जाता तो महबूबनगर की दुर्घटना न होती। श्री फीरोज गांधी ने इंजीनियरों के कर्तव्य बताये हैं। यदि वे ठीक ढंग से काम करते तो निश्चय ही ये बातें न होतीं। प्रतिवेदन में दुर्घटना का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं डाला गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि यदि कर्मचारी गश्त करते तो शायद यह दुर्घटना न होती। इस हालत में चाहिये यह था कि रेलवे बोर्ड निगरानी अधिक कराता। वर्षा के समय चीफ इंजीनियर को लाइन पर भेजता। इस अरियालपुर रेल दुर्घटना से भी यही पता चलता है कि केवल एक व्यक्ति इस ओर तथा दूसरा व्यक्ति दूसरी ओर उस समय गश्त पर थे। यदि इस प्रतिवेदन पर पहले ध्यान दिया जाता तो यह दुर्घटना न होती।

केवल यही नहीं अरियालपुर के तहसीलदार ने यह सूचना दी थी कि चूंकि तालाबों में से पानी निकल रहा है इसलिये लाइन पर निगरानी ज्यादा करनी चाहिये। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे अधिकारी अपने घरों में आनंद से सोते रहे। उन्होंने कोई परवा नहीं की। इस दुर्घटना का उल्लेख मैं इसलिये कर रहा हूं कि यदि पहले प्रतिवेदन पर ध्यान दे दिया जाता तो यह दुर्घटना न होती।

महबूबनगर की दुर्घटना में न्यायिक जांच नहीं हुई। इस दुर्घटना में भी न्यायिक जांच मुश्किल से ही दी गई है। रेलवे बोर्ड वाले लोगों को कुछ जानने नहीं देना चाहते। इसलिये मैं कहता हूं कि उत्तरदायित्व रेलवे बोर्ड का है। चीफ इंजीनियर आदि भी उत्तरदायी हैं। वे इस बात को बचा सकते थे।

इस साक्ष्य से आप इस बात का उत्तरदायित्व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर नहीं डाल सकते। इसलिये यदि आप यह प्रयत्न नहीं करेंगे कि वास्तविक दोषी कौन है तो आप इस गलती को कभी ठीक नहीं कर सकते। और दुर्घटनायें होंगी; अधिक लोग मरेंगे। मैं कोई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सफाई पेश नहीं कर रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि बड़े अफसर उत्तरदायी हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें पकड़ा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) : फांसी दी जाये ।

†**श्री नम्बियार** : यह कोई हंसने की बात नहीं है । १५० लोग मरे हैं । मैंने उनकी लाशें देखी हैं । इसलिये यदि फांसी भी दोषियों को दे दी जाये तो कोई बात नहीं । मुझे पता है लोग वहां रोते चिल्लाते रहे । बहुत-से लोगों के बच्चे, पत्नियां तथा बहुत-सी माताओं के पुत्र वहां मारे गये । हम चाहते हैं कि मामले की जांच खुले तौर पर हो । हम चाहते हैं कि सचाई हमारे सामने आये । ऐसी दुर्घटनायें देश में दोबारा न हों ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मैं नहीं चाहता कि मैं माननीय साम्यवादी सदस्य की कटु आलोचना का उत्तर उसी ढंग से दूं । उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रेलवे अधिकारियों से सहानुभूति है । रेलवे के बारे में जितना मैं बोल चुका हूं उतना जानने के लिये माननीय सदस्य को अभी कई जन्म और लेने पड़ेंगे । मैं गत बीस वर्षों से रेलवे वालों का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूं ।

मुझे पता था कि माननीय मित्र इस अवसर पर रेलवे के कतिपय अधिकारियों की आलोचना करेंगे । एक प्रतिवेदन को इस पार्श्विक दृष्टिकोण से देखना बड़ी असाधारण बात है । बिना तथ्यों के बातें कहना माननीय मित्र का स्वभाव है । हम सब लोग ऐसी दुर्घटनाओं से चिन्तित हैं किन्तु यह बात ठीक नहीं है कि हम अटपटी बातें करने लगें ।

यह प्रतिवेदन मुख्यतया प्रविधिक है । मैं यह नहीं कहता कि मैं इन टेक्निकल बातों का विशेषज्ञ हूं । अधीक्षक ने पुल का इतिहास दिया है । उसने यह भी कहा है कि दुर्भाग्यवश इस पुल की फाइल गुम हो गई थी । संभवतया उससे कुछ पता चलता किन्तु मैं व्यर्थ ही अपनी टांग इस टेक्निकल रिपोर्ट में अड़ाना नहीं चाहता ।

अधीक्षक का निष्कर्ष यह है कि १९४० में रेलवे प्रशासन में बुर्ज १ तथा २ पर गहरी बुनियाद वाली बुर्जियां दोबारा बनाई जानी चाहिये थीं । मेरे मित्र श्री फीरोज गांधी ने कहा है कि चीफ इंजीनियर तथा डेपुटी चीफ इंजीनियर उत्तरदायी हैं । यदि यह ठीक है तो उन्हें दण्ड दिया जाये । चीफ इंजीनियर का दोष इतना है कि उसे पुल का इतिहास विदित नहीं था । डेपुटी चीफ इंजीनियर ने बताया कि वे पृष्ठ उसने ध्यान से नहीं देखे । इस मात्रा तक वे दोषी हैं । दुख की बात है कि इस दोष को आंकने के लिये कोई न्यायाधीश नहीं था । वह ठीक प्रकार से अनुमान लगा लेता । इस स्थान पर मैं भी यह कहूंगा कि रेलवे प्रशासन में कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि वह अपने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को बचाते हैं । यदि दोष उनका पाया जाता है तो उन्हें दण्ड दिया जाय । किन्तु हमें सब बातों पर वस्तुनिष्ठ दृष्टि से विचार करना चाहिये । यह सब कार्यवाही तभी हो सकती है जब यह काम किसी न्यायाधीश को सौंपा जाये क्योंकि वह इस काम को अच्छी तरह देखेगा और उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा । मैं इस बात को नहीं कह सकता कि चीफ इंजीनियर या उसका सहायक दोषी हैं । इसलिये जब ऐसी कार्यवाही की जाये तब दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिये ।

यहां बड़े अधिकारियों के उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के दोष को कम करके बताया जा रहा है । मैं नहीं चाहता कि यहां ऐसी बातें हों । मैं मानता हूं कि बहुत से बड़े अधिकारी निकम्मे हैं उन्हें दण्ड दिया जाये किन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं करते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : जैसे सभी बुद्धि उन्हीं के पास है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : इन मामलों में मैं श्री नम्बियार से ज्यादा जानता हूं। इसलिये यदि आप चीफ इंजीनियर आदि को दोषी समझते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाये।'

इस प्रतिवेदन के अनुसार यहां उनका दोष प्रतीत नहीं होता। इस जांच का निष्कर्ष तो यह है जैसा कि प्रतिवेदन में लिखा है कि यह दुर्घटना बच सकती थी यदि गश्ती गश्त करने के लिये जाते। मैं समझता हूं कि यहां श्री गांधी ने गलत समझा। इसमें उन्हें दो आने या चार आने देने की बात नहीं है। वह बात अलग है किन्तु परिणाम स्पष्ट है कि यदि वे लोग गश्त पर जाते तो दुर्घटना न होती।

†**श्री नम्बियार** : निरीक्षक ने यह कहा है कि पैट्रोलमैन भी इस दुर्घटना को नहीं रोक सकते थे।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मुझे अपने मित्र की समझ पर खेद है। निरीक्षक ने पृष्ठ १४ पर लिखा है कि विशेष पैट्रोलमैन नियुक्त किये गये थे। पृष्ठ १५ पर उन्होंने लिखा है कि तीन विशेष पैट्रोलमैन थे प्रत्येक को २½ मील जाना पड़ता था तथा इस प्रकार बीच में दो घंटे का विश्राम लेकर उनको तीन बार जाना पड़ता था। अन्त में उन्होंने निर्णय दिया है कि तीनों ने झूठ बोला तथा एक भी पैट्रोलमैन ड्यूटी पर नहीं था। ड्राइवरों ने गवाही दी है कि तीनों पैट्रोलमैनों में से एक भी ड्यूटी पर नहीं था।

इन विशेष पैट्रोलमैनों के अतिरिक्त मुक्कद्दमों का गैंग होता है जिनको आदेश है कि अच्छे मौसम में वर्षा हो जाने पर उनको देखभाल करनी चाहिये। परन्तु उन्होंने भी झूठ बोला है तथा किसी ने भी देखभाल करने का कष्ट नहीं उठाया।

यह कहना कि मुख्य इंजीनियर की गलती है, ठीक नहीं। रात्रि में कौन पुलों की तथा लाइनों की देखभाल करता है। इंजीनियर की १०० मील की ड्यूटी होती है वह रात्रि में इसकी देखभाल किस प्रकार कर सकता है। तीनों पैट्रोलमैनों को तथा मुक्कद्दमों को वहां होना चाहिये था। लेकिन उनमें से एक भी ड्यूटी पर नहीं था।

हमें इन सभी बातों पर उचित रूप में विचार करना चाहिये तथा अनुशासन भंग करने वालों को बचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

मैं ट्रेन की रफतार के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। निरीक्षक ने कहा है कि लगभग ५३ मील प्रति घंटे की रफतार थी। पटरी की हालत बहुत खराब थी। मेरी राय है कि यह पटरी इन बड़े इंजनों के चलाने के उपयुक्त नहीं है।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : यदि दुर्घटना केवल एक हुई होती तो हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु तीन दुर्घटनायें तथा तीनों ही लगभग एक प्रकार सी होने पर हमें इस पर विचार करने को बाध्य होना पड़ता है। जनगांव दुर्घटना में अधिक वर्षा से पुल टूट गया तथा गाड़ी पटरी से उतर गई। दो वर्ष पश्चात् महबूबनगर में भी ऐसा ही हुआ। अड़ियालूर की घटना भी लगभग उसी प्रकार की है। यदि राज्य सभा के सदस्य इस घटना को दैवी कार्य समझते हैं तो मैं केवल यही कहूंगा कि दुर्घटना भगवान का कार्य तो है परन्तु बड़ी संदेहात्मक परिस्थिति में।

हमें यह अवश्य पता लगाना चाहिये अढ़ाई वर्ष में यह तीन दुर्घटनायें क्यों हुईं। किसी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं है परन्तु यह हमारा कर्त्तव्य है कि यह जानने का प्रयत्न करें कि यह तीन दुर्घटनायें क्यों हुईं। हमें इसका पता लगाना इसलिये आवश्यक है जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों।

इस सम्बन्ध में हम सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन पर ही विचार कर सकते हैं जिसकी एक प्रति श्री अलगेशन ने कृपा करके मेरे पास भेजी है। मेरे विचार से यह प्रतिवेदन बड़ा संदिग्ध है। परन्तु मेरे मित्र श्री एन्थनी ने इस पर पूर्णतः विश्वास किया है। मुझे श्री विट्ठल राव ने यह बताया है कि यह निरीक्षक

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस श्रेणी में सबसे कनिष्ठ है। प्रतिवेदन में दिया है कि २७-९-५४ को ३१९ डाउन एक्सप्रेस सिकन्दराबाद से चली, परन्तु यह नहीं बताया कि किस समय पर चली। निरीक्षक को इसका पता लगाना आवश्यक था क्योंकि तभी यह जानकारी हो सकती थी कि गाड़ी किस रफ्तार से जा रही थी। आर्मस्ट्रोंग ड्राइवर का कहना है कि रफतार ४० मील प्रति घंटा थी। सुराना का कहना है कि रफतार ५३ मील प्रति घंटे की थी। यदि प्राक्कलित समय को देखें तो गाड़ी २२·५० बजे पुल पार कर रही थी तथा रफ्तार बढ़ रही थी क्योंकि लोको निरीक्षक ग्रीन समय की जांच कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त एक लायड जोन नियम है। संभवतः इसकी बहुत से सदस्यों तथा पदाधिकारियों को जानकारी न हो। इसके अनुसार यदि २४ घंटे तक वर्षा हुई हो तो ड्राइवर का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह पुल के निकट के स्टेशन से यह जानकारी प्राप्त करे कि पुल किस हालत में है। दूसरे उसको पुल के पास रुक कर उसकी जांच करनी चाहिये। तीसरे पुल पर पांच मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चाहिये। ड्राइवर को इस नियम की जानकारी थी।

१९४६ से पहले रेलवे तथा ज़िला पदाधिकारियों में सम्पर्क रहता था। गांव का मुखिया तहसीलदार को तथा तहसीलदार पुलिस पदाधिकारी को वर्षा के कारण तालाबों के अधिक भर जाने की सूचना देते थे। और इस प्रकार रेल के पदाधिकारियों को यह सूचना पहुंच जाती थी और दुर्घटनायें रोकी जाती थीं। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्पर्क अब भी है? मेरे विचार से नहीं है क्योंकि इस समय सभी राज्य स्वतन्त्र हैं तथा उन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मेरे विचार से दुर्घटनाओं का यही कारण है। हमें दुर्घटनायें रोकने के लिये तहसीलदारों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। क्योंकि तालाबों में कभी भी अधिक पानी हो सकता है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो तार द्वारा सूचित कर दिया जाता है परन्तु गवाहियां देखने पर यह जानकारी होती है कि केवल एक व्यक्ति ने कहा कि चिन्ता की कोई बात नहीं थी परन्तु मेरे अनुसार नदी में १३ फुट ६ इन्च पानी था।

निरीक्षक ने यह भी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि कुल कितने टिकट बिके थे। मेरे विचार से यह जानना आवश्यक था क्योंकि इससे यह जानकारी हो जाती है कि कुल कितने व्यक्ति मरे। महबूबनगर दुर्घटना में मैंने टिकटों का पता लगाया था परन्तु रेलवे पदाधिकारी अब उसका महत्व जान गये हैं।

मुख्य इंजीनियर श्री थाडानी ने अपनी गवाही में बताया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते हैं। परन्तु उनका कर्त्तव्य था कि वह इसकी जानकारी रखते। उनको पहली दुर्घटना के पश्चात् सावधान हो जाना चाहिये था तथा जांच करनी चाहिये थी। मैं सारा दोष मंत्रालय का समझता हूं तथा उन्हीं को जिम्मेदार समझता हूं क्योंकि वह कहते हैं कि रेलवे बोर्ड स्वायत्तशासी है और वह उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

माननीय मंत्री ने कहा कि पुल बड़ा छोटा था। परन्तु यदि इस ओर का कोई भूगोल देखे तो उसको जानकारी होगी कि तालाब फट जाने पर यह पुल कितने खतरनाक होते हैं। इसलिये यह कहना कि यह दैवी कार्य है, तो यह केवल अपने को सांत्वना देनी है। माननीय मंत्री को ऐसे व्यक्तियों की सहायता अवश्य लेनी चाहिये जो रेलों के सम्बन्ध में कुछ जानते हों।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : आप जानते हैं कि तेलंगाना में छोटे-छोटे तालाब हैं। यशवंतपुरम नदी को दो तालाबों को भरना होता है। एक में ८० लाख क्यूबिक फीट पानी आता है तथा दूसरे में ५० लाख क्यूबिक फीट पानी आता है। प्रतिवेदन में दिया है कि एक छोटा-सा सोता इस नदी में आकर मिलता है। परन्तु यह सोता छोटा नहीं है। सामान्यतः तालाब भरे रहते हैं तथा वर्षा का पानी ही पुल तक आता है। परन्तु अचानक तालाब में पानी अधिक हो गया और आठ घंटे में वह पुल तक आ गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री हेडा]

सामान्यतः पुल तब बनाये जाते हैं जब नदी सीधी बहती हो। परन्तु यह पुल ६० डिग्री के मोड़ पर बनाया गया है। इस दुर्घटना के बाद जो पुल अब बनाया गया है वह एक दूसरी जगह बनाया गया है। अतः जब नदी सीधे नहीं बहती तो सभी पानी पुल के पायों से टकरायेगा और इस कारण कोई आश्चर्य नहीं यदि वे पाये टूट गये हों।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि उसी दिन प्रातःकाल पानी काफी नीचे चला गया था और दूसरे दिन दस बजे तक घुटने भर से ज्यादा पानी नहीं था। इससे यह दिखायी पड़ता है कि वह वर्षा का पानी नहीं था बल्कि वह इन तालाबों का पानी था। इस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि रेलवे ने यह जानकारी रखने की कि वे तालाब भरे थे या खाली थे या अन्यत्र कोई नया तालाब बनाया गया था, कोई चिन्ता नहीं की। उन्हें पानी के बहाव की कोई उचित कल्पना नहीं थी और इसीलिये यह दुर्घटना हुई। यदि उस तरह जानकारी रखी गयी होती और गाड़ी की उतनी रफ्तार न होती, तो यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी।

जहां तक सहायता के उपायों का पहलू है प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं है और वह बहुत पक्षपातपूर्ण मालूम होता है। हमारे एक प्रमुख सहयोगी ने बताया कि सहायता गाड़ी उतने शीघ्र नहीं पहुंची जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है। उन्होंने अधिकतर सरकारी सूत्रों से साक्ष्य प्राप्त किया है और इसलिये यह निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने गैर-सरकारी सूत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने का कोई कष्ट नहीं किया। प्रतिवेदन में रघुनाथपल्ली की ओर से सहायता उपायों के सम्बन्ध में दोष लगाया गया है। मुख्य बात यह है कि जब गाड़ी जनगांव से चल चुकी थी और दस या पन्द्रह मिनट में रघुनाथपल्ली नहीं पहुंची, तो रघुनाथपल्ली के स्टेशन मास्टर को सावधान हो जाना चाहिये था किन्तु वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि लाइन-मैन ने आकर उन्हें दुर्घटना की सूचना न दी। किन्तु उसके बाद भी कोई उचित उपाय नहीं किया गया। रेलवे लाइन के समानान्तर सिकन्दराबाद और हनमकोन्डा को जोड़ने वाली एक बड़ी अच्छी सड़क है जिससे वह कोई सहायता भेज सकते थे या स्वतः दुर्घटनास्थल पर जा सकते थे किन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया, जब तक कि काजीपेट से सहायता गाड़ी आ पहुंची। यही बात महबूबनगर दुर्घटना के सम्बन्ध में भी हुई। इन अधिकारियों ने उतने शीघ्र कोई कार्यवाही नहीं की जितने शीघ्र उन्हें करनी चाहिये थी।

प्रतिवेदन में इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है कि राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों को सूचना नहीं दी गयी। वास्तव में उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल तक रेलवे से कोई सूचना नहीं मिली। सहायता पहुंचाने में रेलवे अधिकारियों की उदासीनता, तथा राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जनता से सहयोग या सहायता प्राप्त करने की कोई उत्सुकता न दिखाना इन बातों पर इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

यह अच्छी बात है कि चाहे कितना ही छोटा और असन्तोषजनक प्रतिवेदन क्यों न हो वह प्राप्त हुआ है अन्यथा यहां यह चर्चा या वाद-विवाद संभव न होता और उसके बिना प्रत्येक माननीय सदस्य को यह संदेह होता कि रेलवे अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः न केवल न्यायिक जांच होनी चाहिये बल्कि जनता के कुछ प्रतिनिधि भी उस प्रतिवेदन से सम्बद्ध होने चाहियें ताकि जनता को संतोष हो कि उनकी जिन्दगी सुरक्षित है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (जिला बनारस–पूर्व) : इस घटना के सम्बन्ध में उत्तेजना का कोई कारण नहीं है। मेरी समझ से ऐसी चर्चा ही उपयुक्त है जब कि बिना किसी उत्तेजना या गरमागरमी के गंभीरता से और तर्कशुद्ध प्रणाली से इस विषय पर विचार किया जाये। ऐसी जांच का यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जहां-कहीं गलती हो हम उसे सुधारने का प्रयत्न करें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रतिवेदन पढ़ने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सभा के सामने अवश्य रखी जानी चाहियें। उदाहरणार्थ, प्रतिवेदन से यह संकेत मिलता है कि पाये टूट गये किन्तु तथ्य यह है कि तालाब टूट गये। प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि ८,००० क्यूसेक्स के बजाय अधिकतम सामान्य बहाव २०,००० क्यूसेक्स पानी का था। इस बात का निष्पक्ष रूप से और तर्कशुद्ध रूप से परीक्षण करना होगा कि इस बहाव के कारण या केवल दो पाये टूट जाने से या कुछ बोल्डर्स टूट जाने से यह दुर्घटना हुई। मेरा विचार यह है कि अनेक मामलों में हमारे आंकड़े बहुत दोषपूर्ण होते हैं। हीराकुड परियोजना के बारे में मूल जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं हमारे आंकड़े पुराने और गलत हैं। विशिष्ट ज्ञान और जानकारी के अनुसार जो ठीक हो सकता है वह सबसे हाल की जानकारी के अनुसार गलत भी हो सकता है। अतः मैं यह कहूंगा कि सारे आंकड़े प्राप्त करने के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये और तब हमें उस पर विचार करना चाहिये। उत्तेजित होने और किसी पर दोष लगाने से और अमुक को दण्ड देने की बातें कहने से कोई लाभ न होगा। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि जलागम क्षेत्र का उचित अध्ययन किया जाये और इस बात का पुनः परीक्षण किया जाये कि ये पाये अधिकतम कितना बोझ और दबाव सहन कर सकते हैं।

प्रतिवेदन में सभी प्रकार के सूत्र दिये हुये हैं। मैं चाहता हूं कि उन सभी पर वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जाये। कहा गया है कि दो पाये टूट गये किन्तु निर्णय से ज्ञात होता है कि तीसरा पाया १९४० में बनाया गया था। उस समय इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिये थी कि दूसरे पायों की भी मरम्मत की जाती। डा० जयसूर्य ने बताया कि एक नवयुवक पदाधिकारी को परीक्षण के लिये भेजा गया था। मैं चाहता हूं कि सभी पहलुओं से इसका परीक्षण किया जाये। कहा जाता है कि नींव अधिक गहरी होनी चाहिये किन्तु एक साधारण आदमी की तरह मैं यह कहूंगा कि उचित परीक्षण किया जाये। यह खेद की बात है कि हमें जो रेलवे मिली है वह ऐसी है जो सामान्य स्तर से नीचे है। मेरा विशेष आग्रह यह है कि इन सब मामलों का नये सिरे से अध्ययन किया जाये।। हम उत्तेजित न हों अन्यथा कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा। वर्ग ३, वर्ग २ और वर्ग १ के सम्बन्ध में जो विवाद अभी उठाया गया है मैं उसकी भी निन्दा करता हूं और मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसा विवाद बहुत खतरनाक है। हम उचित दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करें और किसी भी व्यक्ति पर यों ही दोष न लगायें। अधिक आवश्यक यह है कि हम उसके कारणों पर विचार करें और उन्हें दूर करें। जहां उचित हो वहीं दोष लगाया जाये किन्तु बिना उत्तेजना या पक्षपात के प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है, उसे मैं पूरी तौर से मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक समिति में एक संसद सदस्य होना चाहिये किन्तु हम ठंडे दिमाग से ऐसे विषयों पर विचार करें और तभी उत्तरदायी व्यक्तियों को दोषी ठहरायें और साथ ही दुर्घटना के कारणों को दूर करें। अन्त में मैं पुनः सभा से आग्रह करूंगा कि वह बिना किसी उत्तेजना या गरमी के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : श्री हेडा ने कहा है कि उस विशिष्ट स्थान पर ६० डिग्री का मोड़ है। क्या रेलवे इंजीनियरों ने गणित की दृष्टि से इस पर कभी विचार किया था कि यदि बिना अवरोध के बहाव की गति ९·६ फीट प्रति सेंकड थी और मोलेस्वर्थ सूत्र के अनुसार पुल के नीचे अवरोध के साथ गति २०·४ फीट प्रति सेकंड थी तो पायों पर क्या दबाव और गति होगी जब कि उस विशिष्ट स्थान पर ६० डिग्री का मोड़ था? क्या उस जगह पुल बनाने में इंजीनियरिंग की गलती नहीं थी?

†**श्री हेडा** : संभव है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया हो।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह चर्चा प्रारम्भ करने के लिये मैं श्री फ़ीरोज़ गांधी को बधाई देता हूं। यह बहुत आवश्यक है कि इस प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जाये जिससे हम यह मालूम कर सकें

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

कि रेलवे के सहकारी निरीक्षक द्वारा की गयी जांच कहां तक ठीक और पूरी है और हमें कौन-से सबक सीखने चाहियें जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों ।

यह एक भीषण दुर्घटना है जिसमें १३६ व्यक्ति मर गये और ऐसी दुर्घटना इधर कई वर्षों में नहीं हुई । किन्तु ऐसी दुर्घटना की जांच सबसे कनिष्ठ पदाधिकारी को सौंपी गयी । संचार मंत्री इस बात के लिये सभा के समक्ष उत्तरदायी हैं । इस बात के बावजूद कि यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय से सम्बन्धित है, संचार मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं ।

दुर्घटना के दिन इस गाड़ी में दो डिब्बे और जोड़ दिये गये थे । दुर्घटना से कुछ ही दिन पहले या कुछ महीने पहले गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी गयी थी । प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस लाइन पर उस अतिरिक्त बोझ के साथ गाड़ी उस रफ्तार से ले जाना सुरक्षित था या नहीं जबकि उस दिन लगातार वर्षा हुई थी और कई जगह लाइन खराब हो गयी थी ।

दो सहायक इंजीनियरों ने एक सुझाव यह रखा था कि पुल की ऊंचाई बढ़ाने और उसे चौड़ा करने के लिये अधिक जल मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिये किन्तु मुख्य इंजीनियर उस सुझाव से सहमत न हुये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य इंजीनियर स्वत: उस स्थान पर गये थे और तब उन्होंने प्रस्थापना का परीक्षण किया या अपने कार्यालय में बैठे-बैठे ही उन्होंने निर्णय कर दिया । यदि भविष्य में दुर्घटनायें रोकनी हों तो योजनाओं का इस प्रकार छानबीन करने का तरीका रद्द कर दिया जाना चाहिये ।

श्री फीरोज गांधी ने बड़ी योग्यतापूर्वक तर्क रखा है कि इस मामले में तीन पाये हैं और उन पायों की नींव भिन्न-भिन्न है । यह नींव क्यों भिन्न है इसके कारण इस प्रतिवेदन में नहीं बताये गये हैं ।

यह सामान्य प्रथा है कि नदियों और झरनों पर पुल बनाते समय तालाबों के अवरुद्ध जल की निकासी के लिये कुछ छूट दी जाये किन्तु इस विशिष्ट मामले में इस पर कोई विचार नहीं किया गया। यह बात भी इस प्रतिवेदन में नहीं बतायी गयी है ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि यह पुल बनाने में चूने का उपयोग किया गया है जो पुल बनाने के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है । मैं नहीं जानता कि पुल बनाने में वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड क्या कार्यवाही कर रहा है ।

पुल पुस्तिका या लाइनें तथा निर्माणकार्य पुस्तिका का पूरी तौर से पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । रेलवे मंत्री से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय का परीक्षण करने और पुनरीक्षण करने के लिये विशेषज्ञों की एक छोटी-सी समिति नियुक्ति की जाये ।

इन तीन दुर्घटनाओं से एक बात और स्पष्ट हुई है कि पैट्रोलमैन एक अकुशल कर्मचारी के बजाय एक कुशल कर्मचारी होना चाहिये, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य करना होता है ।

म असैनिक इंजीनियरिंग के भारसाधक सदस्य से जो संभवत: चितरंजन के एक अभियांत्रिक इंजीनियर ह, पूछता हूं कि १ अक्टूबर, १९५४ से रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन से आज तक उन्होंने क्या कभी सामान्य रूप से भी पुलों का परीक्षण किया है ताकि कनिष्ठ पदाधिकारियों में कर्तव्य की भावना जागृत हो ? रेलवे बोर्ड की ओर से अपने कर्तव्य की यह गंभीर उपेक्षा है ।

†**श्री अलगेशन** : यह वाद-विवाद किसी अन्य साधारण वाद-विवाद की तरह नहीं है जब कि सदस्य अपने-अपन दृष्टिकोण प्रस्तुत करत हैं और सरकार उनका उत्तर देती है । यद्यपि हम दो वर्ष से अधिक पहले की दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं फिर भी हमें हाल की दो अन्य गंभीर

---

†मूल अंग्रेजी में ।

घटनाओं से काफी दुख और क्षोभ है। किन्तु मेरा सादर निवेदन यह है कि इसका कोई कारण नहीं कि हम समझदारी, ठंडे विचार और उचित निर्णय से दूर क्यों रहे। मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि श्री नम्बियार, जो इस समय यहां नहीं हैं, एकदम ज्वालामुखी की भांति उबल पड़े थे। उन्होंने कहा कि उत्तरदायी व्यक्तियों को फांसी दी जानी चाहिये। संसद् में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग साधारणतः नहीं किया जाता है। किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था में ऐसा होना उचित और युक्तियुक्त हो सकता था, किन्तु वर्तमान व्यवस्था में यह सर्वथा अनुचित और समयोचित नहीं है।

†**एक माननीय सदस्य** : फांसी देने के बदले उनकी पदोन्नति कीजिये।

†**श्री अलगेशन** : सम्भवतः श्री नम्बियार और उनके दल के साथियों की दशा मैं जानता हूं। उनके विचार उलझे हुये और वे पूर्ण निष्क्रिय हैं। सम्भवतः वे अपनी राजनीतिक सत्ता पूर्णरूपेण—अकाल, बाढ़ और दुर्घटनाओं—इन तीन चीजों पर बनाये रखना चाहते हैं।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** (गुना) : अपनी बात का समर्थन करने के लिये वह यहां नहीं हैं।

†**श्री अलगेशन** : मैं श्री नम्बियार के दल के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इन दुखद घटनाओं से अनुचित लाभ न उठायें।

आइये हम विचाराधीन प्रतिवेदन पर विचार करें यद्यपि हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि इस पर सोच-विचार कर चुके हैं। मैं पुनः इसी प्रतिवेदन पर विचार करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने निम्न बात कही है :

"निम्न कारणोंवश मैं दुर्घटना के लिये किसी को विशेष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता :

(क) पुल पर जलमार्ग भूतपूर्व निज़ाम राज्य रेलवे की पहले वाली डिज़ाइन का था।

(ख) पहाड़ी स्थान पर वर्षा और नदी में अत्यधिक और अचानक बाढ़ आ जाना।"

निरीक्षक ने यह भी कहा है :

"मेरी यह राय है कि १९४० में रेलवे प्रशासन को मेहराब और पाया संख्या १ और २ को गहरी नींव पर तभी पुनः बनवाना चाहिये था, जबकि ऐसा मार्ग वास्तव में पाया संख्या ३ के बनवाने में ही अपना लिया गया था।"

एक सिफारिश और है जिसे म कुछ समय बाद बताऊंगा।

ये दो चीजें ऐसी ह जो रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने, जिसने जांच-पड़ताल की थी, बताई हैं। माननीय सदस्य श्री फीरोज़ गांधी ने कहा है कि पुल कमज़ोर था। एक अन्य माननीय सदस्य न भी यही कहा था।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो केवल उन लोगों की गवाही पढ़कर सुनाई थी जो जांच करते समय ली गई थी।

†**श्री अलगेशन** : मैं अन्तर्बाधा नहीं चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सारी बातें लिख लें और अपने उत्तर में उनका उल्लेख करें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा है मैं अपनी बात कहने से पूर्व यह भी कह देना चाहूंगा कि यह एक टेक्निकल प्रश्न है। वस्तुतः यदि मैंने इस पर विस्तृत रूप से जांच की तो मैं इस बारे में पूर्ण न्याय नहीं कर सकूंगा। किन्तु मैं केवल वे बातें ही कहना चाहता हूं जो हमारे जैसे अनभिज्ञ लोग समझ सकते हैं।

जहां तक उसके कमज़ोर होने की बात है, हमें देखना चाहिये कि प्रतिवेदन क्या बताता है। स्थायी मार्ग निरीक्षक ने "पुल को कमज़ोर बताया जिसकी विशेष निगरानी करने की आवश्यकता थी और इस कारण जब अत्यधिक वर्षा में गैंग गश्त के लिये गया उसने अपने गैंग के एक साथी को निदेश दिया था कि वह इस पुल की विशेष रूप से निगरानी करता रहे।"

तत्पश्चात् सहायक इंजीनियर श्री एम० ख्वाजा मुहीउद्दीन खां के सम्बन्ध में निम्नलिखित बात कही गयी है :

> "यद्यपि १९३९ में हुई क्षति को जानते हुये उसने पुल को इतना कमज़ोर नहीं समझा था कि अधिक वर्षा में उसकी विशेष रूप से निगरानी करने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि सुरक्षात्मक कार्य १९४० में किये जा चुके थे और तब से कोई खराबी नहीं हुई थी।"

जब उनसे पूछा गया कि पुल की निगरानी करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की थी तो उन्होंने बताया कि डिवीज़नल इंजीनियर का तात्पर्य पुल की लगातार निगरानी करना नहीं अपितु उनकी इच्छा थी कि स्थायी मार्ग गैंग जिसका काम अधिक वर्षा में इस पुल की गश्त लगाना है उसी को इस पुल की दशा की देख-रेख भी रखनी चाहिये। डिवीज़नल इंजीनियर का भी यही मत था। डिवीज़नल इंजीनियर का कथन है :

> "उसे कोई ऐसे कारणों का पता न था जिससे यह विश्वास और अधिक दृढ़ होता कि पुल या तो असुरक्षित था अथवा होने वाला था।"

इसके पश्चात् उन्होंने सहायक इंजीनियर के कथन को स्पष्ट किया अर्थात् पुल की लगातार निगरानी रखना आवश्यक नहीं है।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : एक लिखित है और दूसरा मौखिक।

†**श्री अलगेशन** : स्थायी मार्ग निरीक्षक ने यही सोचा था। उन्होंने सोचा कि यह कमज़ोर था। किन्तु प्रतिवेदन में कहा गया था कि सहायक इंजीनियर और डिवीज़नल इंजीनियर की सम्मति यह थी कि पुल ऐसा नहीं है जो असुरक्षित कहा जा सके।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्रतिवेदन को और आगे पढ़िये।

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूं कि सारा प्रतिवेदन माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : हमने प्रतिवेदन पढ़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अन्त में उत्तर दें। इस समय अन्तर्बाधा करने का कोई तुक नहीं है।

†**श्री अलगेशन** : इससे पहले वाले दिन श्री फ़ीरोज़ गांधी ने मुझ से प्रश्न पूछा था कि क्या यह सच है कि "डिवीज़नल इंजीनियर" का उल्लेख किया गया था। वस्तुतः वह "सहायक इंजीनियर" था। यह सच है कि उसने सिफारिश की थी कि और अधिक खम्बे आदि बनाये जायें। उस समय मैंने कहा था कि यह मेरे अधिकार में नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि यदि डिवीज़नल इंजीनियर ने इसकी सिफारिश

---

†मूल अंग्रेजी में।

की है तो प्रथा यह है कि इसके लिये चीफ़ इंजीनियर की सहमति चाहिये और चीफ़ इंजीनियर इस मत से असहमत भी हो सकता है। उस समय मैंने यही कहा था क्योंकि मैं प्रतिवेदन का वह अंश प्राप्त नहीं कर सका था। जिन माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन पढ़ा है उन्होंने इसे उस समय स्मरण रखने की परवाह नहीं की। मैं उनका ध्यान उस अंश की ओर आकर्षित करूंगा। श्री अलीबाड़ा ने जो १९३९ में सहायक इंजीनियर थे, यह सिफारिश की थी कि दो अतिरिक्त जलमार्ग तथा कुछ और निर्माण कार्य होना चाहिये। श्री अली-बाड़ा ने यह भी कहा कि चीफ इंजीनियर ने "अतिरिक्त जलमार्ग बनवाना आवश्यक नहीं समझा अपितु यह सोचा कि धारा के कोण से कट जाने के कारण पुल की सरसरी जांच करने की आवश्यकता है और पुल के आस-पास की दीवारों और नीचे के फर्श की व्यवस्था कर देने से काफी सुरक्षा हो जायेगी।" कोण वाले कटाव का प्रश्न श्री हेडा ने उठाया था और श्री त्रिवेदी भी इस पर कुछ प्रकाश डलवाना चाहते थे। चीफ इंजीनियर ने उस समय यही त्रुटि पाई थी और उन्होंने आस-पास की दीवारों और नीचे के फर्श आदि की व्यवस्था कर दी। यह सच है कि कनिष्ठ पदाधिकारी अर्थात् सहायक इंजीनियर का निर्णय १४ वर्ष के पश्चात् सही निकला और चीफ इंजीनियर ने जो खतरा लेना निश्चय किया वह उचित नहीं निकला। जब हम सहायक इंजीनियर, डिवीज़नल इंजीनियर अथवा चीफ इंजीनियर की बात करते हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिये कि बात वर्तमान इंजीनियरों के बारे में नहीं है क्योंकि ये सारे पदाधिकारी भूतपूर्व निज़ाम रेलवे के हैं।

रेलवे के सरकारी निरीक्षक का कहना है :

> "इससे पता लगेगा कि १९४० की अधिकतम बाढ़ पर ग़ौर करते समय—विशेष रूप से—यह वर्ष याद रखिये चीफ़ इंजीनियर ने निज़ाम राज्य रेलवे की उस समय प्रचलित पुरानी प्रथा अपनाई। दुर्भाग्यवश इससे जो परिणाम निकले वे २७ सितम्बर, १९५४ की अधिकतम बाढ़ को देखते हुये अप्रत्याशित रूप से कम थे।"

ध्यान रखिये कि जैसा कि मैं इससे पहले वाले दिन कह चुका हूं कि पुल १४ वर्षों से खड़ा हुआ था। १९४० में इसे फिर से बनवाया गया था केवल एक खम्बे को गहरा गाड़ कर अन्य खम्बों को ज्यों का त्यों रहने दिया गया था किन्तु उनकी रक्षा करने के लिये कुछ कार्य किया गया था। सरकारी निरीक्षक ने यह भी कहा है :

> "१९४० में अधिकतम बाढ़ की भयानकता यदि अच्छी तरह से समझ ली गई होती तो सारा पुल फिर से बनवाया गया होता और अतिरिक्त जलमार्ग की व्यवस्था कर दी गई होती।"

मैं उसके इस कथन पर सन्देह नहीं कर सकता। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि उस घटना के बाद कोई बुद्धिमान बन सकता है। चीफ इंजीनियर ने कुछ खतरा मोल लिया जो न्यायोचित नहीं था। किन्तु हमें उन वास्तविक कारणों के गुणावगुणों पर विचार करना है जिनकी दृष्टि से उन्हें यह खतरा लेना पड़ा। मैं कुछ टेक्निकल चीज रख रहा हूं जिसे प्रस्तुत करने में मुझे संकोच होता है किन्तु मुझे आशा है कि मैं ठीक कह रहा हूं। मेरे मंत्रणादाताओं ने मुझे यही बताया है और इस विषय पर मैंने थोड़ा-बहुत साहित्य पढ़ा भी है। भूतपूर्व निज़ाम राज्य रेलवे की वह पुरानी प्रथा क्या थी जिस पर चीफ़ इंजीनियर ने विश्वास कर सहायक इंजीनियर के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि कुछ और जलमार्ग बनाने चाहियें। बाढ़ की मात्रा का पता लगाने के लिये डिकेन सूत्र अपनाया गया था। बाढ़ की मात्रा का पता लगाने के लिये इंजीनियरों ने विभिन्न सूत्र अपनाये हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्राधिकार के अधीन जारी किये गये एक प्रकाशन में बताया गया है कि हमारे देश में ३४ सूत्र हैं। दक्षिण में यह गणना करने के लिये रिवी का सूत्र इस्तेमाल किया गया था। बम्बई में इंजिल का सूत्र स्वीकार किया जाता है। उत्तर-पश्चिम में कंवरसेन सूत्र प्रयोग किया जाता है, उत्तर और पूर्व के अधिकांश भाग में डिकेन का

[श्री अलगेशन]

सूत्र काम में लाया जाता है। चीफ इंजीनियर ने अपनी गणना में डिकेन के सूत्र पर विश्वास किया था। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह अनेक अनिश्चित कारणों पर आधारित हैं। इसमें जलागम क्षेत्र किस प्रकार का है उस पर तथा वर्षा आदि किस प्रकार की होती है इनको ध्यान में रखना पड़ता है। और भी बहुत-सी बातें बताई गई हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता। ये सूत्र न तो निश्चित हैं और न वैज्ञानिक ही। ये सब प्रयोग पर निर्भर करते हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : "प्रयोग पर निर्भर करने" का क्या तात्पर्य है ?

†**श्री अलगेशन** : प्रयोग पर निर्भर करने वाला सूत्र वह सूत्र होता है जो निश्चित न हो। मैं "प्रयोग पर निर्भर करने" के शब्द के तात्पर्य के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि यह सूत्र निरर्थक नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में एकत्र किये गये आंकड़ों द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर काम किया जाता है। इंजिल का सूत्र जिसमें अत्यधिक सुरक्षा की व्यवस्था है फिर भी कोई चीज हो सकती है और पुल बह सकता है। आप चाहे इसे शत-प्रतिशत ही नहीं अपितु हज़ार प्रतिशत सुरक्षित समझें किन्तु कोई भी चीज़ हो सकती है और आपके सारे हिसाब-किताब बेकार हो सकते हैं। प्रयोग पर निर्भर करने वाले सूत्र का यही तात्पर्य है। किन्तु फिर भी इंजीनियरों को अपने भूखण्ड अथवा सम्बन्धित क्षेत्र तथा उस क्षेत्र विशेष की नदियों के बारे में ज्ञान होता है और उसी अनुभव के आधार पर वे उसका हिसाब लगाते हैं। इसके बारे में उसी प्रकार से गणना की गई थी। मैं समझता हूं कि अमरीका में वे इनमें से किसी सूत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। एक ही जलागम क्षेत्र से निकलने वाली भिन्न-भिन्न नदियों का सूत्र अलग होगा भले ही उनका जलागम क्षेत्र एक ही हो। उन्होंने काफी समय से इसका अध्ययन कर अनुभव प्राप्त किया है और आंकड़े एकत्र किये ह कि विभिन्न स्थानों पर नदी विशेष के लिये क्या सूत्र होना चाहिये। निस्संदेह यह बड़ा विशद कार्य है। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिये हमारे पास व्यक्ति और धन हो। किन्तु मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि भारतीय रेलों पर हज़ारों की संख्या में पुल हैं। मुझे बताया गया है कि पुलों की संख्या ३५,००० है।

†**श्री फीरोज गांधी** : १,००,००० से अधिक।

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य की जानकारी को सही मानता हूं क्योंकि रेलों के बारे में वह मुझ से अधिक जानते हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस–मध्य) : निश्चित रूप से।

†**श्री अलगेशन** : इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझ से सौगुनी अधिक जानकारी रखते हैं तो श्री रघुनाथ सिंह को इसकी बारम्बार पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

यह सूत्र तैयार किया गया था और उन्होंने ८,६८० काज़ेक्स अर्थात् घनफीट प्रति सेकेण्ड जल निकालने की व्यवस्था की है।

इस पुल के बहा ले जाने के बाद रेलवे के इंजीनियरों ने वास्तविक बाढ़ के जल को नापा था। पुल से हो कर वस्तुतः १८,९०० काज़ेक्स जल बहा था। ८,६८० काज़ेक्स बाढ़ के जल के लिये व्यवस्था थी किन्तु वास्तव में पुल से होकर १८,९०० काज़ेक्स जल बहा था अर्थात् जितने के लिये व्यवस्था की गई थी उससे लगभग ढाई गुना पानी बहा था।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** : इस प्रकार १½ गुना के बारे में ग़लती रही।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : तत्पश्चात् यह कहा गया था कि सरकारी निरीक्षक कनिष्ठ व्यक्ति था। यहां भी बहुत-से युवक माननीय सदस्य हैं। श्री त० ब० विट्ठल राव वृद्ध न होते हुये भी बुद्धिमान हैं। मैं नहीं समझता कि किसी पदाधिकारी के कनिष्ठ होने से जांच किस प्रकार की है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

†**एक माननीय सदस्य** : अनुभव भी महत्व रखता है।

†**श्री अलगेशन** : यह देश चार क्षेत्रों में विभाजित है। जब कोई चीज़ किसी क्षेत्र विशेष में होती है तो उस क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को दुर्घटना की जांच करनी पड़ती है। इस कारण इस सभा में जब कनिष्ठता और वरिष्ठता का प्रश्न उठाया गया तो इससे मुझे कुछ विनोद हुआ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : इसको सुनकर हम लोगों का मनोविनोद हुआ।

†**श्री अलगेशन** : इस निरीक्षक ने, जिसने इस मामले की जांच की थी, डा० जोगलेकर से परामर्श लिया था जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं और पूना के निकट करकवसाला गवेषणा विभाग के प्रभारी हैं। परीक्षण के पश्चात् उन्हें मालूम हुआ कि पुल तब टूटा जब कि पानी का बहाव १०,००० से १४,००० क्यूसेक्स के बीच था। यद्यपि इसकी डिजाइन ८,६८० क्यूसेक्स तक के लिये थी किन्तु यह १०,००० क्यूसेक्स तक स्थित रह सकता था। यह मालूम हुआ है कि पुल १०,००० से १४,००० क्यूसेक्स के बीच विनष्ट हो गया। जब इसका यथार्थ माप किया गया और १८,९०० क्यूसेक्स मालूम हुआ तो उन्होंने एक दूसरे सूत्र—इंगलिश सूत्र—का सुझाव दिया। यह सूत्र निश्चित अथवा दृढ़ नहीं है। मुझे ठीक स्मरण नहीं कदाचित यह १९४० अथवा १९३० में बना था। उसके बाद इस पर पुनर्विचार हुआ। १९४० में इंजीनियरों को यह मालूम नहीं था कि पुल का पुनर्निर्माण कब हुआ। किसी इंजीनीयर को इस सूत्र का अभिज्ञान नहीं था। बताया गया है कि यह सूत्र केवल बम्बई, अथवा पश्चिम भारत क्षेत्र पर लागू होगा। इंगलिश सूत्र को संशोधित करते हुये डा० जोगलेकर ने एक नया सूत्र बनाया और २७,००० क्यूसेक्स की परिगणना की। इसके आधार पर नया पुल बनाया गया है। पिछले चौदह वर्षों से बाढ़ ने १९५४ के समान विकराल रूप धारण नहीं किया था। इसमें से प्रवाहित अधिकतम मात्रा में पानी हमने लिया है और जो हमने दिया है वह उससे भी अधिक है। ईश्वर न करे किन्तु २० वर्ष पश्चात् कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि पानी का बहाव ४० हजार क्यूसेक्स तक पहुंच जाय तो उस अवस्था में पुल निस्संदेह ही बह जायेगा। मेरी इच्छा है कि भविष्य में भारतीय रेलवे में कोई दुर्घटना न हो। वस्तुतः यदि कोई माननीय सदस्य सभा एवं देश को इस प्रकार की गारंटी दें कि भविष्य में भारतीय रेलवे में दुर्घटनायें न होंगी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं प्रधान मंत्री के मन की बात नहीं कह सकता। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आश्वासन लेकर सामने आता है तो रेलवे मंत्री के पद पर उसका स्वागत किया जायेगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि इन सूत्रों का सहारा लेने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनका स्वरूप भी दढ़ नहीं है और इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। इसका माप, इसकी भौतिक अवस्थायें, बाढ़ का स्वरूप आदि सभी बातों पर विचार करना है।

निरीक्षक के अनुसार शाम ७ बज कर १३ मिनट और १० बज कर ५० मिनट के बीच साढ़े तीन घंटों में ही पानी का बहाव एकदम बढ़कर १८,९०० क्यूसेक्स हो गया। यह बाढ़ गहन होते हुये अप्रत्याशित भी थी। किसी भी तर्कशील व्यक्ति को यह बात मानने में कठिनाई नहीं होगी कि यह आशा नहीं की जा सकती थी कि इस छोटी-सी नदी में बाढ़ इतना उग्र रूप उत्पन्न कर देगी। पिछले चौदह वर्षों में ऐसी बात नहीं हुई। यह दुभाग्यपूर्ण बात है कि १९५४ में ऐसी दुर्घटना हुई। अतिरिक्त जलमार्ग के उपबन्ध के सम्बन्ध में यह स्थिति थी। जसा मैंने कहा था, १९४० में हम इंगलिश सूत्र से परिचित नहीं थे और इसलिये उसका प्रयोग नहीं किया जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अलगेशन]

विषय संख्या ३ के बारे में सरकारी इंस्पेक्टर ने कहा है :

"मेरी सम्मति में यदि लोक-निर्माण विभाग का गैंग गश्त के लिये जाता तो दुर्घटना से बचाव हो सकता था किन्तु मेरा यह विचार नहीं है कि गश्त लगाने वाला मनकाडू रामाडू इस दुर्घटना को बचा सकता था क्योंकि निर्धारित समय के अनुसार उसे रात के ९ बज कर ५५ मिनट पर पुल पर होना चाहिये था जबकि पुल उस समय आवागमन के लिये सुरक्षित था।"

इंस्पेक्टर का विचार है कि यदि लोक-निर्माण विभाग का गैंग गश्त पर जाता तो दुर्घटना रोकी जा सकती थी।

यह प्रश्न भी उठाये गये कि कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध है तथा निम्न वर्ग को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये आदि। गश्त लगाने वालों के बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने उस रात गश्त नहीं लगाई। इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना कठिन है क्योंकि उन्होंने सम्बन्धित पत्रों पर स्टेशन मास्टरों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये थे। गश्त-पत्रों के प्रबल प्रमाण के सामने रेलवे प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। निम्न वर्ग के व्यक्ति से बदला लेने का तो कोई प्रश्न नहीं है। यद्यपि रेलवे के सरकारी इंस्पेक्टर का मत है कि गश्त लगाने वालों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और यदि लोक-निर्माण विभाग का गैंग पुल का निरीक्षण करता तो दुर्घटना रोकी जा सकती थी, यह सब होने पर भी हम उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री वि० घ० देशपाँडे : स्टेशन मास्टर और उन सब व्यक्तियों को जिन्होंने पत्रों में हस्ताक्षर किये हैं आड़े हाथों लिया जाना चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : यह कहना आसान है कि इस व्यक्ति को दण्ड दो, उस व्यक्ति को दण्ड दो किन्तु साक्ष्य नहीं है। गश्त सम्बन्धी पत्र स्पष्ट साक्ष्य हैं तथा उनका खण्डन करना सरल नहीं है। यदि आपको कोई सन्देह है तो श्री विट्ठल राव से पूछ लीजिये कि क्या इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव है। अतः इसमें किसी बात को छुपाने अथवा निम्न वर्ग के व्यक्ति से बदला लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

इस बात पर पहले भी जोर दिया जा चुका है। मैं इसका वर्णन फिर कर दूं। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि रेलवे कर्मचारियों में अनुशासन शून्यता को प्राप्त हो गया है। रेलवे के लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें कर्तव्यपरायणता की महती भावना है किन्तु मैं इस सम्बन्ध में एक बात बता दूं। उनमें दण्ड पर आधारित भय की भावना लुप्त हो गई है।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्योंकि शक्ति अब नये व्यक्तियों के हाथ में आ गई है।

†**श्री अलगेशन** : इस भावना को बदलना है। इसके स्थान पर कर्तव्य की भावना का प्रस्फुटन करना है। सम्भव है इसमें कुछ समय लग जाये, किन्तु इस देश में रेलों के संचालन के लिये वस्तुतः लाखों व्यक्ति उत्तरदायी हैं—हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कई बार भीषण दुर्घटनायें होती हैं—हजारों व्यक्ति बिना दुर्घटना के गाड़ियां चलाते हैं। इस बड़े तथ्य को लोग विस्मृत कर देते हैं। आशा है यह व्यक्ति कर्तव्य तथा अनुशासन की भावना से शीघ्र पुनः पूरित हो जायेंगे। मैं केवल यही कह सकता हूं। हम बल का आश्रय ले कर शासन नहीं कर सकते। वे दिन चले गये हैं और कभी नहीं लौटेंगे। हम प्रजातंत्र के निर्माण पथ पर हैं। अब भयजनित अनुशासन की भावना के स्थान पर स्वजनित कर्तव्य भावना जगाने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि कर्तव्य भावना से अभी तक अनभिज्ञ व्यक्ति शीघ्र ही इससे प्रोत्साहित होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे बोर्ड के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। बोर्ड का काफी विस्तार हो गया है। कर्मचारियों से सम्बन्धित मामले, सिविल इंजीनियरिंग कार्य, वाणिज्य से सम्बन्ध रखने वाले विषयों तथा अन्य बातों के बारे में अलग-अलग सदस्य हैं। अतः बोर्ड के सब सदस्य अधिक से अधिक मार्गों पर जाकर निरीक्षण करने में स्वतन्त्र हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस उपयोगी दिशा की ओर अधिक जोर दिया है। ऐसा किया गया है और अब रेलवे बोर्ड के सदस्य निरीक्षण के लिये अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकेंगे, वह स्वयं चीजों को देखकर उनकी त्रुटियों को दूर करेंगे तथा सुधार करेंगे। मुझे आशा है कि बोर्ड के सदस्य इस ओर अधिक सचेष्ट रहेंगे।

हम १९४० में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं यह बताऊंगा कि इस हाल की दुर्घटना के पश्चात् हमने क्या किया है। नये पुल का डिजायन और निर्माण पुराने पुल के स्रोत के ८५० फुट नीचे बनाया गया है। इसके स्थान में डा० जोगलेकर की सलाह के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है। डा० जोगलेकर द्वारा प्रयोग करने के पश्चात् ही इस नये पुल का नमूना बनाया गया था। इंगलिश फारमूले के अनुसार नये पुल के नीचे के पानी के प्रवाह का अनुमान २०,००० क्यूसेक्स रखा गया है। मध्य रेलवे के इंजीनियरों ने भी २७ सितम्बर, १९५४ की दुर्दान्त रात्रि में नाले में १८,९०० क्यूसेक्स पानी का अनुमान लगाया था। नये पुल में ४० फुट के आठ स्पान हैं; उसकी नींव तलस्तर में २६ में से ३१ फुट नीचे है। आशा है कि यह पुल युग-युग तक शाश्वत् रहेगा।

अधिकृत सूत्र के सम्बन्ध में सभा को जानकारी देने में मुझे प्रसन्नता है। चूंकि इनके निर्माणकर्ताओं ने इन्हें इसलिये बनाया था कि पुलों के लिये उपबन्धित अपेक्षित जलमार्ग के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सके। किन्तु उसके पश्चात् जल-विज्ञान में पर्याप्त प्रगति हो गई है। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाये जिसमें रेलवे का प्रतिनिधि भी हो, तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हों जैसे परिवहन मंत्रालय की सड़क शाखा तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में से तथा ऐसी भी कोई अन्य प्रतिनिधि जिसे वे तदर्थ प्रयोजन के लिये भेजना चाहें। समिति समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करेगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले सिद्धान्त तथा सूत्र बनायेगी। समिति के गठन तथा निर्देशन मदों के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं सदस्यों द्वारा दिये रचनात्मक सुझावों के लिये उनका आभारी हूं।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने रेलवे प्रशासन की कटु आलोचना की है। किसी ने उन्हें सफाई का वकील बताया —मैं समझता हूं कि उस माननीय सदस्य ने श्री एन्थनी से अन्याय किया है।

यदि किसी व्यक्ति ने निरन्तर तथा सम्यक रूप से रेलवे की आलोचना की है तो वह श्री एन्थनी ने की है।

मैं श्री एन्थनी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये हैं।

†**श्री मात्तन** : मुझे खुशी है कि रेलवे बोर्ड में सदस्य अधिक किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे में अधिक इंजीनियर रखे जायें क्योंकि मौजूदा इंजीनियरों के पास काम बहुत ज्यादा है।

†**श्री अलगेशन** : जहां तक इंजीनियरों की नियुक्ति का प्रश्न है हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले कामों को ध्यान में रखते हुये बहुत-से इंजीनियरों की भर्ती की है।

†**श्री अ० म० थामस** : यह प्रतिवेदन १९५४ में दिया गया था। उसके बाद भी दुर्घटनायें होती रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड ने उन तथ्यों की दृष्टि में कोई कार्यवाही भी की ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : प्रतिवेदन की एक मुख्य सिफारिश यह थी .....

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्णिया व संथाल परगना) : सूचना

†**श्री अलगेशन** : एक सिफारिश यह थी कि उसे दोबारा किस प्रकार बनाया जाये। वह पूरी कर दी गई है।

†**श्री वि० घ० देशपाँडे** : दूसरे पुलों के सम्बन्ध में क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : सभा को विदित है कि हमने हैदराबाद के पुलों की स्थिति जानने के लिये एक समिति नियुक्त की है। इसके अतिरिक्त अन्य रेलवेज के चीफ इंजीनियर्स को सांख्यकी एकत्रित करने के लिये कहा गया है।

†**श्री अ० म० थामस** : परन्तु वह तो तीसरी दुर्घटना के बाद हुआ है।

†**श्री अलगेशन** : नहीं, यह उसके बाद नहीं हुआ है।

जब यह समिति अपना प्रतिवेदन भेजेगी, तो जैसा भी आवश्यक समझा जायेगा अन्य रेलों में भी वैसी ही कार्यवाही की जा सकेगी।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : इस दुर्घटना का वास्तविक कारण यह है कि इस पुल के दो पाये सुदृढ़ आधारों पर नहीं खड़े थे। केवल रेत पर ही खड़े थे। और इस सम्बन्ध में निरीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्टतया लिखा है कि यदि ये पाये किसी सुदृढ़ आधार पर बनाये गये होते तो प्रबल जलवेग से भी इतनी भयंकर दुर्घटना न होती। ये दोनों पाये कच्चे आधारों पर खड़े थे, इसीलिये ये टूट गये। मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो पायों को इतने कच्चे आधारों पर क्यों खड़ा किया गया था ?

इस रेलवे लाइन को निज़ाम हैदराबाद से लिये हुये साढ़े चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और इस अवधि में रेलवे बोर्ड उसका अच्छी प्रकार से निरीक्षण करा सकता था। परन्तु बोर्ड अपने इस कर्तव्य को निभाने में असफल रहा है, यह भारतीय रेलवे संहिता में दिये गये नियमों का पालन न कर सका। उस संहिता में यह स्पष्टतया लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह रेलवे के मुख्य निरीक्षक को यह कहे कि वह प्रत्येक नई लाइन का अच्छी प्रकार से निरीक्षण करे।

मुख्य इंजीनियर महोदय का यह कहना है कि उन्हें इस पुल के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ पता ही नहीं। यह तो एक विचित्र-सी बात है। भारतीय रेलवे संहिता के फार्म संख्या १६२ (९) में यह स्पष्टतया लिखित है कि रेलवे मुख्य इंजीनियर का यह कर्तव्य है कि वह समस्त रेलवे पुलों का निरीक्षण करे, उनकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करे और तब प्रमाण-पत्र दे। तो मेरा प्रश्न यह है कि उस मुख्य इंजीनियर ने इस पुल का निरीक्षण किये बिना ही प्रमाण-पत्र कैसे दे दिया ?

मैंने उस दिन मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यदि लोक निर्माण विभाग का गैंग अपनी गश्त की ड्यूटी पर होता तो इतनी भारी दुर्घटना न होती, क्या इस दुर्घटना में जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? परन्तु दुःख है कि इस प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री अलगेशन** : मुझे इसका उत्तर देने के लिये अभी अवसर ही नहीं मिला।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री फीरोज़ गांधी के भाषण के बाद मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये अवसर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : मेरे लिखित प्रश्न का उन्होंने यह उत्तर दिया था कि नियमों के अनुसार गैंग-मेट को इस बात का आदेश है कि जब भी बड़ी भारी वर्षा हो, वह अपने गैंग सहित उस स्थान पर जाये । अतः इस दुर्घटना में कोई भी पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं ठहरता ।

वास्तव में, मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया गया है । यह सच है कि ये सभी प्रयोगात्मक सिद्धान्त तथा सूत्र हैं, परन्तु उनका अनुसरण करते समय हमें परिस्थितियों को भी तो ध्यान में रखना चाहिये ।

मैंने पहले भी यमुना पुल का उल्लेख किया था । हम जानते हैं कि इस वर्ष शाहदरा बांध में फिर से बाढ़ आ गयी थी । उसका वास्तविक कारण यह है कि हम प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नदियों के प्राकृतिक जलमार्ग को रोक कर कई प्रकार की नहरें बना कर अपनी परियोजनाओं को सफल बनाने में दत्तचित्त हैं, और जल अपने स्वाभाविक वेग से बहना चाहता है, इसीलिये बाढ़ें आ जाती हैं । अतः इस बात की आवश्यकता है कि एक ऐसा विभाग स्थापित किया जाये जो कि विकास कार्यों और जलमार्गों में समन्वय स्थापित कर सके ।

मैं चाहता हूं कि इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये । मंत्री जी का यह कहना है कि एक समिति नियुक्त की गयी है, परन्तु उसमें जब तक रेलवे मुख्य निरीक्षक न होंगे तब तक उससे कोई लाभ न होगा । उसे इस समिति में नहीं रखा गया है, इसका वास्तविक कारण यह है रेलवे बोर्ड की मुख्य निरीक्षक से बनती नहीं है । रेलवे बोर्ड मुख्य निरीक्षक से सारे अधिकार छीन लेना चाहता है । मुख्य निरीक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य अत्यन्त व्यापक हैं । परन्तु रेलवे बोर्ड उन अधिकारों को छीन लेना चाहता है ।

जब निज़ाम की राज्य रेलवे ली गयी थी तो इन सभी नियमों का उसी समय पालन होना चाहिये था । उस दुर्घटना का कारण असावधानी कही जा सकती है । परन्तु रेलवे बोर्ड तो इसे भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं । वह तो यह कहता है कि उसके लिये कोई भी जिम्मेवार नहीं । मैं पूछता हूं कि इसके लिये यदि वे जिम्मेवार नहीं तो और कौन है ? इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी उसी पर है ।

श्री हेडा और श्री सिंह का यह कहना है कि इस दुर्घटना का कारण यह था कि अधिक पानी हो जाने से टैंक फट गये थे । परन्तु निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में इसे वास्तविक कारण नहीं माना है । इसका वास्तविक कारण पायों का कच्चे आधार पर खड़ा होना है ।

वास्तविक कठिनाई यह है कि हमारे पदाधिकारी अब अत्यधिक आत्मतुष्ट तथा निरुद्यमी हो गये हैं । वे कहते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी तथा मजदूर काम नहीं करते । यदि वे काम नहीं करते तो उन्हें नौकरी से अलग कर दो । यदि वे हड़ताल की धमकी दें तो भी मत चिन्ता करो । हमें तो काम और अनुशासन की आवश्यकता है । हड़तालों की चिन्ता न करो, हम आपके साथ हैं ।

यह पुल वास्तव में एक काफी बड़ा पुल था, और इसकी ओर असावधानी बरतना एक बड़ा अपराध है । श्री शाहनवाज़ खां को १९५४-५५ में एक समिति—रेलवे दुर्घटना जांच समिति—का सभापति बनाया गया था । मैं चाहता हूं कि उस समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन** : यदि आप चाहते हैं तो मैं बोलूंगा । नहीं तो मैं व्यर्थ में ही सभा का समय नहीं लेना चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो ठीक है, अब हम अगला कार्य प्रारम्भ करते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

†**श्री रघुनाथ सिंह** (बनारस ज़िला—मध्य) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**संयुक्त सचिव** : श्रीमान्, मैं राज्य-सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देता हूं :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक, १९५६ को जिसे लोक-सभा ने २१ नवम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किया था और राज्य-सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा था, वापिस भेजने और यह कहने का निदेश मिला है कि इस सभा को लोक-सभा से उक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई भी सिफारिश नहीं करनी है ।"

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ७२५–२६

यह पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तृतीय वार्षिक वृतान्त—१९५५-५६ की एक प्रति ।

(२) वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या ७–सी० ए० (८)/५६, दिनांक १९ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति जिसके द्वारा वायु निगम नियमों में कुछ संशोधन किया गया ।

(३) संकल्प संख्या १२/४३/५६–ए० सी०, दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ की एक प्रति जिसमें अम्बर चरखा जांच समिति के बारे में सरकार के विचार दिये गये थे ।

(४) उस विवरण की एक प्रति जिसमें यह दिखाया गया है कि भारत सरकार ने जून १९५५ में जनेवा में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३८वें सत्र में की गई सिफारिशों तथा अभिसमय पर क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ।

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

श्री आल्तेकर ने प्रस्ताव रखा कि श्री महापात्र का स्थान रिक्त घोषित किया जाये जो ६० दिन से अधिक अवधि तक लोक-सभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहे । चर्चा के पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पारित किये गये विधेयक ७२९–५१

इन विधेयकों पर विचार किया गया और इन्हें पारित किया गया :

केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक

लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

विचाराधीन विधेयक ७५१–५४

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव रखा कि वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी पर से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव ७५४–७२

श्री फ़ीरोज़ गांधी ने ३१९ डाऊन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव रखा और

पृष्ठ

उस पर चर्चा की गई । श्री फ़ीरोज़ गांधी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हो गई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ... ७७२

पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

संयुक्त सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त हुए इस संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा को रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक के बारे में लोक-सभा को कोई सिफारिशें नहीं भेजनी हैं ।

M45LSD—190—1-4-58—GIPF.